

में नेहरू से मिला

लेखक

तिबौर माँड

अनुवादक

मुनीश सक्सेना



राजकगल प्रकाशन

दिल्ली बम्बई इलाहाबाद पटना मद्रास

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
दिल्ली

मूल्य : तीन रुपये पचास नये पैसे

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय
प्रयाग

प्राक्कथन

इस पुस्तक की रामकहानी बहुत सीधी-सादी है।

जापान से लौटते हुए अक्टूबर १९५५ में मेरी प्रार्थना पर भारतीय प्रधान मंत्री ने मुझसे भेंट की। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह चार ऐसी वार्ताओं के लिए तैयार होंगे जिन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा सके: मैंने इस बात पर जोर दिया कि हम प्रतिदिन की राजनीतिक समस्याओं से दूर रहेंगे और अधिक व्यापक आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक विषयों पर विचार करेंगे। अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के कारण श्री नेहरू ने कुछ संकोच प्रकट किया पर वह इस पर राजी हो गये कि मैं एक पत्र में उन विषयों को स्पष्ट रूप से लिखकर भेज दूँ जिन पर मैं उनसे अपने विचार प्रकट कराना चाहता था।

मैं नयी दिल्ली से भारत की यात्रा पर निकल पडा और उन्हें कुछ पक्तियों का एक पत्र भेज दिया जिसमें मैंने उन मुख्य-मुख्य विषयों की सूची दे दी जिन पर मैं बातें करना चाहता था। नयी दिल्ली वापस आने पर मुझे श्री नेहरू का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था: "(समय के अभाव) के अतिरिक्त मैं आपकी प्रस्तावित (वार्ताओं) का विचार करके कुछ भयभीत-सा हो गया हूँ। मुझे आपसे मिलने और इन विषयों पर आपसे बातें करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन न तो मैं दार्शनिक होने का दावा करता हूँ और न आपके दिखे हुए गिती विषय का विशेषज्ञ ही। कुछ विषय तो चायद ऐसे हैं जो मेरे बस के बाहर हैं। दूसरे विषयों पर मैं कुछ सतही ढंग में ही अपने विचार प्रकट कर सकूँगा, यानी निरुं उस हद तक जहाँ तक कि उनका संबंध भारत में मेरी

तात्कालिक समस्याओं से हैं। मेरे पास दुनिया की मुश्किलों का कोई आम हल नहीं है और न ही मैं अपने आपको उन्हें हल करने के योग्य समझता हूँ।”

कुछ दिन बाद प्रधान मंत्री के बाग के लॉन पर बैठकर श्री नेहरू ने यह कहकर कि उन्हें कोई “विशेष” बात नहीं कहना है एक बार फिर अपना सकोच प्रकट किया। मैंने उत्तर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे मानव-जाति का सातवाँ भाग अपनी स्वतंत्र इच्छा से आराध्य मानता है और जो इससे भी अधिक लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता हो, उसकी हर बात में कुछ-न कुछ “विशेष” बात होना अनिवार्य है।

कुछ दिन बाद प्रधान मंत्री ने मेरी योजना स्वीकार कर ली। हमारी बात-चीत ३१ दिसम्बर १९५५ और ९ जनवरी १९५६ के बीच प्रधान मंत्री के निवासस्थान पर हुई। इस बातचीत के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की गयी थी और उसे आल-इंडिया रेडियो द्वारा दिये गये एक टेप-रेकार्डर पर सीधे भर लिया गया।

मैंने शुरू में श्री नेहरू को विषयों की जो सक्षिप्त सूची भेजी थी, चूँकि उसे मैंने बिल्कुल ही बदल दिया था इसलिए हर बातचीत से पहले मैं प्रधान मंत्री को उन विषयों के शीर्षक पढ़कर सुना देता था जिन पर उस दिन विचार होना था। वास्तव में, पहले दो-तीन सत्रों के बाद आमतौर पर हम ऐसी समस्याओं पर पहुँच जाते थे जो मेरी मूल सूची में नहीं होते थे और हमारी बातचीत बिना किसी निश्चित योजना के चलती रहती थी। व्यक्त किये गये विचारों की बेसाख्तगी को बनाये रखने की इच्छा के कारण ही बहुधा ऐसा मालूम होता है कि इस बातचीत के दौरान मैं एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर पहुँच जाते थे और उसमें कोई कठोर व्यवस्था नहीं दिखायी पड़ती। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि श्री नेहरू ने एक बार भी न तो किसी विषय पर आपत्ति की न किसी विषय को छोड़ देने के लिए ही कहा।

छोटे-मोटे हेर-फेर के अतिरिक्त—जो कि बातचीत के दौरान में कहे

गये शब्दों को छापते समय अनिवार्य होता है—यहाँ मूल रेकार्ड के शब्दों को ज्यो-का-त्यो छापा जा रहा है। चूँकि श्री नेहरू के पास टाइप की हुई पाण्डुलिपि को पढ़ने और ठीक करने का समय नहीं था इसलिए मैंने इस पाठ को उन रेकार्डों से मिलाकर देख लिया है जो ऑल-इंडिया रेडियो ने मूल टेप-रिकार्डिंग से कृपा करके मेरे लिए तैयार किये थे।

पेरिस, वसंत १९५६

—तिबौर मॉड

तिस्वीर मांड : प्रधान मंत्रीजी, अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपकी टियागठवी वर्षगांठ मनायी है। आप जैसे आदमी के लिए भी, जिसका दिल एतना नौजवान है, यह एक ऐसी उमर है जब आदमी अपने विखराव को समेटता है और अपने पिछले जीवन पर विचार करता है; यह एक ऐसी उमर है जब आदमी मानो किसी पहाड की चोटी पर से अपनी जिदगी की पूरी तस्वीर पर नजर डाल सकता है और उसकी खास-खास मजिलो को उनकी सही पगल में देख सकता है। इस पहली बातचीत का मकसद आपसे यह दरख्वास्त करना है कि आप अपनी जिदगी को इन मजिलो के बारे में कुछ बताये, आपकी जिदगी में उतरी क्या जगह रही है और आपके विचारो, फैसलो तथा कामो पर उनका फितना अमर पज है।

इसके साथ ही यह बात भी है कि जब किसी आदमी की जिंदगी में नयी-नयी बातें बहुत जल्दी-जल्दी होती रहती हैं, तो वह पिछले के मुकाबले में मौजूदा जमाने के बारे में ज्यादा सोचता रहता है—कभी-कभी की बात छोड़ दीजिये। जब भी मैं जेल जाता था तो मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता था क्योंकि तब कोई मौजूदा जमाना होता ही नहीं था। जिसके नतीजे के तौर पर मैंने अपनी किताबें लिखीं। जेल के बाहर, इस तरह अपने दिल की गहराइयों में पढ़कर लिखने का माहौल पैदा करने में मुझे मुश्किल पड़ती है। पिछले जमाने के बारे में सोचने के लिए मुझे फिर जेल वापस जाना पड़ेगा और सो भी बहुत दिनों के लिए। लेकिन यह भी सच है कि हर आदमी कभी-कभी पिछली बातों के बारे में सोचता तो है ही। लेकिन, मैं कहना चाहूँगा, गहराई से और लगातार नहीं।

माँड आपकी बात काटकर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जेल तो नहीं जायेंगे और यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ज्यादातर लोग जो एक तरह से अपने जमाने से बहुत आगे होते हैं, एक तरह के जेलखाने में ही होते हैं क्योंकि वे चारों तरफ एक ऐसी दुनिया से घिरे रहते हैं जो उनके विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहती। इसलिए इस ख्याल से कि उन विचारों को माननेवाले आप अकेले आदमी हैं, इस ख्याल से कि लोग आपको पूरी तरह समझते नहीं, शायद उसी तरह की प्रेरणा मिलती है जैसे कि आप जेलखाने में हो ?

नेहरू बात कुछ अजीब तो है लेकिन कुछ हद तक मैं भीड़ में भी अकेला रह सकता हूँ, एक तरह से मैं अपने-आपको मौजूदा हलचल से अलग कर सकता हूँ। इससे मुझे अपने-आपको थोड़ा-बहुत ताजा रखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। यह बात तो है। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं, पिछली बातों पर नज़र डालने से तरह-तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं, तरह-तरह की बातें दिल में उठती हैं और उन्हें सुलझाना जरा मुश्किल काम होता है।

माँड माफ कीजियेगा, मैं जरा गुस्ताखी करके इस बातचीत को एक तरतीब देने की कोशिश करूँगा।

एक परदेसी की हैसियत से, आपकी किताबों और आपके भाषणों को

मैं नेहरू से मिला

पढनेवाले की हैसियत से मैं आपकी इस जाती पिछली जिंदगी के चार हिस्सों में गौर करने की कोशिश करूँगा।

जाहिर है, सबसे पहले आपका बचपन आता है; आपका हिंदुस्तानी माहौल, इलाहाबाद का वह घर, आपकी शिक्षा और जो विचार आपमें समा गये हैं; और आपके पिता का बहुत बड़ा असर जो आपकी रचनाओं में इतना साफ झलकता है। दूसरे, पश्चिमी देशों में रहने का आप पर गहरा असर; इंग्लैंड में कई बरस तक आपका रहना। तीसरे, जिसे हम शायद "मार्क्सवाद" कह सकते हैं, जिसमें बीसवीं शताब्दी के शुरू के सभी क्रांतिकारी आंदोलन और महान विचार शामिल हैं। और फिर चौथे, गाँधीजी से आपकी मुलाकात।

अगर इससे कोई आसानी हो सके तो हम अपनी बातचीत को इन चार हिस्सों में बाँट सकते हैं।

नेहरू जैसा आप चाहे।...लेकिन बहुत बारीकियों में न जाकर सिर्फ मोटे-मोटे तौर पर।

तो आप क्या चाहते हैं, मैं किस चीज़ के बारे में बताऊँ? अपने बचपन से शुरू करूँ?

मॉड चूँकि आज आप भारत की काया पलटने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बात बहुत अहमियत रखती है कि आपने हिंदुस्तान से क्या लिया है, हिंदुस्तान आपके लिए क्या था और आज क्या है और आपके विचारों को ढालने में किस हद तक इस बात का हाथ रहा है।

नेहरू . मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान मेरी नस-नस में समाया हुआ है। हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा हूँ। इसलिए मुझमें समाया हुआ तो वह हमेशा से ही था। लेकिन शुरू में मुझे इसका एहसास नहीं था। बचपन में, उस हिंदुस्तानी माहौल के अलावा जो मेरे जाने बिना ही मेरी नस-नस में समा गया था, मुझे सबसे पहले हिंदुस्तान को अच्छी तरह समझने का मौका अपनी माँ से और घर की दूसरी औरतों से मिला जिन्हें, जैसा कि आप जानते होंगे, न जाने कितनी हिंदुस्तानी कहानियाँ, पुराणों की कथाएँ याद रहती थी और शायद आज भी औरतों को इतनी ही कहानियाँ याद होती होंगी। उनमें से

वे औरते भी जिन्हें आप अनपढ़ कह सकते हैं, या जो बहुत पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, वे भी इस माने में तहजीबयाफता होती थी कि उन्हें हमारे महाकाव्यों की सारी कहानियाँ रत्ती-रत्ती याद रहती थी। वे इन कहानियों को बच्चों को सुनाती थी और ये कहानियाँ धीरे-धीरे बच्चों के दिलों में घर कर जाती थी। एक तो यह चीज थी। और फिर यह बात भी थी कि मैं उत्तर भारत में पला और बड़ा था, जहाँ की बोलचाल, रहन-सहन, खाने-पीने वगैरह में एक ऐसी चीज़ शामिल है जिसे लोग कभी-कभी मुसलमानों की तहजीब कहते हैं। इसलिए मैं इस मिले-जुले सांस्कृतिक जीवन का आदी हो गया। “सांस्कृतिक” एक बहुत बड़ा लपज है, लेकिन यह भी जिंदगी का एक ढर्रा था, एक ऐसा ढर्रा जिसमें पश्चिमी मुल्कों के भी कुछ तौर-तरीके शामिल हो गये हैं।

मेरे पिता एक ऐसी पीढ़ी के थे जो पुराने दक्खिनानूसीपन के खिलाफ लड़ी थी। मेरे दादा सोलह आने पुराने ढग के आदमी थे। दरअसल, मेरे पिता मेरे दादा के मरने के बाद पैदा हुए थे। इस तरह मेरे दादा अबसे कोई सौ बरस पहले मर गये थे।

मेरे पिता ने समाज के कई रीति-रिवाजों के खिलाफ बगावत की थी। जाहिर है मेरे ऊपर अपने बचपन में इसका कुछ असर पड़ा ही। आजकल के ज़माने को देखते हुए मेरे पिता को कई बातों में दक्खिनानूसी समझा जायेगा। लेकिन उस ज़माने में वह बहुत बड़े वागी समझे जाते थे। और वह अपने इरादों के बहुत पक्के थे। इसका मुझपर बहुत असर पड़ा और इस तरह मैं कुछ-कुछ मिले-जुले माहौल में बड़ा हुआ, किताबों, कहानियाँ और रिसाले पढ़ते रहने से धीरे-धीरे मुझपर पश्चिम का असर, या यों कहना चाहिये, पश्चिम में भी अग्रजों का असर, बढ़ता गया। इस हालत में मैं विलायत गया।

सॉड इगलैंड पहुँचने से पहले आपने अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ लिखा है उससे मेरी समझ में एक बात साफ तौर पर नहीं आयी। हम फिर इलाहाबाद वापस चले, वह उन्नीसवीं शताब्दी के आखिर का ज़माना है, जो हिंदुस्तान में सुधारों का ज़माना था, वह उदारवादियों की पीढ़ी का ज़माना था और मैं समझता हूँ आपके पिता भी उसी पीढ़ी के थे। उन्होंने समाज को संस्कृति की दृष्टि से सुधारने की कोशिश की। लेकिन उस ज़माने में दो साफ

धाराएँ अलग-अलग दिखायी देती थी : एक तो जैसे ब्राह्म समाज या नव हिंदू आंदोलन और दूसरा, समझ लीजिये, कानूनी सुधार का रुख जो हिंदू धर्म को नहीं बल्कि केवल उसके समाजी पहलुओं को सुधारना चाहता था। आपका इलाहावाद का घराना इन दोनों में से किस धारा के साथ था ? उसके साथ जो हिंदू धर्म को सुधारना चाहती थी या उसके साथ जो धर्म के गिर्द की इस हिंदू समाजी फजा को बदलना चाहती थी ?

नेहरू : वचन में यह मसला मेरे सामने आया ही नहीं। मेरे पिता जैसे मजहबी आदमी नहीं थे। अलबत्ता, उनके दिल में हिंदू धर्म की कुछ इज्जत जरूर थी; वह उसी के साये में पले और बढे थे। लेकिन किसी भी ज़माने में वह मजहबी नहीं थे। हिंदुओं के बहुत-से समाजी रीति-रिवाज उन्हें पसंद नहीं थे और उन्होंने उन जजीरो को तोड़ दिया। अपनी बिरादरीवालों से उनकी टक्कर भी हुई और उन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। वह अपने रास्ते पर आगे बढते गये। वह अपने इरादों के बहुत पक्के आदमी थे। और अपने पेशों में बहुत कामयाब थे। उनका ज्यादातर वक्त अपने काम में, यानी वकालत में चला जाता था। उन्होंने किसी भी तरह अपना नाता उन लोगों से नहीं जोड़ा जिन्हें समाज-सुधारक कहा जाता था। उनकी हमदर्दी उनके साथ जरूर थी पर वह उनकी कोशिशों को बेकार समझते थे। कुछ भी हो, उन दिनों उन्हें अपनी वकालत से इतना वक्त ही कहाँ मिलता था कि इन बातों की फिक्र करते। अपनी जाती ज़िदगी में जरूर उन्होंने समाज के बनाये हुए बहुत-से कानूनों को तोड़ा। और उन्हें बहुत काम-याबी भी मिली क्योंकि वह तब्दीली का, परिवर्तनों का ज़माना था। दूसरों ने भी ऐसा ही किया। उन दिनों, मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल भी यही था कि बहुत-से समाजी रीति-रिवाज बेकार हो चुके हैं और उन्हें बदलना जरूरी है।

मांड : मुझे याद पडता है कि आपने खुद लिखा है कि एक बार आप गंगा नहाने गये थे, कोई धार्मिक स्नान . . .

नेहरू : मैं नहीं समझता कि उसका मजहब से या धर्म से ऐसा कोई खास ताल्लुक था। हर बच्चे के दिल में यह उमग होती है कि वह बड़े मेले में जाये,

जहाँ हजारो-लाखो लोग होते हैं। मैं इसमें धर्म की कोई बात नहीं समझता, बल्कि . .

माँड . . . आत्मा की बात नहीं बल्कि सैर-तफरीह की बात
नेहरू . उसमें वह भीड़ के साथ घुलने-मिलने की भी बात थी।

मुझे याद है कि बचपन में मैं उन बड़े-बड़े मेलों में जाया करता था जो हर साल जनवरी में इलाहाबाद में होते हैं और मुझे भीड़ में बहुत आनन्द आता था। मेरे नज़दीक गंगा में नहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि मेरे दिल में गंगा के लिए हमेशा से एक मुहब्बत रही है। इसका मजहब से कोई सबध नहीं है, एक तरह की सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि समझ लीजिये, भारत की संस्कृति, उसके इतिहास और विकास की न जाने कितनी बातों के साथ गंगा का नाम जुड़ा हुआ है। जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, वहाँ हमेशा से ही मैंने गंगा को देखा।

माँड वह आपके बचपन की पृष्ठभूमि है।

नेहरू . हाँ, मेरे बचपन की पृष्ठभूमि। .

माँड लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले और, यो समझ लीजिये कि पश्चिम के इन उदारवादी विचारों के बीच में पहुँचने से पहले भी क्या हिंदू समाज की शकल बदलने की अपनी इस ख्वाहिश के बारे में आपके सामने साफ-साफ कोई नकशा था? क्या पश्चिमी उदारवाद के तरीकों के असर में आने से पहले ही आपके मन में हिंदू समाज के खिलाफ वगावत थी।

नेहरू . हाँ, इस हद तक कि मेरे पिता खुद उसके खिलाफ वगावत कर रहे थे और मैं उनकी इस बात को मानता था और समझता था कि यही ठीक बात भी है। इंग्लैंड जाने से पहले—जैसा कि शायद आपको याद होगा—अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है—मुझ पर एक मास्टर साहब के जरिये, जो मुझे पढाते थे और श्रीमती ऐनी वेसेट के जरिये थियोसोफी का भी थोड़ा-बहुत रंग चढ़ चुका था।

माँड . आपने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि जल्द ही आपका दिल उधर से हट गया।

नेहरू हाँ, मैं मायूस इसलिए हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि थियोसोफी

से कुछ होनेवाला नहीं है। यह बात नहीं है कि जो कुछ वे लोग कहते थे उसमें कोई गलत बात थी। जो कुछ वे लोग कहते थे उसमें बहुत-कुछ सच्चाई भी है। बात यह है कि जो लोग थियोसोफिकल सोसायटी में काम करते थे उनके बारे में मुझे ऐसा लगा कि वे दुनिया के सवालो से बिल्कुल अलग रहते थे, मुझे ऐसा लगता था कि वे अपने-आपको दूसरो से अच्छा, सबसे ऊँचा समझते थे। लेकिन बचपन में मुझ पर मिसेज बेसेट का बहुत गहरा असर पड़ा। और बाद में, कई साल बाद, जब मैं राजनीति के मैदान में आया, तब भी मुझ पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा।

माँड लेकिन यह बगावत. क्या उसके अंदर कोई समाजी बात भी थी या सिर्फ दिल की एक उमंग थी जिसके साथ कुछ कौमपरस्ती का जज्बा, राष्ट्रवाद की भावना भी मिली हुई थी ?

नेहरू . मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बहुत समाजी बात नहीं थी, कम-से-कम मुझे उस बगावत के समाजी होने का एहसास नहीं था अलबत्ता मैं अपने चारों ओर के समाज में जो आदतें और रीति-रिवाज देखता था उनमें से कुछ मुझे नापसंद थे और इसलिए मैं उन तौर-तरीकों की ओर खिंचने लगा जिन्हें मैं पश्चिमी तौर-तरीकों समझता था, पश्चिमी भी क्या, कहना चाहिये अंग्रेजी तौर-तरीकों की तरफ . . .

माँड जिसकी आपके दिमाग में एक बहुत ही शानदार तस्वीर थी . . .

नेहरू . यकीनन

माँड . . . तो जिस वक्त आप इंग्लैंड गये उस वक्त आपकी उमर . . .

नेहरू . पंद्रह साल की थी। . . . वहाँ भी मैंने उस जिदगी में घुल-मिल जाने की कोशिश की, और मुझे इसमें कोई खास मुश्किल नहीं हुई न वहाँ की समाजी जिदगी में, और बाद में कालेज की जिदगी में, और मैं तो यह कहूँगा कि दरअसल कैम्ब्रिज में पहुँचकर ही मेरे दिमाग में मोटे-मोटे तौर पर कुछ समाजवादी विचार—कुछ फेबियन समाजवाद के और कुछ उससे ज्यादा तेज किस्म के समाजवादी विचार—पैदा हुए। लेकिन यह सब-कुछ बिल्कुल किताबी हृद तक था।

साँड . आज आप जब अपनी पिछली जिंदगी पर नज़र डालते हैं तो आप किन लोगो को ऐसा समझते हैं जिनका आप पर उस ज़माने में, जबकि आपकी जिंदगी किसी खास साँचे में ढल नहीं पायी थी, सबसे ज्यादा असर पडा ? उन दिनों यूनिवर्सिटी में अक्सर बहुत बड़े-बड़े लोगो के लेक्चर हुआ करते थे।

नेहरू : मैं नहीं समझता कि मैं किसी खास आदमी का नाम बता सकता हूँ जिसका मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा हो। अलावा ऐसे लोगो के जैसे वर्नार्ड शा, वर्टरेड रसेल, अर्थशास्त्री कीन्स, जो वहाँ लेक्चर देने आया करते थे। . हालाँकि मैं साइस पढता था लेकिन मुझे अपनी पढाई के विषयो के अलावा प्राथमिक दर्शनशास्त्र के लेक्चरो में, साहित्य में, यूनानी साहित्य में, कविता में और इसी तरह की दूसरी चीजों में भी दिलचस्पी थी।

साँड : जब आप वर्नार्ड शा के या वैज्ञानिक ढग से सोचनेवाले गुरु-शुरू के सोशलिस्टो की उस शानदार पीढी के दूसरे लोगो के लेक्चर सुनते थे तो उसमें कौन-सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती थी ? वे जिस समाज की तस्वीर खींचते थे उसकी तर्कसंगत व्यवस्था या यह बात कि उनके उसूल, उनकी विचारधारा बुनियादी तौर पर ऐसी होगी जिसे लोग आमतौर पर उपनिवेश-विरोधी कहते हैं।

नेहरू : मुझे नहीं याद पडता कि उसमें उपनिवेशवाद-विरोध की कोई खास बात रही हो। हाँ, यह बात ज़रूर है कि मैं हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ था; बहुत सख्त खिलाफ था, और शायद, हो सकता है कि इस बात में और उनकी विचारधारा में कोई ताल्लुक रहा हो। लेकिन मुझे नहीं याद पडता कि वे लोग इसके बारे में ज्यादा बातें करते थे। कुछ आदर्शवादी थे जो अफ्रीका की दुर्दशा या भारत की दुर्दशा की, या इसी किस्म की बातें करते थे।

साँड . लेकिन जब सोशलिस्ट एक मुल्क के दूसरे मुल्क का खून चूसने की बात करते थे तो उसमें यह बात साफ तौर पर छुपी होती थी कि आगे चलकर वे उपनिवेशवाद के खिलाफ भी हो जायेंगे , दूसरे लफ़्जों में एक भारतीय राष्ट्रवादी होने के नाते आप उन लोगो को कुदरती तौर पर अपना साथी समझते होंगे।

नेहरू . इसमें क्या शक है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के बारे में किसी हिंदुस्तानी की या अंग्रेज की लिखी हुई कोई भी ऐसी किताब जिसमें यह बताया गया हो कि अंग्रेजों की हुकूमत से हिंदुस्तान को क्या नुकसान पहुँचा है, मुझे फौरन पसंद आती थी।

भाँड . और रूस में जो कुछ हुआ उसका पता आपको उसी वक्त चला जब आप इंग्लैंड में थे ?

नेहरू नहीं, वह तो बहुत बाद की बात है। इंग्लैंड में अपने शुरू-शुरू के दिनों में भी इटली के गणतंत्र की कहानी का, मैजिनी, कैवूर और गैरिबाल्डी का मुझ पर बहुत असर पड़ा था, आयर्लैंड के आंदोलन का मुझ पर असर पड़ा था, वह तो नजदीक ही था। दरअसल, सिन्न फेइन के शुरू के दिनों में मैं एक वार आयर्लैंड गया भी था। मुझे उसमें बड़ी दिलचस्पी थी।

भाँड मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपकी किसी किताब में इसका जिक्र पढ़ा हो।

नेहरू मैं बहुत ही थोड़े अरसे के लिए गया था। मैंने सिन्न फेइन के बारे में दो-एक किताबें पढ़ी थी।

भाँड आप सिर्फ सैर के ख्याल से गये थे या अपनी दिलचस्पी की वजह से ?

नेहरू : नहीं, मुझे बस आयर्लैंड में दिलचस्पी थी। मैंने दो-एक किताबें पढ़ी थी। इसके अलावा मुझे फ्रांस के इनकलाव में हमेशा से दिलचस्पी रही है। मैंने उसके बारे में भी कुछ किताबें पढ़ी थी और उससे मेरे दिल में जोश पैदा हुआ था। एक किस्म का हल्का-हल्का धुँधला-धुँधला, समझ लीजिये,

राष्ट्रवाद आजादी के आंदोलन, जो एक तरह की बराबरी लाना चाहते थे ये मोटी-मोटी बातें, एक किस्म का ख्याली समाजवाद था, दरअसल वह वैज्ञानिक समाजवाद बिल्कुल नहीं था। जहाँ तक रूस के इनकलाव का सवाल है, उस वक्त तो मैं हिंदुस्तान में था, और अपने वापस लौटने के बाद मैं हिंदुस्तान की कौमी तहरीक में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फँस गया था। दरअसल, उस वक्त तक गाँधीजी भी मैदान में आ चुके थे और मुझे ढालने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा।

जब हमने पहले-पहल रूस के पहले इनकलाव की, करेस्की वाले इनकलाव की, खबर सुनी तो जाहिर है हमें बड़ी खुशी हुई। मैं कुछ किताबों में और दूसरी जगहों पर पढ़ चुका था कि रूस में पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी थी और यह भी पढ़ चुका था कि जार की हुकूमत बहुत, जुल्म करती थी और सारी हुकूमत एक आदमी के इशारे पर चलती थी। मुझे इस किस्म की बात पर गुस्सा आता था और मेरी हमदर्दी वहाँ की इनकलाबी तहरीक के साथ, वहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ थी। इसमें मार्क्सवाद का किसी किस्म का कोई भी दखल नहीं था। तो करेस्की वाले इनकलाव में सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आम तौर पर पूरे हिंदुस्तान में दिलचस्पी पैदा हुई। इसके बाद वाल्सेविकों का इनकलाव हुआ जो सचमुच बहुत ही हलचल पैदा करने वाली बात थी। उस वक्त हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें मालूम नहीं हो सकी, लडाई के फौरन बाद की बात थी और यकीनन लोगों को उसमें बड़ी दिलचस्पी थी। हालाँकि हम मार्क्सवाद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे फिर भी हमारी हमदर्दी बहुत बड़ी हद तक लेनिन और उनके दूसरे साथियों के साथ थी। उस वक्त तक मैंने मार्क्सवाद के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था।

माँड : रूस में जो कुछ हुआ था उसके साथ उस वक्त आपकी हमदर्दी सिर्फ उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जिस तरह पहले आपकी हमदर्दी इटली के गणतंत्र के साथ, आयरलैंड के इनकलाबियों के साथ या करेस्की वाले इनकलाव के साथ रह चुकी थी

नेहरू . हाँ, और उसके अलावा इसमें यह नया समाजवादी रंग भी था। क्योंकि लेनिन समाजवाद की इस लहर के नुमाइन्दे थे।

माँड उस वक्त तक ये सब बातें बहुत-कुछ धुँधली थी। आपको उनके उसूलों के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं था।

नेहरू धुँधली, हाँ लेकिन वह कुचले हुए लोगों को ऊपर उठा रहे थे और लोगों में बराबरी पैदा कर रहे थे, पूँजीपतियों वगैरह को मिटा रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे मुल्कों ने रूस में दखलदाजी की और उस पर लडाई छिड़ गयी और हमारी हमदर्दी, कम-से-कम मेरी तो, पूरी तरह लेनिन और उनके साथियों के साथ थी। इस बार भी, हमें इस बात के बारे में ज्यादा

कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। शायद आपको यह भी याद होगा कि लेनिन ने, मिसाल के तौर पर, चीन के बारे में क्या किया था। चीन में रूसियों को जो खास अख्तियार मिले हुए थे और चीन का जो इलाका रूसियों के कब्जे में था वह सब उन्होंने फौरन छोड़ दिया। रूस में उनका जो आंदोलन था उसका एशिया के कुछ हिस्सों पर बहुत गहरा असर पड़ा। मैं एशिया के उन हिस्सों का जिक्र नहीं कर रहा जो सोवियत में है बल्कि मेरा मतलब पश्चिमी एशिया की तरफ के मुल्कों से है।

पहली लड़ाई के बाद चर्चिल ने अंग्रेजों की हिंदुस्तान से कुस्तुनतुनिया तक फैली हुई एक बहुत लम्बी-चौड़ी मध्य-पूर्वीय सल्तनत की बात भी कही थी। और लड़ाई के बाद इन मुल्कों पर एक तरह से अंग्रेजों का कब्जा था भी। मुझे यह बातें पसन्द नहीं थीं। इसलिए इन सब बातों की टक्कर पर मुझे रूस में जो कुछ हो रहा था वह अच्छा लगा। मुझे इसमें जरा भी शुबहा नहीं है कि उन दिनों ईरान और तुर्की के लिए और उन तमाम मुल्कों के लिए इन बातों से बड़ा फरक पड़ गया।

भांड : उस ज़माने में, जब आप इलाहाबाद में थे, क्या आपके दिमाग में यह बात कभी नहीं आयी कि रूस में जिन बातों को आजमाया जा रहा था उन्हें हिंदुस्तान के हालात पर भी लागू किया जा सकता है? या आपके नज़दीक वह सिर्फ एक दूसरे मुल्क की, एक अंतर्राष्ट्रीय बात थी?

नेहरू : सिर्फ इस हद तक कि उसके बाद से मैं राजनीति को ओर ज्यादा हद तक समाज को बदलने की नज़र से देखने लगा।

वह सिर्फ राष्ट्रवाद की, या ज़ार की हुकूमत जैसी मनमानी हुकूमत के खिलाफ एक लहर नहीं थी बल्कि लोगों में एक समाजी तब्दीली आ रही थी। उसका मतलब था ज्यादा बराबरी। जम्हूरियत यानी लोकतंत्र और डंडे के जोर से नादिरशाही हुकूमत के बारीक सवाल में मैं नहीं फँसा, वे मेरे सामने आये ही नहीं। ये बातें तो बाद में जाकर मुझमें पैदा हुईं।

भांड यह बात मुझे हमेशा से परेशान करती रही है कि लोग यह क्यों समझते हैं कि एशिया के इतिहास में उस वक्त एक मोड़ आया जबकि जापानियों के खिलाफ रूसियों की हार हुई। मैं हमेशा समझता था कि एशिया में

आर्थिक योजनाओं की शुरुआत इससे कहीं बड़ी बात थी। इस बात का इम-कान पैदा होना कि वे लोग भी जिन पर बाहर के देशों की हुकूमत है, अपनी कोशिश से अपने-आपको ऊपर उठाये। क्या इस नये आर्थिक चमत्कार का, आर्थिक योजनाओं का, उस खास वक्त पर आपकी पीढ़ी पर ज्यादा असर नहीं हुआ ?

नेहरू आप ठीक कहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बचपन में मुझ पर जापानियों के खिलाफ रूसियों की हार का बहुत गहरा असर पड़ा था।

मॉड इसलिए कि एक लड़के के लिए आर्थिक योजना के मुकाबले में लड़ाई की तस्वीर हमेशा ज्यादा दिलकश होती है ?

नेहरू नहीं, यह बात नहीं है। शुरू-शुरू के उन दिनों में, १९०५ में, आर्थिक योजनाओं का कोई सवाल ही नहीं था। उस हार का बचपन में मुझ पर बहुत गहरा असर, मैं समझता हूँ, एशिया और योरप के तान्लुकात की वजह से पड़ा।

लेकिन आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि रूसी क्रांति के बाद हम लोगों पर जिस बात का सबसे ज्यादा असर हुआ वह यही योजनाओं का ख्याल था, और खासतौर पर हमारे ऊपर जो असर हुआ वह इन खबरों का था कि मध्य एशियाई हिस्सों में, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे, कितनी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं।

मॉड लेकिन क्या उन दिनों ये खबरें हिंदुस्तान के आम अखबार पढ़नेवालों तक पहुँच पाती थी ?

नेहरू कभी-कभी, इक्का-दुक्का खबरें पहुँच जाती थी। मैं अब १९२१ और १९२२ की बातें कर रहा हूँ जबकि अफगानिस्तान के उत्तर की तरफ के इन इलाकों में ये तब्दीलियाँ हो रही थी—उजबेकिस्तान में, समर-कंद में और बुखारा में। लेकिन हमें इनकी सही-सही खबरें नहीं मिलती थी। खैर, कुछ भी हो, आम तस्वीर यही बनती थी कि वहाँ बड़ी-बड़ी समाजी और राजनीतिक तब्दीलियाँ हो रही थी और उनके बारे में जो जोर-जब-दस्ती की खबरें आती थी उन पर लोग कुछ यकीन नहीं करते थे। इसकी शायद

कुछ वजह तो यह थी कि लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से और कोई चारा ही नहीं था, और कुछ वजह यह भी थी कि हमारे पास तक जुल्म और जोर-जबर्दस्ती की जो खबरे आती थीं उन्हें हम प्रचार समझकर उन पर यकीन नहीं करते थे। .

मॉड लेकिन उस पीढ़ी के लोग, उन लोगो को छोड़कर जो उस जमाने में हिन्दुस्तान में कम्युनिस्ट थे, रूस के इस समाजी इनकलाब को अगर एक आदर्श नहीं, तो क्या एक ऐसा हथियार भी नहीं समझते थे जिस पर गौर किया जाये ?

नेहरू . वह सन् १९२०-२१ का जमाना था जब हमें पहली बार जेल जाने का तजुर्बा हुआ था। मैं इस बात का जिक्र दो वजहो से कर रहा हूँ। पहली बात तो यह कि हम खुद अपने सघर्ष में पूरी तरह फँसे हुए थे। बाकी हर चीज में हमें सिर्फ दूर की ही दिलचस्पी थी। और, दिलचस्प वाक्यात की बात छोड़ दीजिये, हमें उन बातों में सिर्फ उसी हद तक दिलचस्पी थी जिस हद तक कि वह हिन्दुस्तान पर लागू होती थी। लेकिन हमें अपने मसलो का हर वक्त इतना ख्याल रहता था और हमें अपने-आप पर इतना भरोसा था कि दूसरे मुल्को में जो कुछ होता था उसके पीछे हम परेशान नहीं होते थे। हम जानते थे कि हम हिन्दुस्तान में सही रास्ते पर चल रहे हैं।

मॉड . दूसरे अलफाज में, उस वक्त भी आपको यह एहसास था कि हिन्दुस्तान का अपना एक अलग रास्ता है, उसका अपना एक तरीका है ?

नेहरू यकीनन। हमें गाँधीजी पर और गाँधीजी के तरीको पर पूरा-पूरा भरोसा था। इसके अलावा जो भी तरीके थे उन्हें या तो हम पसंद करते थे या नापसंद, हम समझते थे कि वे दूसरे मुल्को के लिए मुनासिब हो सकते हैं, लेकिन अपने बारे में हम यह समझते थे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं था कि हम कोई रास्ता ढूँढ रहे हो। हमारे दिमाग में यह पस्तहिम्मती नहीं थी कि आखिर हम क्या करें। हम जानते थे कि हमारा रास्ता सही है और अगर आप इजाजत दे तो मैं फख्र के साथ कहूँगा कि हमारा रास्ता सही था भी। हमें एक साथ इन दोनों ही बातों का एहसास था कि हमारा रास्ता इत्ताफ का रास्ता है। और साथ ही कारगर भी है, जो कि

बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये दोनों बातें साथ हो और जब ऐसा होता है तो आदमी में ताकत आ जाती है।

दूसरी बात यह हुई कि जेल जाने से हमें जेल में आपस में बहस करने का मौका मिला और हमने किताबें पढ़ी जिसका वक्त हमें बाहर नहीं मिलता था। और, हाँ, यह बात भी याद रखिये कि गाँधीजी हमेशा दबे-कुचले हुए गरीब लोगों की बातें करते थे। वह यह सब-कुछ अपने ढंग से करते थे, समाजवादी ढंग से नहीं, वर्ग-सघर्ष के तरीके से नहीं, लेकिन वह हमेशा बस दबे-कुचले हुए गरीब लोगों की बातें करते थे, खासतौर पर हिंदुस्तान के किसानों की। इसलिए हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो गया कि हम हिंदुस्तान के किसानों की तरफ दिन-ब-दिन ज्यादा ध्यान देने लगे, कारखानों के मजदूरों की तरफ भी हम कुछ हद तक ध्यान देते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ज्यादातर ध्यान किसानों की तरफ ही था और ज़मींदारों और दूसरे लोगों के खिलाफ हम बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसलिए इस माने में, समाजी एतबार से हमारे सबके ख्यालात बहुत मजबूत हो गये। तो, इन सब बातों में रूस की मिसाल का बहुत ज्यादा दखल नहीं था, उससे हमें सोचने में मदद जरूर मिली। हम समझते थे कि उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं—लेकिन अपने सोचने के ढंग को बुनियादी तौर पर बदलने के लिए नहीं बल्कि उसमें सिर्फ थोड़ा-सा हेर-फेर करने के लिए।

गाँड़ . धीरे-धीरे बिना जाने हुए हम उस चौथे किस्म के असर पर आ पहुँचे हैं जिसके बारे में हम बातें करना चाहते थे, मेरा मतलब है आप पर गाँधीजी का असर। मैं हमेशा से यह समझता आया हूँ कि गाँधीवाद के दो पहलू हैं—मुझे यह लफ्ज गाँधीवाद बहुत पसंद नहीं है लेकिन उससे हमारा काम आसान हो जायेगा, गाँधीवाद के दो पहलू हैं एक तो आजादी का आंदोलन और दूसरा समाजी पहलू। उस शुरू-शुरू के जमाने में, १९२०-२१ में, क्या आप ऐसा समझते थे कि गाँधीवाद में समाज को ठीक करने का रास्ता भी है और आजादी हासिल करने का भी ?

नेहरू हाँ, हमेशा। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनने से पहले भी, हम कह सकते हैं, वह इस तरीके को आजमा रहे थे—सबसे पहले उन्होंने

इसे दक्षिणी अफ्रीका में आजमाया। वह इसका कौमी पहलू था। हिंदुस्तानी और उनके खिलाफ दक्षिणी अफ्रीका के लोग। इसके बाद जब वह हिंदुस्तान लौटकर आये तो वह किसानों के कुछ सघर्षों में जूझ गये जिनकी वजह से हमारे सामने फौरन जमींदारों और किसानों का और कुछ नील के खेतों का सवाल आ खड़ा हुआ।

शुरू से ही समाजी पहलू भी इसके साथ था; कुछ खुदगर्ज ताकतों को हटाना या उनके खिलाफ लड़ना था। समाजी लड़ाई-झगड़े या वर्ग-सघर्ष के तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ लड़ना था। इन दोनों बातों में फर्क करना जरा मुश्किल है। इसका मतलब वर्ग-सघर्ष से इकार करना नहीं था, लेकिन दूसरे आदमी की तरफ हमारा जो रवैया था, वह दोस्ती का रवैया था, लेकिन फिर भी इस रवैये में समझौतेबाजी के लिए कोई गुणाइश नहीं थी इस माने में कि हम उनसे यह कहते थे कि “तुम्हें अपनी खुदगर्जी छोड़ना पड़ेगी।”

साँड . आपने जो कुछ लिखा है उससे मुझे यह अंदाजा होता है कि आपको वाज मौकों पर इसके बारे में बहुत गहरा शुबहा रहा है कि इस तरीके को समाजी सवाल को हल करने के लिए भी कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं।

नेहरू : हाँ . मुझे बहुत-सी बातों के बारे में शुबहा था। दो किस्म के शुबहे थे। एक तो यह कि क्या सिर्फ अहिंसा काफी होगी। इसका ताल्लुक समाजी पहलू के मुकाबले में अंग्रेजों से ज्यादा था। जहाँ तक समाजी पहलू का सवाल था, शुबहे दरअसल इसलिए पैदा होते थे कि मुझे इस बात का पक्का यकीन नहीं था कि खुद हमारे साथियों को भी समाज के सवाल का इतना ख्याल रहता है कि नहीं।

इस तरीके के बारे में मुझे कोई शुबहा नहीं था। तरीका तो काफी कारगर था, लेकिन सवाल यह था कि क्या हमारे साथी भी समाज को बदलने के लिए उतने ही बेचैन थे जितना कि मैं चाहता था कि वे हों।

साँड . साथियों से आपका मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से है?

नेहरू गाँधीजी नहीं लेकिन दूसरे साथी जो खुद बहुत बड़े-बड़े नेता थे और जिनकी बात का बहुत असर था। इस किस्म का शुबहा मेरे दिमाग में अक्सर पैदा होता था। इन सभी लोगों के रास्ते कुछ-न-कुछ हद तक अलग-अलग थे और गाँधीजी ही ऐसे आदमी थे जो इन सब लोगों को एक साथ रख सकते थे। इस बात के अलावा कि सब लोगों को उन पर भरोसा था, इसकी एक वजह यह भी थी कि उन्होंने हम लोगों को अपने जज्बात पर काबू रखना सिखाया था। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। मेरे दिल में जो शुबहें थे उन्हें गाँधीजी ने दूर किया और उन्होंने दूसरे लोगों के शुबहों को भी दूर किया।

साँड . इस बात से एक और सवाल पैदा होता है, जो कि मेरी राय में बहुत ही अहम सवाल है और जिस सवाल को ज्यादातर लोग आपसे पूछना चाहते हैं वह सवाल है गाँधीजी और आपके ताल्लुकात का सवाल जिसे लोग कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते।

इन ताल्लुकात को पश्चिमी मुल्को की नजर से देखते हुए लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते कि कोई दो आदमी नजरिये, मिजाज और शायद ख्यालात में भी एक-दूसरे से इतने अलग हो सकते हैं जितना कि आप और गाँधीजी थे। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या बात थी जिसकी वजह से और क्यों, गाँधीजी का आप पर इतना असर था ?

मुझे याद है कि आपने अपनी जो जीवनी लिखी है उसके आखिरी सफो में एक निराशा, एक मायूसी का रंग साफ झलकता है। मुमकिन है कि वह आपके ताल्लुकात का महज एक नाखुशगवार दौर रहा हो। लेकिन उसे पढ़कर यह जरूर मालूम होता है कि आपके दिल में बहुत गहरे शुबहात थे, आपको उन बुनियादी उसूलों के बारे में शुबहा था जिसे हम गाँधीवाद कहते हैं। फिर भी जाती तौर पर गाँधीजी के लिए आपके दिल में वेइन्तिहा प्यार और लगाव था।

नेहरू . तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

मैं समझता हूँ कि मेरे मुकाबले में उनका गाँधीजी के असर में आना और

और मुझे तो खैर गाँधीजी ने चारो खाने चित कर दिया। ज्ञाती तौर पर गाँधीजी से पहले-पहल मेरा सावका—और शायद मेरे पिताजी का भी—उस ज़माने में पडा जब पजाव में मार्शल ला लागू था। हम सब लोग वहाँ साथ काम कर रहे थे। मैं एक तरह से गाँधीजी का सेक्रेटरी था। हालत क्या है और इस हालत में क्या किया जाये, इसके बारे में उनका जो अदाजा होता था उस पर मुझे कई बार ताज्जुब भी हुआ। शुरू में तो हम सब लोग उसके खिलाफ होते थे। हम पूछते थे, “आखिर इससे फायदा क्या होगा?” लेकिन कुछ वक्त बीत जाने पर हमें पता चलता था कि नहीं वही सही तरीका था। इस तरह धीरे-धीरे हम उनके फैसलो पर भरोसा करने लगे, उनके बुनियादी उसूलो से हटकर भी।

माँड इस बात पर भरोसा करने लगे कि गाँधीजी का सोचने का ढग हिंदुस्तान की जनता के सोचने के ढग से पूरी तरह मेल खाता था ?

नेहरू आमतौर पर वह जो भी कदम उठाते थे वह कारगर साबित होता था और इसमें शुबहा नहीं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह हिंदुस्तान की आम जनता में पूरी तरह घुलमिल गये थे। जब उन्होंने पहली बार अहिंसा और असहयोग वगैरह का इनकलाबी ख्याल पेश किया तब हिंदुस्तान का शायद ही कोई नेता ऐसा रहा हो जिसने उसकी मुखालफत, उसका विरोध न किया हो। यहाँ तक कि बड़े-से-बड़े तजुर्वेकार नेता भी इसे विल्कुल भी न ममज्ञ सके। मेरा ख्याल है कि मेरे पिताजी शायद अकेले नेता थे जिन्होंने बहुत मुश्किलो के बाद, बहुत सोच-विचार करने के बाद और गाँधीजी से बहस करने के बाद उनकी हिंमायत की।

माँड इस वजह से कि यह ख्याल उनकी समझ में आ गया था या इसलिए कि उन्होंने गाँधीजी को नेता मान लिया था ?

नेहरू जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ यह एक किस्म का त्रिकोण था। मैंने तो गाँधीजी के उस ख्याल को फौरन मान लिया था क्योंकि वह मुझे अच्छा लगा था। मैंने कोई दलील नहीं लडायी। मैं तो किसी अमली रास्ते की तलाश में था। और मैं इधर-उधर बम फेकने वगैरह को पसंद नहीं करता था, जैसा कि उम ज़माने के कुछ नौजवान करते थे। मैं इसे सरासर वेवकूफी समझता था।

इतने मे गाँधीजी ने एक अमली रास्ता पेश किया। मैंने फौरन उसे कबूल कर लिया। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि इसका अजाम क्या होगा, मेरे दिल में तो बस एक जोश था, एक उमंग थी। लेकिन मेरे पिताजी पचास से ऊपर हो चुके थे। उस उमर में आदमी के लिए इस तरह जोश में आकर किसी चीज को अपना लेना ज़रा मुश्किल होता है। इसमें तो श्रुवहा नहीं कि कुछ हद तक तो मुझ पर जो असर हुआ था उसी की वजह से उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा था। मैं उनका इकलौता बेटा था, उन्हें मुझसे बहुत लगाव था। लेकिन उनमें जो तब्दीली आयी वह मेरी कोशिशों से नहीं आयी, उसका सेहरा तो गाँधीजी के सर है; उनमें आपस में बार-बार जो बातचीत और वहसे हुई उसकी ही वजह से उनमें यह तब्दीली आयी। और यह बात याद रखिये कि गाँधीजी मुझसे हमेंगा कहते थे, “अपनी हरकतों से अपने बाप को बहुत तेज़ी से आगे ढकेलने की कोशिश न करो। ऐसी कोई बात न करो जिससे उन्हें तकलीफ हो।” ऐसी बात नहीं थी कि वह यह चाहते नहीं थे कि मैं अपने पिता को भी उस रास्ते पर ले आऊँ, लेकिन वह धीरे चलना चाहते थे क्योंकि वह मेरे पिता को पूरी तरह अपने साथ ले आना चाहते थे। और आखिर में वह इसमें कामयाब भी हो गये।

इस तरह लगातार कई बातें ऐसी हुईं जिनसे मेरे पिताजी को सोचना पड़ा और कुछ हद तक गाँधीजी की समझदारी पर भरोसा करते हुए उन्होंने वह कदम उठा ही लिया जिसे दूसरे लोग न उठा सके। वह असहयोग आंदोलन के शुरु-शुरु के दिन थे। असहयोग आंदोलन में जो कदम सबसे पहले उठाये जाने वाले थे वे तीन महीने के अंदर ही सामने आ गये। चुनाव हुए जिनका हगर्न वायकाट किया—पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे जिनके जरिये अंग्रेज अपने कुछ मुद्धार लागू करना चाहते थे। तो इस वायकाट को हैरतअंगेज हद तक कामयाबी हासिल हुई। लोग वोट देने नहीं गये, बड़ी मुश्किल का नामना था, और गलत किस्म के लोग चुन लिये गये। लेकिन सवाल यह नहीं था, किमी ने इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन गाँधीजी की इन मानदार कामयाबी से कांग्रेस के दूसरे नेता भी उनके साथ आ गये। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की जनता पर उनका कितना असर है।

इसके बाद से गाँधीजी कांग्रेस पर पूरी तरह छा गये। कुछ लोग, जिनका झुकाव कुछ-कुछ नरमदल की तरफ था, लिबरल और दूसरे लोग, कांग्रेस छोड़कर चले गये। उसी वक्त जिन्ना ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया, उनके कांग्रेस को छोड़कर चले जाने में मुसलमानों का कोई सवाल नहीं था बल्कि सिर्फ इसलिए कि अब कांग्रेस बिल्कुल ही नये किस्म का संगठन बनती जा रही थी, जिसके बड़े-बड़े इजलासों में अब कोट-पतलून पहननेवाले लोग नहीं बल्कि “महात्मा गाँधी की जय !” के नारे लगाते हुए किसान और दूसरे लोग आते थे—और इसी तरह की कई बातें थीं। एक नयी इनकलाबी ताकत आगे बढ़ रही थी। इन सब बातों का हम लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ना लाजिमी ही था। हमने इस शानदार आंदोलन को देखा, हम भी उसी का एक हिस्सा थे, हम उसकी लहर में बह गये और साथ ही हमने भी उसे आगे बढ़ाया। उस वक्त हमारे दिमाग में उसके कारगर होने के बारे में कोई शंका नहीं थी। शंका बाद में चलकर पैदा हुई और हमने इन शंकों को या तो दूर कर दिया या समय-समय पर उन्हें ज्यो-का-त्यो छोड़कर आगे बढ़ते रहे।

भाँड : लेकिन क्या उस वक्त जबकि आप जैसे नौजवानों को लड़ाई का एक रास्ता मालूम हो गया था, क्या उसी वक्त आप इस बात को समझने लगे थे कि आगे चलकर कौम को बनाने के काम में, राष्ट्र-निर्माण के काम में, गाँधीजी के फलसफे को, उनके विचारों को, लागू किया जायेगा ?

नेहरू . हाँ, यकीनन . यकीनन, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मेरा मतलब यह है उनका फलसफा तो अपनी जगह था ही, लेकिन मशीन की तरफ, मेरा मतलब है बड़ी मशीनों की तरफ, उनका जो रवैया था उसे मैं कभी समझ नहीं सका। क्योंकि मैं बड़ी मशीनों के हक में था। लेकिन इसके साथ ही उस वक्त हिंदुस्तान की जो हालत थी उसमें छोटे-मोटे घरेलू घघों पर, कुटीर-उद्योगों पर, वह जो जोर देते थे वह मेरी समझ में पूरी तरह आता था। और इसलिए बड़े-बड़े कारखाने कायम करने के बारे में वह जो कुछ कहते थे उसे सोलहो आने न मानते हुए भी मेरे लिए इतना काफी था कि उस वक्त मसले को ठीक ढग से हल किया जा रहा था।

भाँड : मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो किसी भी बाहर वाले

आदमी के लिए पूछना बहुत मुश्किल है। . बिल्कुल गैर-जानिबदारी से, बिना कोई पक्ष लिये, पश्चिम वालों की नजर से देखते हुए गाँधीवाद साफ तौर पर दो हिस्सों में बँटा हुआ दिखायी देता है। पहले आजादी का आंदोलन और बाद में कौम को बनाने का, राष्ट्र के निर्माण का सवाल। इतिहास की दृष्टि से देखते हुए तो इसमें कोई शुबहा ही नहीं है कि आजादी के आंदोलन की हैसियत से उसे बहुत कामयाबी हासिल हुई। पूरी एक पीढ़ी की जो उमरें दबी हुई थी उन्हें लड़ाई का रास्ता मिल गया। जो लोग गाँधीजी की आत्मा को आवाज पर नहीं चल सकते थे उनके दिल में थोड़े-बहुत शुबहे भले ही पैदा हुए हों, वे रास्ते से कुछ थोड़ा-बहुत हट भी गये हों, लेकिन उस आंदोलन की कामयाबी में किसी को शुबहा नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल आता है दूसरे पहलू का कौम को बनाने का, राष्ट्र-निर्माण का सवाल।

दूसरे लफ्जों में इस सवाल से हम आजकल की समस्याओं पर पहुँच जाते हैं। मान लीजिये कि गाँधीजी अभी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। मैं इसे अगर बिल्कुल साफ-साफ अलफाज में कहूँ—और मैं इतने नाजुक मसले को इतने भोटे तरीके से साफ-साफ कहने की माफी चाहता हूँ—तो गाँधीवाद का एक तो उसूल पहलू है और एक दूसरा पहलू है जो, अगर आप मुझे यह कहने की इजाजत दें,—गैरसाइसी है। उसूल पहलू में कभी-कभी ऐसा लगता है कि गाँधीवाद में नकारात्मक तत्व बहुत हैं, वजाय यह कहने के कि ऐसा होना चाहिये ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। नायद अपनी बात को साफ तौर पर समझाने के लिए मैं कुछ बड़ा-चढ़ाकर कह रहा हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता था कि गाँधीवाद “नेक गुलामो” के लिए लड़ता है। अक्सर उसमें अपनी बात पर अटल रहने की और उस तामीरी उमर की, उन सृजनात्मक उमर की कमी पायी जाती थी जो आदमी को इसानी नारीय की, इतिहास की बड़ी-बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जा रही है। और फिर यह दूसरा पहलू जिसमें अक्सर तर्क को और दलील को रद्द कर दिया जाता था। लोग पूछते हैं कि क्या इस दूसरे पहलू में, जो समझ लीजिये कि गैर-साइसी पहलू ने हिंदू धर्म की पुरानी शक्तों को, लकीर का फकीर बने रहने को बचावा नहीं दिया है?

नेहरू हाँ, यह पहलू है तो और इस पहलू की वजह से हमें काफी परेशानी भी होती थी।

बिल्कुल शुरू-शुरू में हमारा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। गाँधीजी को न तो खिलाफत के बारे में बहुत गहरी जानकारी थी और न ज़ाती तौर पर इन्हें उसमें कोई दिलचस्पी थी। लेकिन चूँकि उन्होंने यह महसूस किया कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ के मुसलमानों में हलचल है और वह इसे बहुत अहम समझते हैं, इसलिए उन्होंने उनका साथ देना अपना फर्ज समझा, और इसका मतलब था मुसलमानों में सबसे ज्यादा तास्सुबी और सबसे दकियानूसी लोगों का साथ देना।

हममें से बहुत-से लोगों के दिल में इसके बारे में तरह-तरह के सवाल उठते थे: “क्या इस किस्म के लोगों का, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, साथ देना ठीक है?” लेकिन गाँधीजी ने उनकी हिमायत की। उनकी वस एक दलील थी कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद चाहती है। वे हमारे बहुत अहम भाई हैं, उनकी हिमायत करना, आखिर तक उनका साथ देना मेरा फर्ज है। मैं समझता हूँ कि उससे एका कायम करने के सिलसिले में तो बहुत कामयाबी मिली लेकिन आगे चलकर उसके बहुत बुरे नतीजे भी हुए और उसकी वजह से मुसलमानों में वे लोग, जो ज्यादा तास्सुबी थे, जो ज्यादा दकियानूसी थे वे आगे आये। इसमें शक नहीं कि मुसलमानों के मामले में गाँधीजी बहुत फूँक-फूँककर कदम रखते थे। मतलब यह कि वह अपने-आपको या अपने ख्यालात को उन पर थोपना नहीं चाहते थे और वह उनकी बात को हमेशा मान लेते थे बशर्ते कि वे भी उनके अहिंसा के उसूल को मान लें। यह बहुत बड़ी बात थी।

जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उनके मामले में वह इतना “पीछे की तरफ जानेवाले” आदमी नहीं थे जितना कि लोग समझते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हिंदुस्तान में जात-पाँत के सवाल को ले लीजिये। मैं तो हमेशा से इसके खिलाफ था, और मेरे पिताजी भी इसके खिलाफ थे। और मैंने कई बार गाँधीजी से कहा भी: आप जात-पाँत पर सीधे-सीधे हमला क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि वह खुद जात-पाँत में यकीन

नहीं रखते और जितना मानते हैं सो वस इस हद तक कि वह अलग-अलग पेशों की एक ऐसी शकल है जिसे आदर्श बना लिया गया है, वगैरह; लेकिन वह जात-पाँत की मौजूदा शकल को बिल्कुल बुरा समझते थे और कहते थे कि उसे खत्म होना चाहिये। वह कहते थे कि अछूतों के सवाल पर वह जो कुछ कर रहे हैं उससे वह जात-पाँत की जड़ बिल्कुल खोखली किये दे रहे हैं।

आप जानते हैं - उनका काम करने का एक खास तरीका था कि वह एक सवाल को ले लेते थे और उसी पर सारा जोर देते थे। वह कहते थे कि अगर यह छूत-छात मिट जाती है तो जात-पाँत भी मिट जायेगी, इसलिए मैं उसी पर सारा जोर दे रहा हूँ। उनकी बात में भी कुछ दलील थी और हमने देखा कि जो पुराने सुधारक, इन सवालों पर सिर्फ़ दिमागी बहस करते थे, उनका जनता पर कोई असर नहीं पड़ता था। वे लोग सिर्फ़ हवा में काम करते थे जबकि गाँधीजी ने जनता में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी थी और समाज में बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ कर दी थी। इसलिए उन्होंने छूत-छात के सवाल को लेकर सारा जोर उसी पर लगाया, और आखिर में चलकर इस सवाल का असर जात-पाँत के पूरे सवाल पर पड़ा।

भाँड . तो क्या हम यह कह सकते हैं कि गाँधीजी को कई सवालों में से बुनियादी बात को निकाल लेने में कमाल हासिल था ?

नेहरू हाँ, आप कह सकते हैं. लेकिन बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं थी, उन्हें यह भी कमाल हासिल था कि वह उस कमजोरी को पकड़ लेते थे जिससे सारी बुनियाद को हिलाया जा सकता था।

भाँड आपका मतलब है वह बुनियादी बात जिस पर सारे सवाल का दारोमदार होता था

नेहरू : जी हाँ, जिस पर सारे सवाल का दारोमदार होता था। या जिसे फौजी जवान में दुश्मन के सबसे कमजोर मोर्चे पर हमला करना कहते हैं; उसकी मोर्चेबंदी को तोड़कर घुस जाना। एक द्वार जहाँ इसमें काम-यादी हो गयी तो समझ लीजिये पूरा मोर्चा टूट गया।

देखिये बात यह है. कि उनका तरीका यह नहीं था कि आम लोग जिन बातों में पकका यकीन रखते हों उन सवालों पर उन्हें छेड़कर उनमें झुंझ-

लाहट पैदा की जाये। वह उन बातों को बहुत बड़ी हद तक इसलिए मान लेते थे कि वह उन पर यकीन रखते थे। फिर भी जब वह किसी एक बात को लेकर उस पर भरपूर हमला करते थे तो उससे सचमुच और सभी सवालों के बारे में भी लोगों के सोचने के ढग पर असर पड़ता था। बाद के बरसों में, उन्होंने जो बयान दिये या उनका सोचने का जो ढग था उसमें उन्होंने अपने हमलें को और फैलाया, लेकिन सारा जोर वह किसी एक खास बात को लेकर उसी पर लगाते थे। आप यह भी याद रखिये कि गाँधीजी अपने लगभग सभी भाषणों में जानबूझकर इस बात का ख्याल रखते थे कि वे ऐसे न हों कि सिर्फ पढ़े-लिखे विद्वान् ही उन्हें समझ सकें। वह हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हिन्दुस्तान के आम लोगों पर उनकी बातों का क्या असर होगा।

इसलिए वह सीधे-सादे लफ्जों का इस्तेमाल करते थे, वह घरेलू मिसालें देते थे। मिसाल के तौर पर वह हमेशा राम-राज्य की बात कहते थे। आपने पहले राम के बारे में सुना तो होगा? वह हिन्दुस्तान की पौराणिक कथाओं के ऐसे नायक हैं जिन्हें लोग आदर्श मानते हैं। राम-राज्य का मतलब होता है राम का राज्य, जिसका मतलब है एक ऐसा राज्य जिसमें सबका कल्याण हो। मेरे जैसे आदमी को यह बात ऐसी लगती थी जैसे कोई पुराने जमाने की बहुत पिछड़ी हुई हालत में वापस जाने की बात कर रहा हो, लेकिन राम-राज्य एक ऐसा लफ्ज था जिसे हिन्दुस्तान का एक-एक गाँववाला समझता था। यह मुमकिन है कि कभी-कभी वह उसे उस माने में न समझता हो जिस माने में कि मैं चाहता हूँ कि वह समझे, लेकिन फिर भी वह जो कुछ सोचता है उसकी तसवीर इस लफ्ज से उसके सामने आ जाती है। तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि गाँधीजी हमेशा जनता के बारे में सोचते रहते थे और यह ख्याल रखते थे कि हिन्दुस्तानी क्या चाहते हैं और वह सही रास्ते पर उन्हें आगे ले जाने की कोशिश करते थे, वह यह कोशिश करते थे कि हिन्दुस्तानी धीरे-धीरे ज्यादा-से-ज्यादा बातों के बारे में सोचें लेकिन साथ ही वह इस बात का भी ख्याल रखते थे कि कहीं वह बिल्कुल ही उलझ न जाये या उनकी हिम्मत बिल्कुल ही टूट न जाये।

मॉड मतलब यह कि वह बहुत दूर तक की योजना बनाते थे, धीरे-धीरे

लोगो के दिमागो को एक नये साँचे मे ढालने और उनमे एक खास रवैया पैदा करने का रास्ता तैयार करते थे। . . .

नेहरू : हाँ, यकीनन यह बहुत दूर तक ले जानेवाला रास्ता तो होता था, लेकिन साथ ही फौरन अमल करने का भी रास्ता होता था। इस पर अमल फौरन किया जाता था। आप करोडो लोगो को एकदम से नये तरीके से सोचने पर मजबूर नही कर सकते; आप उन्हें अचानक उस समाजी ढाँचे से अलग नही कर सकते जिसकी उन्हें सैकडो-हजारो वरसो से आदत पड चुकी है।

गाँड . तो इसका मतलव यह है, अगर आप मुझे यह कहने की इजाजत दे, कि गाँधीजी ने आपको “रूहानी ताकत” नही दी बल्कि आपको एक रास्ता बताया, एक तरीका सिखाया, और यह सिखाया कि किसी काम को करने के जो तरीके हो वह हमेशा अच्छे होने चाहिये।

नेहरू जी हाँ, लेकिन मैं एक बात यह बता देना चाहता हूँ कि गाँधीजी से मेरे जो मतभेद थे उनके बावजूद मैं दिन-ब-दिन इस बात पर ज्यादा यकीन करने लगा कि गाँधीजी एक सही किस्म की बहुत बड़ी इनकलाबी ताकत हैं। यानी एक ऐसी ताकत जो सिर्फ थोडे-से गिने-चुने लोगो को नही बदलती बल्कि सभी लोगो को अपनी लपेट मे ले लेती है।

आप जो “रूहानी ताकत देने” की बात करते हैं तो मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना कुछ मुश्किल है। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर मैं यह जरूर कहूँगा कि उन्होंने मुझे एक खास किस्म की “रूहानी ताकत” दी—मोटे तौर पर; उस माने मे नही जिसमे कि मजहदी लोग “रूहानी ताकत” का मतलव समझते हैं।

खैर, फिर वह सवाल है जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि किसी काम को करने के लिए कौन-से तरीके इस्तेमाल किये जाये। मुझमे यह यकीन पैदा होता गया कि यह बात हमेगा बहुत अहमियत रखती है और यही बुनियादी बात होती है कि कौन-से तरीके इस्तेमाल किये जाये, हालाँकि यह दुर्दरती बात है कि मियासत मे, राजनीति मे आदमी को हमेगा दो बुराइयो मे मे जो कम बुरी हो उने चुनना पडता है। कोई नेता अपने-आपको जनता मे अलग नही कर सकता, बिल्कुल अलग नही कर सकता। मुमकिन है कि वह

उनसे कुछ फासले पर हो, उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो या उन्हें आगे ढकेल रहा हो। लेकिन अगर वह अपने-आपको उनसे बिल्कुल अलग कर लेता है तो वह बड़ा आदमी भले ही हो लेकिन नेता नहीं है। वह हालात से वाकिफ नहीं रह जाता, उसका हाथ वक्त की नब्ज पर नहीं रह जाता। इसलिए उसे समझौता करना पड़ता है। लेकिन असल बात तो यह है कि उसे किसी बुनियादी उसूल पर समझौता नहीं करना चाहिये।

शुरू-शुरू में मुझ पर गाँधीजी का जो असर पड़ा उसका नतीजा यह हुआ कि मेरी जिदगी में बहुत सादगी आ गयी। मिसाल के तौर पर मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। मैंने कोई पाँच-छ साल तक सिगरेट नहीं पी। मैं नहीं समझता कि इसकी वजह सिर्फ यह थी कि मैं अपने-आपको “बेहतर” बनाना चाहता था, बल्कि इसकी तीन वजहें थी। एक तो यह कि मैंने सोचा कि मैं पैसा बरबाद करता हूँ। हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है। मैं जो थोड़ा-बहुत पैसा इस पर खर्च करता हूँ उसे किसी ज्यादा अच्छे काम में लगाया जा सकता है। दूसरा था अपने ऊपर काबू रखने का, डिसिप्लिन का ख्याल यह ख्याल कि आखिर मैं आदत का गुलाम क्यों हूँ? तीसरे यह कि अगर मुझे सबके सामने सिगरेट पीना पसंद नहीं तो मैं अकेले में क्यों पिऊँ। मतलब यह कि मैं सबके सामने भीड़ में, सिगरेट पीना नहीं चाहता था, इसलिए किसी ऐसे काम को, जिसे मैं सबके सामने नहीं करना चाहता था, छुपकर करना ईमानदारी की बात नहीं थी।

माँड क्या इस नयी नैतिक प्रेरणा के असर में आप मुख्तलिफ बातों के बारे में अपने रवैये को नये सिरे से जाँच रहे थे?

नेहरू हाँ, नैतिक प्रेरणा तो थी। मैंने गोश्त खाना भी छोड़ दिया। इसका फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं था। इससे मेरे रहन-सहन में सादगी पैदा हो गयी और उसके साथ ही मैं कुछ कमखर्च हो गया। गाँधीजी ने बहुत-से लोगो पर इस तरह का असर डाला। इससे हमारा रहन-सहन का पूरा तरीका बदल गया। इसके अलावा मैंने अकसर गीता पढ़ी थी और वह मुझे अच्छी लगी थी। मैंने उसे कई बार पढ़ा। फलसफे या मजहब की नजर से नहीं बल्कि उसके कई हिस्से ऐसे थे जिनका मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा।

मसलन इस किस्म की बातें कि अगर आदमी अच्छे काम करता है तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होता है।

धीरे-धीरे मैं इस ख्याल पर गौर करने लगा कि मैं अपने सोचने के साइसी ढंग को इस तरफ क्यों न लगाऊँ और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि कुदरती बात है कि हर काम का एक नतीजा होता है। हर अच्छे काम का उसी हद तक अच्छा नतीजा होना चाहिये, हालाँकि ऐसा होना यकीनी नहीं है, और फिर कही-न-कही जाकर हर बुरे काम का बुरा नतीजा भी होना चाहिये।

भांड : लेकिन इस खास दौर में आप में जो ये ख्यालात पैदा हुए, उसकी वजह से—रूस में जो कुछ हो रहा था उसकी कशिश के बावजूद—साइसी समाजवादी उसूलों की तरफ आपका जो कुछ-कुछ झुकाव था उसके और इस शानदार नयी हकीकत के बीच, सही तरीके की इज्जत करने के बीच क्या एक साफ दरार नहीं पड़ गयी? क्या इसकी वजह से आप छोटी-मोटी दिमागी कशमकश में नहीं पड़ गये?

नेहरू . मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हुई हो, उस किस्म की कोई कशमकश पैदा नहीं हुई क्योंकि सोशलिज्म में, समाजवाद में मेरा यकीन दिन-ब-दिन बढ़ता गया। कुछ हद तक कम्युनिज्म में भी, साम्यवाद में भी मेरा यकीन बढ़ता गया, उसके अमली पहलू में नहीं बल्कि उसके उसूलों में. आगे चलकर कभी कम्युनिस्ट समाज के कायम होने में। लेकिन इसके साथ हमेशा मेरी धर्त यह रही है कि जो रास्ता इसके लिए अपनाया जाये वह अमन का रास्ता हो, शांति का रास्ता हो, मोटे-मोटे तौर पर शांति का रास्ता हो, और कोई गलत तरीके न इस्तेमाल किये जाये। यह कहना मुश्किल है कि इन दोनों चीजों का एक साथ होना मुमकिन है कि नहीं।

लेकिन मुझे इन बातों का पक्का यकीन है कि कुछ कम्युनिस्ट समाजों में जो तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं, मेरा मतलब है बहुत ज्यादा जोर-जबर्दस्ती और जुल्म करने के जो तरीके हैं, वह सही तरीके नहीं हैं। अलबत्ता मैं इस बात को नमन सयता हूँ कि कुछ मामल हालात में कुछ बातें हुईं। किसी को इसके लिए इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर मैं इन बातों को नमन भकना हूँ कि रूस में जिन वकत इनकावाव हुआ उस वकत तम लडाई में

कता हो जायेगी जब तक आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज न लाकर रख दें

तो गाँधीजी ने सघर्ष में, आदोलन में यह सख्त डिसिप्लिन पैदा किया और हम लोग तादाद में तो बहुत थे ही, हमारा सगठन भी बहुत बड़ा हो गया। सिर्फ यही बात नहीं थी कि हमारे सगठन में डिसिप्लिन थी, बल्कि हमने इससे भी बड़ी विरादरी की शकल अख्तियार कर ली थी जिसमें एक-दूसरे के साथ सबके ताल्लुकात बहुत गहरे थे, आप कह सकते हैं कि हमारा सगठन एक बहुत बड़ा परिवार था। और इस परिवार में एका गाँधीजी ने कायम किया था। उसमें अलग-अलग सवालो पर लोगो की अलग-अलग राये थी लेकिन जहाँ तक अग्रेजो के खिलाफ लड़ने का सवाल था सबकी राय एक थी। आपस में इस किस्म के विरादरी जैसे रिश्तो की वजह से हम एक-दूसरे को बर्दाश्त करते थे और जिन लोगो से हमारा मतभेद भी होता था उनकी भी हम इज्जत करते थे। आगे चलकर हमें इससे बहुत ज्यादा मदद मिली। आप देखते हैं कि दूसरी पार्टियो में जहाँ कोई मतभेद होता है वे दो टुकडो में बँट जाती है और उनमें अपनी राय के आगे किसी की न सुनने का रवैया पाया जाता है। कांग्रेस की बुनियाद इतनी लम्बी-चौड़ी थी कि उसमें इस किस्म की तग-नजरी की गुजाइश ही नहीं थी।

माँड क्या यह बात सब लोगो के बारे में सच है या सिर्फ उन इने-गिने लोगो पर लागू होती है जो गाँधीजी की पीढी के थे।

नेहरू हाँ, वह एक तरह से सभी लोगो पर लागू होती थी, लेकिन यह जरूर है कि जो लोग गाँधीजी की पीढी के थे उनके बारे में यह बात ज्यादा सच थी, और धीरे-धीरे यह बात कम होती जायेगी। क्योंकि हम लोग तो सघर्ष के दिनों से ही एक-दूसरे के साथ बँधे हुए हैं। जैसे-जैसे हम लोग मरते जायेंगे, नये लोग हमारी जगह लेते जायेंगे। वे लोग भी कुछ हद तक तो हमसे यह सीखेंगे, लेकिन धीरे-धीरे यह रग हल्का पडता जायेगा। दूसरी ताकते मैदान में आयेगी—वह कौन-सी ताकते होगी, मैं कह नहीं सकता। पिछले दस बरसों से हम इसी बात के सहारे काम करते आये हैं। जैसा कि आजादी की लड़ाई के दिनों में होता था, हम इस बात की वजह से इस जमाने में भी हमेशा कोई-

न-कोई ऐसा रास्ता निकालने में कामयाब हुए जिसमें हम सब लोग मिलकर साथ काम कर सकें। मतलब यह कि जब हमारी राय किसी सवाल पर एक न भी हो तब भी हम अलग-अलग हिस्सों में बँट न जायें। हम साथ मिलकर काम करते रहें। आप इसे यों समझ लीजिये कि हमने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे हम हमेशा कोई ऐसा रास्ता ढूँढ लेते थे जिसे सब लोग मानने पर तैयार हों। हमारे रवैये में यह बात थी कि कहीं पर दूसरे के सामने हम दब गये और कहीं पर हमारी बात के आगे दूसरा दब गया। हम उतनी आसानी से अलग-अलग हिस्सों में बँट नहीं जाते थे जैसे कि बाये दल के आंदोलन या समाज-वादी आंदोलन उसूलों या सिद्धांतों के सवाल पर बँट जाते हैं।

उसके बाद आजादी आयी। आजादी के साथ ही मुल्क का बँटवारा भी हो गया और उसके बाद पाकिस्तान में और उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत खून-खराबा हुआ और लोगों पर बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आयीं। वह एक ऐसा खौफनाक तजुर्वा था जिससे हम लोगों के दिल बिल्कुल टूट गये। मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं कि गाँधीजी को इसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ जैसे उनके जिदगी भर के काम पर पानी फिर गया... दोनों तरफ से जो हजारों-लाखों लोग मारे गये और उसके पीछे जो नफरत छिपी हुई थी इन बातों की वजह से। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस नफरत की वजह से थी। मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि "अगर कोई अपने दिल में तलवार छुपाये हो तो उसे दिल में छुपाये रहने से तो कहीं अच्छा है कि वह उसे निकालकर चला दे।"

उनके लिए यह बहुत ही तकलीफदेह बात थी और इसके कुछ ही दिन बाद तो वह मर गये—उन्हें मार डाला गया। लेकिन यह सब-कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ा तजुर्वा था।

खैर, हम लोगों ने किसी तरह यह बोझ अपने दिल पर से उतारा। यह बोझ उतर जाने से हमारी ताकत कुछ और बढ़ी, हमारे दिल कुछ मज़बूत हो गये, हमें ऐसा लगा कि हमने एक ऐसा बोझ अपने ऊपर से उतार दिया है जिगने भारी बोझ कभी भी हमारे ऊपर नहीं गिर सकता; अब हम हालत ऐसी बुरी कभी नहीं होने देंगे। तो इस तरह हमारे दिलों में अपने-आप पर

भरोसा पैदा हुआ, अपने देश की जनता पर भरोसा पैदा हुआ। उसके बाद से तो दरअसल रोज़मर्रा के सवालो में ही सारा वक्त जाने लगा, बहुत आगे की बात सोचना एक तरह से छूटता गया और धीरे-धीरे हम राजनीति की सतह से आर्थिक और समाजी सवालो की सतह पर आते गये वही सवाल हमारे सामने थे।

शुरू से ही, जब मैं सरकार का अग बना उसके कोई महीने भर के अदर ही, हम लोग योजना बनाकर काम करने की बात सोचने लगे। पहले भी मैं प्लैनिंग कमीशन का मेम्बर था। हमने कई कमेटियाँ वगैरह भी बना दी . . लेकिन असल काम को कुछ दिन के लिए टाल देना पडा क्योंकि कोई साल भर तक हम इन मुश्किलो और परेशानियो को हल करने में पडे रहे। ये सब सवाल मिलकर कश्मीर के झगडे में और इसी तरह के दूसरे झगडो में मिल गये। कोई साल भर तक तो हम इसी में फँसे रहे कि किसी तरह अपने-आपको इस मुसीबत में डूब जाने से बचाये रखे।

इसके बाद धीरे-धीरे हमें कुछ इतमीनान मिला और हम अपने सवालो को हल करने की कोशिश करने लगे। इसमें भी सबसे पहले हमारे सामने शरणार्थियो का सवाल था जिसे फौरन हल करना जरूरी था, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, कोई सत्तर लाख रहे होंगे। यह सिलसिला दो-तीन साल तक चलता रहा। फिर खाने-पीने की चीजो की कमी का सवाल था और इसी तरह के दूसरे सवाल थे। आखिरकार हमने सचमुच योजना बनाने का काम शुरू किया, जिसके नतीजे के तौर पर पहली पंचवर्षीय योजना तैयार हुई कोई बहुत बडी योजना नहीं थी वह, फिर भी एक कोशिश थी। यहाँ भी, इस काम में भी, लोगो की अलग-अलग राये थी, उनमें टक्कर होती थी, उसमें से कोई रास्ता ढूँढ निकालने की कोशिश हो रही थी—सब रास्तो को मिलाकर एक रास्ता मालूम करने की कोशिश, इस धमकी के साथ नहीं कि “या तो यह करना होगा नहीं तो यह”, बल्कि काम चलाते रहने के लिए कभी-कभी कुछ नीचे उतरकर भी किसी बात को मान लेना, और कभी दूसरो को कुछ ऊपर चढने पर मजबूर करना और इस तरह धीरे-धीरे हमारा काम चलता रहा है।

मैं नेहरू से मिला

अब आप अगर मुझसे यह पूछना चाहते हैं कि मुझे क्या तब्दीलियाँ हुई हैं तो मेरे लिए शायद इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी जिदगी में सिर्फ एक बड़ी तब्दीली हुई है और वह भी पलक मारते हो गयी . और उस तब्दीली की बुनियाद थे गाँधीजी । आप कह सकते हैं कि उसके बाद से मेरी जिदगी का, मेरे ख्यालात का भी और मेरी बाहरी जिदगी का भी स्वरूप ही बिल्कुल बदल गया । . उसके बाद से जो तब्दीलियाँ हुई हैं वह इतने धीरे-धीरे हुई हैं कि पता भी नहीं चला और जिस वक्त ये तब्दीलियाँ हुई उस वक्त अगर कोई मुझसे पूछता तो शायद मैं बता भी न पाता कि कोई तब्दीली हुई भी है कि नहीं । लेकिन इससे तो इकार नहीं किया जा सकता कि जब आदमी अब से समझ लीजिये बीस बरस पहले की अपनी बातों पर नजर डालता है तो वह अपने-आपसे सवाल करता है, अब मेरी क्या राय है उन बातों के बारे में ?

कोई एक महीना हुआ मैं एक खत पढ रहा था जो बहुत अरसा हुआ मैंने गाँधीजी को लिखा था ।^१ यह खत छप भी चुका है । शायद आपको इस खत में दिलचस्पी हो । . यह खत मैंने बहुत गुस्से में लिखा था . . .

माँड . कब लिखा था यह खत आपने ?

नेहरू . जब मैं अपनी बीवी की बीमारी की वजह से दस दिन के लिए जेल से बाहर आया था । आपको उसमें गुस्सा दिखायी देगा । उसमें खास तौर पर समाजी सवालो पर रोशनी डाली गयी है । मैंने गाँधीजी को लिखा था, आप इन सवालो के बारे में जो कुछ कहते हैं, उससे आखिर आपका मतलब क्या है ? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सोशलिज्म की या समाजवादी विचारो की कुछ बुराई की गयी थी । बहुत गुस्से से भरा हुआ खत था वह, बहुत लम्बा-सा खत था ।

मैं कह नहीं सकता कि मैं उस ज़माने के मुकाबले में बहुत बदल गया हूँ । लेकिन होता ही है कि जब आदमी कोई जिम्मेदारी सँभालता है तो उसका

*यह खत जवाहरलाल नेहरू ने १३ अगस्त १९३४ को गाँधीजी को लिखा था और यह डी० जी० तेंदूलकर द्वारा संकलित अंग्रेजी में गाँधीजी की आठ खंडो वाली जीवनी के तीसरे खंड में प्रकाशित हुआ है ।

मिज़ाज कुछ नर्म पड़ जाता है, उसमें सजीदगी आ जाती है। उसे दूसरो को साथ लेकर चलना पड़ता है। मेरे सामने हमेशा यह मुश्किल रहती है कि मैं लोगो को अपने साथ लेकर नहीं चल पाता। और बातो को तो जाने दीजिये जब मैं किसी को अपनी बात समझा नहीं पाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इस बात पर कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले चल सका।

माँड आर्थिक योजनाएँ चलाने में शायद अक्सर मजिल और रास्ते का सवाल उठ खड़ा होता है यानी यह कि हम क्या करना चाहते हैं और उसके लिए हम कौन-से तरीके इस्तेमाल करें। तेज़ी से काम करने का सवाल बहुत बड़ा सवाल होता है।

नेहरू . नहीं यह बात नहीं है। . तेज़ी से काम करने का सवाल तो ख़ैर होता ही है। लेकिन आर्थिक योजनाएँ चलाने में मजिल और रास्ते के सवाल से आपकी क्या मुराद है? हम एक जम्हूरी ढाँचे, लोकतांत्रिक ढाँचे के अदर रहकर काम कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट किसी बात को मान लेती है तो वही जम्हूरी तरीका है, वही लोकतंत्र का रास्ता है। जब भी कोई तब्दीली होती है तो उससे कुछ लोगो को तकलीफ तो होती है, हर समाजी तब्दीली। .

माँड और तब्दीली न होने का मतलब यह हो सकता है कि और ज्यादा लोग तकलीफें उठाये

नेहरू जी हाँ, तकलीफें उठा रहे हैं लोग। लेकिन आप इस तरह से देखिये बराबरी पैदा करने के लिए, चाहे आप उन पर टैक्स बढ़ा दें, जिससे उनकी तकलीफें कुछ थोड़ी-सी बढ़ जाती है, या चाहे आप जमींदारो से उनकी ज़मीन-जायदाद ले लें हम उन्हें मुआवज़ा देते हैं लेकिन जाहिर है कि यह मुआवज़ा पूरा नहीं होता है। मतलब यह कि हम बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, हम ज़बर्दस्ती उनसे उनकी जमीन-जायदाद छीन नहीं लेते। आर्थिक योजनाएँ चलाने में, मजिल और रास्ते का सवाल नहीं उठता। मेरा मतलब है कि जम्हूरी निज़ाम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सवाल पैदा नहीं होता। अगर आप किसी बात को इस निज़ाम से, इस व्यवस्था से मज़ूर करा लें, तो सब-कुछ ठीक है

मॉड . यह तो ठीक है लेकिन मै समझता हूँ कि आपको इस मुल्क में लोग इतना मानते हैं कि आपको इस बात की जरूरत ही नहीं कि लोगो से जब-दँस्ती अपनी बात मनवाये या किसी को गोली से उडवा दे; मुल्क मे आपकी इतनी साख है कि आप इस लोकतांत्रिक ढाँचे को भी ठोक-पीटकर जैसा चाहे ढाल सकते हैं। प्रधान मंत्रीजी, आप मुझे माफ करे, एक बार अपने एक मज-मून मे मैने आपकी मिसाल एक ऐसे वुततराश से, एक ऐसे मूर्तिकार से दी थी जो रवादारी और पच्छिमी मुल्को के उदारवाद जैसे नाजुक औजारो से पत्थर के एक बहुत बडे टुकडे को काटने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ज्यादा देर इतजार नही कर सकते, और आप चाहते हैं कि वह पत्थर जल्दी-से-जल्दी उस मूरत की सही-सही शकल अख्तियार कर ले, इस ख्याल से अगर आप हथौड़े का, घन का इस्तेमाल करना चाहे और एक भरपूर चोट लगाना चाहे तो उस सूरत मे तो कुछ भले-बुरे का सवाल जरूर पैदा हो जाता है। उस वक़्त मजिल और रास्ते का सवाल उठता है।

नेहरू : दरअसल . मै कह नहीं सकता . उस खास सूरत मे मुमकिन है कि ये सवाल उठते हो।

देखिये, बात यह है जब कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमे एक-दूसरे के अदर छोटे-बडे कई हलके होते हैं जो सब अपनी-अपनी जगह पर अपना-अपना काम करते रहते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान की आम जनता है, बहुत बडी जनता है वह। और यह बात कुछ अजीब तो मालूम होगी लेकिन मुझे सीधे उनके साथ बातो को तै करने मे बडी आसानी होती है। मै उनसे काफी खुलकर बाते करता हूँ। छोटी-छोटी कमेटियो के मुकाबले मे बडी भीड के सामने मै अपने दिल की बात हमेशा ज्यादा खुलकर रख सकता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल मे उनसे खुलकर बात करने की एक ख्वाहिश रहती है क्योकि वह मेरे साथ खुलकर बाते करते हैं। हालाँकि मुझमे और उनमे बहुत फर्क है लेकिन उनके साथ मै एक खास किस्म का अपनापन महसूस करता हूँ। फिर बडी-बडी कमेटियाँ होती है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस है जिसके काम मे हजारो लोग हिस्सा लेते हैं, फिर समझ लीजिये पाँच सौ आदमियो की कमेटी होती है, फिर यह पद्रह आदमियो का मन्त्रिमडल है—तो

इस तरह एक-दूसरे के अदर ये छोटे-बड़े हलके एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे सब अलग-अलग अपनी-अपनी तरफ भी खींचते रहते हैं।

मुमकिन है लोग मुझे बहुत मानते हो। और यह सच भी है। लेकिन मैं अकेला अपनी मर्जी से तो काम नहीं कर सकता। मुझे अपने साथियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, मुझे उन्हें अपने साथ लेकर, या उनके साथ होकर चलना पड़ता है। बात यह है कि बहुत-सी बातें होती हैं जिनका आदमी के काम पर असर पड़ता है और जिनकी वजह से उस पर कुछ पावदियाँ भी लग जाती हैं।

साँड हम एक बहुत अहम सवाल पर आ गये हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम किसी दूसरे मौके पर उस पर ज्यादा तफसील के साथ बातें करेंगे। वह सवाल है हिंदुस्तानी ढाँचे में जम्हूरी निज़ाम का, लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सवाल।

लेकिन आपने अभी जो इस बात का जिक्र किया है कि आपके दिल में जनता के बीच रहने की एक कुदरती ख्वाहिश है, तो जनता के साथ रहने से क्या आपके दिल में कभी यह गुवहा नहीं पैदा होता कि आपके और जनता के बीच जो सस्थाएँ कायम हैं उनकी वजह से काम की रफ्तार धीमी हो जाती है?

नेहरू पैदा होता है जरूर पैदा होता है लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ सस्थाओं का होना विल्कुल जरूरी है। वरना चारों तरफ गडबड़ी फैल जाये, किसी पर कोई रोकथाम ही न रह जाये।

साँड अच्छा, एक वार आपने अपने एक गुमनाम मजमून में, जिसका इतने लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं कि मुझे यकीन है कि आप पछताते होंगे कि आपने वह मजमून लिखा ही क्यों—उस मजमून में आपने लिखा था कि आपका कुछ झुकाव डिक्टेटर बनने की तरफ है, जिसका मतलब है कि आपमें एक खास किस्म की वेसब्री है

नेहरू . यह बात तो है। . वह मजमून मैंने, कहना चाहिये, विल्कुल मजाक में लिखा था, एक तरफ थी, मुझे उस खत को लिखने में मजा आया। मुझे याद है कि मैंने एक दिन रात को यो ही बैठे-बैठे अपना दिल खुश करने

के लिए वह खत लिख डाला था; और वह खत मैंने अपने एक दोस्त को भेज दिया था। मैंने उसे टाइप तक नहीं करवाया था। उसके बाद बगैर मेरा नाम दिये उन्होंने उसे एक रिसाले के पास भेज दिया और वह छप गया। साल-दो साल तक तो किसी को पता भी नहीं चला कि वह खत किसने लिखा था।

मुझे यह जानने में बड़ी दिलचस्पी थी कि लोगो पर उसका क्या असर हुआ।

मॉड : इसी दिशा में अगर हम कुछ और आगे जाये, तो हाल ही में आप जो रूस और चीन का दौरा करके आये हैं उसके हालात पढने से यह मालूम होता है कि आपने जो कुछ देखा उसकी आपके दिल पर बहुत गहरी छाप पड़ी। आप पर इस दौरे का जो असर हुआ है उसे देखते हुए अगर हम इस बात पर गौर करें कि हिंदुस्तान में काम करने का जो जम्हूरी या लोकतांत्रिक तरीका है उसमें पहले कानून बनाने और फिर उसके मुताबिक काम करने की वजह से बहुत धीमी रफ्तार से ही तरक्की हो सकती है; उस सिलसिले में आप अपने इन मुल्को के दौरे से क्या नतीजे निकाल सकते हैं?

नेहरू : यह बहुत बड़ा सवाल है। हम बाद में इस पर गौर करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा।

इस बहुत बड़े सगठन के असर को देखते हुए, मेरा मतलब कांग्रेस से है, और खुद अपने असर को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसे हम यहाँ जम्हूरी तरीके से पूरा न कर सकते हो। दूसरे मुल्को में मुमकिन है, हालत इससे विल्कुल अलग हो।

यहाँ, जहाँ तक जनता का सवाल है, वह उस हद तक जाने को तैयार है जिस हद तक आप उसे ले जा सकते हो। वह रास्ते में कभी स्कावट नहीं डालेगी। स्कावट तो कुछ निजी हितों में पड़े बड़े-बड़े पैसेवाले और दूसरे लोग डालते हैं। मैं "पैसेवालो" को बुरा नहीं कह रहा। मैं इन "पैसेवालो" को बदलना चाहता हूँ। मैं उन्हें जड से उखाड़ फेंकना नहीं चाहता। दरअसल मेरा ख्याल तो यह है कि दूसरे मुल्को के मुकाबले में यहाँ हिंदुस्तान में अगर उनसे कोई बात समझाकर कही जाये तो वह ज्यादा आसानी से मान जाते हैं। मुमकिन है ऐसा जनता के दवाव की वजह से होता हो; या मुमकिन है कि

हमारा आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ा है उसकी वजह से ऐसा हो। मुमकिन है कि वे इस बात को समझने लगे हो कि इतने बड़े आंदोलन के खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं। कुछ भी हो, वे बात मान लेते हैं। अपनी ताकत भर वह दबाव डालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर कोई बात कर दी जाती है तो उसे वे मान लेते हैं।

इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जम्हूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल, अगर मुझसे पूछिये तो ज्यादा दिक्कत "सर-मायादारो" या किसी खास गिरोह या जमाअत की वजह से नहीं होती बल्कि दिक्कत पैदा होती है किसी काम को चलानेवाली खुद इन छोटी-छोटी जमाअतों में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय होने की वजह से, जैसे सरकार में या ऐसी ही दूसरी जमाअतों में, अलग राय होने का मतलब यह नहीं है कि वे लोग खिलाफ होते हैं, लेकिन फर्क तो होता ही है। लेकिन माफ कीजियेगा, मुझे अब जाना है।

माँड अच्छी बात है, प्रधान मंत्रीजी अगर आप इजाजत दे तो आज की बातचीत का सिलसिला खत्म करते हुए मैं आपसे एक बहुत ही जाती किस्म का सवाल पूछूँगा

एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें सड़क पर एक अघेड उम्र के आदमी की मुलाकात एक नौजवान से हो जाती है, उनमें बातचीत शुरू होती है और वह नौजवान आदमी उस अघेड उम्र के आदमी पर सवाल की वीछार शुरू कर देता है, जैसा कि हर नौजवान की आदत होती है। उसके सवाल भी शिकायतों और दूसरों को कसूरवार ठहराने की कोशिशों से भरे हुए हैं क्योंकि नौजवान किसी ऐसे ख्याल या राय को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसकी राय के खिलाफ जाती हो। उनकी बातचीत में कुछ गरमी बढ़ जाती है और कुछ देर बाद उस अघेड उम्र के आदमी को ऐसा लगता है कि वह नौजवान और कोई नहीं बल्कि खुद मैं ही हूँ जैसा कि मैं अठारह बरस की उम्र में था।

अब प्रधान मंत्रीजी, मान लीजिये कि आपकी मुलाकात खुद अपने-आपसे होती है, जैसे कि आप अठारह बरस की उम्र में थे? आपका क्या ख्याल है,

आपको क्या-क्या शिकायतें सुनने को मिलेंगी ? और आप इस गुस्ताखि नौजवान को क्या जवाब देंगे ?

नेहरू मैं समझता हूँ हम दोनों में बहुत दिलचस्प बहस होगी। मुमकिन है कुछ गरमागरमी भी हो जाये। लेकिन बहस बहुत दोस्ताना होगी और हम दोनों एक-दूसरे की बात को समझेंगे।

झॉड दोनों उम्त्रों में रवादारी और बर्दाश्त ?

नेहरू . हाँ, मेरा ख्याल तो यही है। . . कुछ तो इस वजह से कि मेरे लिए खुद अपने बारे में कोई राय कायम करना मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इस वजह से भी कि मेरे अंदर अभी तक कहीं-न-कहीं वह वीस-तीस बरस के नौजवानों वाली बात मौजूद है। इसमें तो शक नहीं कि मैं बदल गया हूँ लेकिन नौजवानों से मेरा रिश्ता बिल्कुल ही टूट गया हो ऐसी बात नहीं है।

लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ : अपनी जिदगी में मेरे ऊपर जो कुछ बीती है, जो मायूसियाँ मुझे हुई हैं, जो भरम टूटे हैं, उन सबके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत दिन के लिए हिम्मत हार के बैठ गया हूँ।

ऐसा कहने के लिए मेरे पास कोई वजह या दलील तो है नहीं लेकिन मुझमें मुस्तकविल के बारे में, भविष्य के बारे में एक यकीन है, हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में, दुनिया के भविष्य के बारे में। यह यकीन क्यों है मुझमें, इसकी मेरे पास कोई दलील नहीं है और जब मैं इसकी वजह सोचने बैठता हूँ तो दुनिया भर के दूसरे विचार मेरे दिमाग में आने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक तो इस यकीन को कायम रहने में इस बात से मदद मिलती है कि मेरी सेहत निस्वतन कुछ अच्छी है। मुझमें जिदगी में हिम्मत से काम लेने और खुश रहने की एक उमंग है, काम करने की और आमतौर पर कुछ-न-कुछ करते रहने की एक उमंग है। और इससे मुझे बहुत सहारा मिलता है, मेरी हिम्मत कभी पस्त नहीं होती।

तिवौर मांड आज हम अपनी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करेंगे जो शायद पच्छिमी मुल्को के लोगो के दिमाग मे सबसे पहले उठता है उस सवाल से जिसे हम सीधे-सादे लफ्जो मे पच्छिमी मुल्को की चौधराहट को चुनौती कह सकते है।

इस मसले का कुल निचोड यह है कि अब तक जो पच्छिमी मुल्क तमाम दुनिया पर छाये रहे है उनके कुछ मनसूबे और इरादे है और दूसरी तरफ बाकी दुनिया के रहनेवालो की भी कुछ मुनासिब मुरादे और उमगे है, इन दोनो के बीच समझौता कैसे कराया जाये। इस बात को भी हम थोडे से अलफाज मे इस तरह कह सकते है कि पिछली दो या तीन सदियो से पच्छिमी मुल्क बाकी तमाम दुनिया के मिजाज को और उनकी सरगर्मियो को अपने इशारो के मुताबिक चलाने के आदी हो चुके है। वीसवी सदी के शुरू से—ब्रलिक खास तौर पर पिछले वीस वरसो मे—उनकी इस चौधराहट को चुनौती दी गयी है। इसके नतीजे के तौर पर या तो पच्छिमी मुल्को ने अपने बचाव के लिए कुछ कदम उठाये है या फिर बाकायदा ऐसे तरीके, रास्ते या जरिये खोजे गये है जिनकी मदद से इस बदली हुई हालत के मुताबिक वह भी अपने तौर-तरीको को बदल सके।

प्रधान मंत्रीजी, क्या आपका ख्याल यह है कि पच्छिमी मुल्को की चौधराहट को जो यह चुनौती दी गयी है उसका मकसद लाजिमी तौर पर यह है कि पच्छिमी मुल्को को हटाकर उनको जगह कोई दूसरा अपनी चौधराहट जमा ले—जैसा कि मुख्तलिफ कौमो और मुल्को के आपस के आम टकरावो का मकसद होता है—या इस वक्त जो बडे-छोटे और कमजोर-ताकतवर का फर्क है उसे धीरे-धीरे मिटा देने से दुनिया मे एक नये किस्म का निजाम, एक नयी व्यवस्था

की जा सकती है, एक ऐसा नया निजाम जिसकी वजह से इतिहास का एक नया और ज्यादा तामीरी, ज्यादा रचनात्मक दौर शुरू हो सके।

जवाहरलाल नेहरू . मैं तो यह कहता हूँ कि मौजूदा जमाने का मिजाज ही इसके खिलाफ है कि कोई किसी दूसरे को दबाकर रखे, चाहे किसी एक कौम के दूसरी काम को दबाने का सवाल हो, या आर्थिक ढंग से दबाने का सवाल हो, किसी तबके या वर्ग के किसी दूसरे वर्ग को दबाने का सवाल हो या किसी एक नस्ल के लोग किसी दूसरी नस्ल के लोगों को दबाते हो।

आपने अभी इस बात का जिक्र किया था कि योरपवाले दो या तीन सौ साल तक एगिया को दबाये रहे। अगर आप इतिहास के एक लम्बे अरसे पर नजर आले तो आप देखेंगे कि शायद यह दो-तीन सौ बरस एक लम्बी कहानी का बहुत छोटा-सा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो अब खत्म हो रहा है। इसका आत्मा किस तरह होगा इसे तो कोई भी नहीं जानता। मैं नहीं समझता कि जब तक एक-दूसरे को दबाने का यह सवाल खत्म नहीं होगा तब तक दुनिया में कोई सतोपजनक शांति या सतुलन कायम हो सकता है।

इसके कई पहलू हैं। एक तो कौमी जज्बा होता है, राष्ट्रीयता की भावना होती है जिसकी वजह से लोग सियासी मामलों में, राजनीति के सवालों में इन बात की मुद्दाबद्ध करते हैं कि कोई दूसरा मुल्क उन्हें दबाने की कोशिश करे। फिर आर्थिक सवालों में दबाने की बान होती है, जिसकी भी लोग अपनी ही सख्त मुद्दाबद्ध करते हैं। नस्ली भेद-भाव के, गोरे और काले में फर्क करने के तो लोग बहुत ही सख्त खिलाफ हैं। फिर आर्थिक सवाल पर अलग-अलग तबकों का, अलग-अलग वर्गों का टकराव होता है। इससे कोई एगार नहीं बन सकता। वर्गों के बीच झगड़े हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि राजनीति के मैदान में, या आर्थिक सवाल पर, या गोरे-काले के फर्क के सवाल पर या किसी भी दूसरे सवाल पर, ये तब्दीलियाँ बिना लड़ाई-झगड़े के शांति के माद ही बन सकती हैं या नहीं? अब, आमतीर पर, मिनाल के तौर पर आर्थिक सवालों के निश्चित में कम्युनिज्म में वर्गों के झगड़े का मुद्दा सही दिशा जगा है—और जैसा कि मैं यह बुझा हूँ वर्गों में झगड़े हैं। लेकिन इनका मतलब राजनीति तौर पर यह नहीं है कि उन झगड़ों को सिर्फ

मारपीट या जोर-जबर्दस्ती से ही हल किया जा सकता है, सिर्फ इस तरह हल किया जा सकता है कि एक तबका दूसरे तबके को दबा ले ।

दरअसल हम ऐसी मजिल पर पहुँच गये हैं जहाँ किसी भी बड़े पैमाने के दंगे-फसाद या मारपीट का—चाहे वह सियासी सतह पर हो या आर्थिक सतह पर—नतीजा सिर्फ यही नहीं होता कि चारों तरफ एक अजीब गडबडी और उथल-पुथल मच जाती है बल्कि इसके बाद जो दुश्मनी पैदा होती है, दिलों में जो जहर भर जाता है वह इससे पहले के लडाई-झगडे और मारपीट से भी बुरा होता है ।

फिर भी सवाल यही है कि इन बड़े-बड़े झगडों को मिटाना है ।

इससे तो कोई इकार नहीं करता कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते । उनमें फर्क होता है । उसी तरह इंसानों के अलग-अलग गरोंहों में भी फर्क हो सकते हैं । कुछ आप कह सकते हैं, ज्यादा तरक्कीयापत्ता हो सकते हैं—साइस के मामले में, तहजीब या सस्कृति के मामले में, या किसी भी मामले में—और दूसरे कम तरक्कीयापत्ता हो सकते हैं । कोई आदमी बहुत अकलमद होता है और कोई बेवकूफ होता है । आप सबको बराबर तो नहीं कर सकते । लेकिन जो बात जरूरी है वह यह कि उन सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिये । अगर किसी कौम में, या किसी गिरोह में, या किसी आदमी में तरक्की करने की ताकत है, अगर वह तरक्की कर सकता है, तो उसे इसका मौका मिलना चाहिये । अगर उसमें तरक्की करने की लियाकत ही नहीं होगी तो वह जहाँ का तहाँ बना रहेगा । मुमकिन है कि उसके लिए वही ठीक हो, शायद वह कुछ निचले दर्जे की जिदगी में ही ज्यादा खुश रहे । अगर आप उसे अपने पैमाने से ऊपर चढाने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा । लेकिन उसे इस बात का मौका तो दीजिये कि वह अपने-आपको ऊपर चढाने की कोशिश करे ।

मैं नहीं समझता कि महज इसलिए कि झगडों का लगातार एक चक्कर चलता रहता है, इस वजह से योरपवालों की चौघराहट खत्म होकर किसी दूसरे की चौघराहट कायम हो जायेगी । इस जमाने में—जो ऐंटमी ताकत और ऐंटम वम का जमाना है—झगडा करना इतना खतरनाक हो गया है कि उसने बहुत

बड़े पैमाने पर तबाही आती है। इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे इन झगडों को शांति के साथ तै किया जा सके और धीरे-धीरे ऐसा हो जाये कि सब लोगो को तरक्की करने का बराबर मौका मिले।

माँड : मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें इन दो बातों में फर्क करना चाहिये कि एक तो कुछ जमाअते, कुछ सस्थाएँ दूसरो को दबाती है और फिर दूसरा दबाव वह होता है जो इसान की फितरत से पैदा होता है।

आखिर दुनिया में इतिहास के कुछ बड़े-बड़े विद्वान् ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि महज ताकत के लिए ताकत हासिल करने की कोशिश में इतिहास में जितनी बड़ी-बड़ी वाते हुई हैं उतनी आर्थिक मुनाफे की वजह से भी नहीं हुई। अगर दुनिया में एक ऐसा निजाम कायम हो जाये जिसमें आर्थिक तौर पर दूसरो को दबाने का यह लालच मिट जाये तो क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ताकत हासिल करने की यह ख्वाहिश भी—जो एक ऐसी ख्वाहिश है जो इसान के मिजाज में तकरीबन हमेशा से ही मौजूद रही है—मिट जायेगी ? और अगर हम इस उम्मीद की बिना पर यह मान भी ले कि इसान को तबाह करनेवाली इस ताकत की भूख को काबू में किया जा सकता है तो आदमी की समाज में दूसरो से बढकर रहने की जो एक कुदरती ख्वाहिश होती है उसे वह किन दूसरे तरीको से या किन बातों में पूरा कर सकता है।

नेहरू : मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि महज ताकत के लिए ताकत हासिल करने की ख्वाहिश बहुत अहमियत रखती है—अगर हर आदमी में नहीं तो कम-से-कम कुछ लोगो में तो यकीनन यह बात होती है।

मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आगे चलकर मुमकिन है कि इसानी समाज की शक्ल कुछ ऐसी हो जाये कि महज ताकत के लिए ताकत हासिल करने की ख्वाहिश कम हो जाये, यानी अगर लोगो को अपनी मर्जी के मुताबिक तरक्की करने का मौका दिया जाये। लेकिन बहरहाल दूसरो को दबाकर रखने की इन ख्वाहिशों पर कुछ रोकथाम रखना अच्छा है। अगर आप आर्थिक तौर पर दूसरो को दबाने के इमकान कम कर दें, ताकत से लोगो को जो फायदे होते हैं, अगर आप उनकी कोई हद बाँध दें.

साँड . मतलब यह कि अगर उस लालच को ही दूर कर दिया जाये

नेहरू बिल्कुल। अगर आप उस लालच को ही दूर कर दे तब भी इसमें तो शक नहीं कि यह बात कुछ-न-कुछ हद तक वाकी ज़रूर रह जायेगी, लेकिन उससे आप निवट सकते हैं। उससे हम बिल्कुल उसी तरह निवट सकते हैं जैसे हम किसी मुजरिम से निवटते हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी एक जगह पर चाहे वह बहुत ही अच्छे आदमी के हाथों में ही क्यों न हो, बहुत ज्यादा ताकत का इकट्ठा हो जाना—वह सियासी ताकत हो या आर्थिक ताकत हो या और किसी किस्म की ताकत हो—बहुत खतरनाक बात होती है। इसलिए हम ऐसे राजा को नहीं चाहते जो मनमानी हुकूमत चलाता हो। हम नहीं चाहते कि ताकत किसी ऐसे आदमी के हाथ में हो जो आर्थिक मामलों में वादशाह बन बैठे। हम इजारेदारियाँ नहीं चाहते। दूसरे लफ्जों में, आम रख यह होना चाहिये कि हर तरह की ताकत को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के हाथों में फैला दिया जाये ताकि आम जनता उसमें बराबरी का हिस्सा ले सके।

साँड लेकिन साइस और मशीनों की तरक्की के एतवार से तो हम बिल्कुल ही उल्टी तरफ जा रहे हैं।

नेहरू यह बात सच है। यही तो आज का सबसे बड़ा मसला है। साइस और मशीनों की तरक्की हमें ज्यादा-से-ज्यादा ताकत एक ही जगह इकट्ठा कर देने की तरफ ले जाती है, हमें और भी बड़ी मशीनों की तरफ ले जाती है। लेकिन फिर भी अगर बिजली की ताकत भी हमारे हाथ में आ जाये तो हमें एक ऐसा हथियार मिल जाता है जिससे हम ताकत को बहुत बड़े इलाक़ों में फैला सकते हैं। बड़ी मशीन को एक जगह के बजाय कई जगहों में फैलाया जा सकता है। और ऐटमी ताकत हमारे हाथ में आ जाने से तो इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

यह तो कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर में चलकर इसान की फितरत क्या हो जायेगी। क्योंकि आखिर में फ़ैसला तो इसान की विना पर ही होता है। खैर कुछ भी हो, बुराइयाँ जिस शकल में हमारे सामने आयेगी हम

उनसे निवट सकते हैं और यह उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर ऐसी फिजा तैयार हो जायेगी कि जो आदमी महज ताकत की खातिर ताकत हासिल करना चाहता है उसके हौसले ठंडे पडते जायेगे।

साँड लेकिन, प्रधान मंत्रीजी, क्या आपका ख्याल यह है कि समाजी ढाँचे में ताकत को ज्यादा बड़े इलाके में फैला देने से जो बहुत-सी जजीरे टूटेगी उसके साथ ही लाजिमी तौर पर यह भी हो सकता है कि हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए या ज्यादा सलीके से काम करने के लिए बड़े-बड़े इलाके, यहाँ तक कि पूरे-के-पूरे महाद्वीप, मिलकर एक हो जाये। . .

नेहरू मैं इस बात पर यकीन रखने की कोई वजह तो नहीं समझता कि आगे चलकर ऐसा नहीं हो सकेगा। यह सही है कि इसमें बेशुमार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आखिर, आज का बुनियादी मसला क्या है? अगर हम उसे एक जुमले में कहना चाहे तो यही कहेंगे कि बहुत-सी ताकत एक जगह समेट लेने की ख्वाहिश अलग-अलग हर आदमी की आजादी के रास्ते में रुकावट डालती है। लेकिन सवाल यह है कि अलग-अलग हर आदमी की आजादी भी जरूरी है और मशीनी तरक्की की वजह से बहुत-सी ताकत एक जगह समेट लेने की जरूरत भी पड़ती है, तो इन दोनों का पलडा बराबर कैसे रखा जाये. .

साँड . . ताकत एक जगह समेट लेने की ही नहीं कभी-कभी इस बात की भी जरूरत पड़ती है कि सब लोग मिलकर काम करे, जिसे हम 'कलेक्टिवाइजेशन' या सामूहिक रूप से काम करना कहते हैं।

नेहरू : हाँ, 'कलेक्टिवाइजेशन' यानी काम करने के सामूहिक तरीके को ले लीजिये। कोआपरेटिव यानी सहकारी तरीके को ले लीजिये, मिसाल के तौर पर खेती-वारी में या किसी दूसरे काम में। यह बात तो जाहिर है कि कोआपरेटिव फार्म का मतलब जरूरी तौर पर यह नहीं होता कि ताकत एक जगह सिमट आयी है। वह फैली हुई होती है। फिर भी उसमें मिलकर काम होता है, सारा काम एक ही जगह से चलाया जाता है। इस तरह हम सियासी ताकत को—और दूसरे किस्म की ताकतों को भी—ज्यादा बड़े इलाके में, ज्यादा लोगों के हाथों में फैला सकते हैं और साथ ही कोआपरेटिव

ढग से एक ही मरकज के नीचे रहकर साथ मिलकर काम करने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हालाँकि ताकत किसी एक जगह पर जमा नहीं होने पायेगी।

माँड हम अब उस बुनियादी सवाल पर आ गये हैं जिसका ताल्लुक हमारे पहले मौजू से यानी इस सवाल से है कि लोगो में उनकी जिंदगी की जरूरत की चीजो के एतबार से फौरन एक बराबरी पैदा करना बहुत जरूरी है। लालच यह होता है कि कोई मजबूत मरकजी ताकत, कोई केंद्रीय शक्ति यह बराबरी पैदा कर दे क्योंकि वह ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे तरीके से यह काम कर सकती है और इस लालच से बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। तारीख के मौजूदा दौर में जबकि इसानो का बेशतर हिस्सा यह बराबरी पैदा करने के काम में जी-जान से जुटा हुआ है, हमें भी ताकत को ज्यादा-से-ज्यादा लोगो के हाथों में बाँटकर बहुत-से बधनों को तोड़ देने का रास्ता अपनाने के बजाय सामूहिक काम का रास्ता, एक मरकज से काम चलाने का रास्ता ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने का रास्ता अपनाने का लालच होता है।

नेहरू यकीनन, यह उलझन तो होती है। इसके साथ ही वक्त का सवाल भी हमारे सामने होता है। हमारे सामने एक खास वक्त के अंदर ही काम पूरा कर लेने का सवाल होता है। नहीं तो इस बात का खतरा रहता है कि तबाही लानेवाली, फूट डालनेवाली, इतशार पैदा करनेवाली ताकतें और दूसरी ताकतें आपकी सारी कोशिशों को मिट्टी में मिला दे। इस सवाल का कोई नपा-तुला जवाब देना मुश्किल है, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तब्दीली का सिलसिला काफी तेज होना चाहिये।

यह जरूरी नहीं है कि तब्दीली का सिलसिला ऐसा हो जो हर चीज को तोड़-फोड़ दे। लेकिन उसका काफी तेज होना जरूरी है ताकि उम्मीद बँधी रहे। मेरा अपना तजुर्वा यह है कि अगर एक बार लोगो को यह मालूम हो जाये कि आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी उम्मीद बँधी रहती है। वह देर को वर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं, ज्यादा देर नहीं लेकिन थोड़ी-सी देर को वे वर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह किसी चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें गुस्सा उसी वक्त आता है जब वे देखते हैं कि वे किसी भी तरफ आगे नहीं जा रहे हैं।

माँड . उनकी हालत कुछ-कुछ पहाड पर चढनेवालो की ऐसी होती है जो उस चोटी को देखते रहते हैं जिस पर उन्हे पहुँचना है और इससे उन्हे आगे बढ़ते रहने की ताकत मिलती है ।

नेहरू . जी हाँ, बिल्कुल यही बात है । . .

माँड . बराबरी पैदा करने के इस पूरे सिलसिले की बुनियादी बात, जाहिर है, एशिया का इनकलाब है । प्रधान मंत्रीजी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि एशिया के इनकलाब का कुल निचोड इस बात मे है कि एक ऐसी पीढी मैदान मे उतर आयी है जो लोगो मे जिदगी की जरूरत की चीजो के मामले मे बराबरी पैदा करने के इस काम मे जुटी हुई है । जिदगी की जरूरत की चीजो मे बराबरी पैदा करने का एक ऐसा पहलू भी है जिसका ताल्लुक चीजो से नहीं बल्कि आदमी के जज्वात से, उसकी भावनाओ से है इसान को जिन बेइज्जतियो का और जिन मजबूरियो वगैरह का सामना करना पडता है उन्हे दूर करना । लेकिन फर्ज कर लीजिये कि आप इस बात को मान लेते हैं कि हम बराबरी पैदा करनेवालो की एक पूरी पीढी को मैदान मे उतरते देख रहे हैं—जो या तो बेसब्री से जल्दी-जल्दी बराबरी से आना चाहते है या सब्र के साथ धीरे-धीरे बराबरी लाना चाहते है, और उनके तरीके भी उनके अलग-अलग इन रवैयो के मुताबिक होते हैं—तो क्या आप समझते है कि वे लोग हमारे हजारो बरस पुराने तौर-तरीको पर, हमारी परम्पराओ पर, जो हमले कर रहे है उनका असर कुछ ही दिन तक रहेगा ? क्या यह हमला उसी वक्त तक रहेगा जब तक बराबरी लाने का काम होगा ? और क्या आखिर मे हजारो बरस पुराने हमारे तौर-तरीको और हमारी रवादारी की बुनियाद फिर कायम हो जायेगी ?

नेहरू इसका जवाब देना मुश्किल है । सचमुच बिना कोई ठोस मिसाल लिये कोई ऐसा जवाब देना मुश्किल है जो इस पूरे सवाल पर लागू हो सके । अलग-अलग मुल्को की हालत अलग-अलग होती है और मैं यह बताने की हिम्मत नहीं कर सकता कि किस मुल्क मे क्या होगा । अगर मैं कुछ कह सकता हूँ तो बस हिंदुस्तान के बारे मे, और हिंदुस्तान के बारे मे भी मैं बहुत साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ कुछ मोटी-मोटी बाते ही कह सकता हूँ ।

बहरहाल मैं हिंदुस्तान को थोड़ा-बहुत जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में तब्दीलियों का यह सिलसिला शांति के साथ लगातार जारी रह सकता है बशर्ते उसकी रफ्तार बहुत धीमी न हो। मतलब यह कि हर वक्त एक टकराव होता रहता है। दो ताकतें हरदम काम करती रहती हैं एक तो होती है चीजों को बदलने की उमंग और दूसरी होती है चीजों को ज्यों-का-त्यों बना रहने देने की, चीजों को पुराने ढर्रे पर चलते रहने देने की ख्वाहिश। हर मुल्क में ये दोनों ही ताकतें हमेशा काम करती रहती हैं। बिल्कुल नये सिरे से कोई काम शुरू करने का मतलब यह होता है कि हम अपनी हजारों बरस पुरानी रवायतों से, परम्पराओं से, अपनी पुरानी सस्कृति से, हर चीज से नाता तोड़ लें। तो बुनियादी तौर पर तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं करता। इनकलाब के बाद भी उसे अपनी पुरानी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर तब्दीली के सिलसिले को रोक दिया जाये और चीजों को ज्यों-का-त्यों पुराने ढर्रे पर चलाते रहने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाये तो फिर लोग पुरानी चीजों से, पुराने तौर-तरीकों से बिल्कुल नाता तोड़ लेना चाहते हैं। इसलिए सवाल यह है कि इन दोनों ताकतों के पलड़े बराबर कैसे रखे जायें।

सॉड मैं इसी सिलसिले में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले कई बरसों से हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है उसे गौर से देखते हुए यह सवाल मेरे दिमाग में बार-बार उठता रहा है। वह सवाल यह है कि क्या जम्हूरी तरीकों से हिंदुस्तान जैसे मुल्क में वह हालात पैदा किये जा सकते हैं जिनका पहले होना जम्हूरियत कायम करने के लिए जरूरी है।

मैं इस बात को तो बिल्कुल मानता हूँ कि जब तक थोड़ी-बहुत भी तरक्की होती रहेगी, जब तक आम हिंदुस्तानी को यह ख्याल रहेगा कि वह किसी चीज की तरफ बढ़ रहा है तब तक वह बड़े सन्न और बर्दाश्त के साथ इतजार करेगा और इन कोशिशों को जारी रहने देगा। लेकिन अगर किसी समाज के ढाँचे में, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी समाज के ढाँचे में ही कुछ खराबियाँ हो—जिस तरह कि आर्थिक एतवार से उपनिवेशवाद इसी तरह की एक खराबी थी—तो क्या इन खराबियों को दूर करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है कि कोई दूसरी ताकत प्रवर्द्धस्ती देखल देकर उस खराबी को दूर कर दे, जिस तरह

जिस्म के किसी हिस्से में खराबी पैदा हो जाने पर उसे काटकर उस खराबी को दूर किया जाता है ?

हमारे लिए लाजिमी है कि हम कुछ गोलमोल और बहुत सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करें जैसे एक तरफ तो इनकलाब, गोली से उड़ा देनेवाले दस्ते और कमिस्सार और दूसरी तरफ ठेठ अंग्रेजी ढंग की पार्लामेन्टरी डेमाक्रेसी यानी ससदीय लोकतंत्र। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों के बीच की भी कोई चीज हो सकती है, जिसमें शायद आधा हिस्सा एक का और आधा दूसरे का हो। कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे हम ज्यादा मजबूती से कदम उठा सकते हैं लेकिन जिसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम एक-एक मजिल तै करते हुए तरक्की करने के अपने आदर्श को छोड़ दें।

थोड़े से लफ्जों में मेरा सवाल यह है कि क्या जम्हूरी तरीके से वे हालात पैदा किये जा सकते हैं जिनका पहले होना जम्हूरियत कायम करने के लिए जरूरी है ?

नेहरू : मेरे ख्याल में तो किये जा सकते हैं। यह मुमकिन है और यह किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है इसके लिए कई शर्तें हैं।

सबसे पहले तो जब आप जम्हूरियत या लोकतंत्र का जिक्र करते हैं तो उससे आपकी क्या मुराद है ? पिछले सौ-डेढ़ सौ बरस की जम्हूरियत को ले लीजिये। पच्छिमी योरप के कुछ मुल्कों में जम्हूरियत थी लेकिन वह बहुत ही महद्द थी, बहुत ही जकडी हुई थी। बहुत कम लोगों को वोट देने का हक था। वह सौ में से समझ लीजिये दस या बीस या पच्चीस आदमियों की जम्हूरियत थी। जो सबसे ज्यादा जम्हूरी मुल्क है उनमें भी सबको वोट देने का हक अभी हाल ही में मिला है। और योरप के बहुत-से मुल्क ऐसे हैं जहाँ अभी तक औरतो को वोट देने का हक नहीं है। एक वार जहाँ सब लोगों को वोट देने का हक मिल जाये तो जम्हूरियत का कारोबार ज्यादातर लोगों की मर्जी के मुताबिक चलने लगता है। हम इस बात को मानकर चलते हैं—अगर उन्हें गुमराह कर दिया जाये या गलत रास्ते पर ले जाया जाये तो बात अलग है।

दूसरे, जम्हूरियत में तब्दीली की रफ्तार कुछ धीमी जरूर होती है, उसमें तब्दीलियों का सिलसिला उन हुकूमतों के मुकाबले धीमा होता है जहाँ एक

आदमी मनमानी हुकूमत चलाता है या जहाँ डंडे के जोर से हुकूमत चलायी जाती है। यह बात तो सच है। लेकिन किसी भी कौम की ज़िदगी में कोई बुनियादी तब्दीली करने में वक्त तो लगता है। सोवियत यूनियन में जो तब्दीलियाँ हुई हैं उन्हें ले लीजिये। वहाँ भी आखिर वहाँ इनकलाब हुए अडतीस बरस हो चुके हैं और वहाँ लोगो को बडी मेहनत से काम करना पडा और वहाँ की हुकूमत जो कह देती थी उसके आगे कोई चूँ भी नही कर सकता था। वे जो चाहते थे कर सकते थे—इसकी भी हद्दे थी—फिर भी उन्हें बडी मेहनत से काम करना पडा। ये तब्दीलियाँ एकदम से तो आ नही गयी। इसमें तो शक नही कि इनकलाब एकदम से हुआ था, लेकिन पहले कुछ भी हो चुका हो, जब किसी चीज को बनाने का सवाल आता है तो उसमें वक्त लगता है।

मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि डंडे के जोर पर काम करने वाली हुकूमत कुछ कम वक्त में उसी काम को कर सकती है। लेकिन मैं नही समझता कि वक्त में उतना ज्यादा फर्क होता है जितना कि लोग समझते हैं। कम-से-कम होना नही चाहिये, बशर्ते कि उस जम्हूरी मुल्क के लोग तब्दीली चाहते हो और उसके लिए काम करने को तैयार हो।

माड लेकिन क्या इसका यह पहलू ऐसा नही है जिसका ताल्लुक इस बात से है कि आदमी के दिमाग पर, उसके सोचने के ढग पर क्या असर पडता है? अगर आप मुझे हिंदुस्तान की मिसाल देने की इजाजत दे तो मैं कहूँगा कि खासतौर पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ के पिछले इतिहास में बहुत-सी ऐसी बाते हुई हैं जिनकी वजह से लोगो में एक काहिली, एक ढीलपन आ गया है, तो ऐसे मुल्क में अगर कोई तब्दीली तेजी से हो तो उससे लोगो के दिमागो में भी कुछ फुर्ती आयेगी।

मिसाल के तौर पर अगर आप रोज एक इंच आगे बढ़े तो किसान शायद उस तब्दीली को देखेगा भी नही और खैर उसमें जोश तो बिल्कुल ही नही पैदा होगा। लेकिन अगर आप हर सोमवार को सबेरे उठकर सात इंच आगे बढ़ जाये तो वह आदमी समझेगा कि कुछ हो रहा है और मुमकिन है कि इससे उसमें इतना काफी जोश पैदा हो कि वह अपने पुराने ढर्रे को छोड दे।

नेहरू . हाँ, यह तो ठीक है, रोज एक इंच बढ़ना ज़रूरी काम ही नहीं है। इसलिए हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि हम कितनी तरक्की करें कि उस आदमी में जोश पैदा हो, उसे अपने-आप पर भरोसा हो और उसमें और आगे बढ़ने के लिए काम करने की उमंग पैदा हो। वह तरक्की कितनी हो?—जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है।

या यों समझ लीजिये कि बुनियादी बात यह है कि लोगो का रवैया एक खास ढंग का बना दिया जाये। मुझे यकीन है कि यह किया जा सकता है।

हिंदुस्तान को ले लीजिये। मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगो के सोचने का तरीका बहुत बदल गया है। मैं सब लोगो की बातें नहीं कर रहा। इस वक्त हिंदुस्तान में मैं अपनी सामुदायिक योजनाओ को, कम्युनिटी प्रोजेक्टो को, बड़े-बड़े कारखाने बनाने और नदियों पर बाँध बाँधकर बिजली पैदा करने की योजनाओ से भी ज्यादा जरूरी समझता हूँ हालाँकि ये वादवाली योजनाएँ बहुत बड़ी हैं और उनका बहुत रोब पडता है।

एक तब्दीली हुई है और हमारे लोगो में नया जोश पैदा हुआ है, उनमें नयी जान आ गयी है। मैं तो कहूँगा कि यह सिलसिला हमारे सियासी इनकलाब से, गांधीजी के आंदोलन से शुरू हुआ। इसने इन लोगो को झँझोडकर जगा दिया। इससे उनमें आगे बढ़ने की उमंग पैदा हुई और उन्हें कुछ इस बात का भी अदाजा हुआ कि वे साथ मिलकर काम करने से, एक-दूसरे का हाथ बँटाकर कैसे अपनी मजिल तक पहुँच सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस बात का फायदा उठाकर और साथ मिलकर काम करने के तरीको से उनकी हालत को और सुधारकर उनके जोश को हम कैसे बढ़ाये? हम उनमें किस हद तक यह यकीन पैदा कर सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे उनकी तरफ से सरकार नहीं कर रही है—सरकार तो खैर करती ही है—बल्कि लोग खुद उसमें हिस्सा लेते हैं और वे एक ऐसे बहुत बड़े कारोबार में साझेदार हैं जिससे उनकी हालत बेहतर होगी, उनकी जिदगी की सतह ऊँची होगी? मैं तो समझता हूँ कि यह किया जा सकता है।

दूसरी तरफ, मुमकिन है कि बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली से हमें यह फायदा होता है कि हमें एक तरह से नये सिरे से काम करने के लिए मैदान साफ

मिल जाता है लेकिन उस इनकलाव से तबाही भी बहुत होती है और अदर-ही-अदर बहुत-से झगड़े भी पैदा हो जाते हैं।

माँड जाती तौर पर मैं खुद बहुत ज्यादा इसके हक में नहीं हूँ कि जरा-सी बात पर लोगो का सर उडा दिया जाये, लेकिन मेरा ख्याल यह जरूर है कि कुछ खास हालतो में अगर कुछ जोर-जबर्दस्ती से और कुछ समझा-बुझाकर दोनो तरीको से काम लिया जाये तो बहुत कामयाबी हो सकती है।

इतिहास की ज्यादातर बातों की तरह यह बात भी आदमी-आदमी पर मुनहसर होती है। अगर जम्हूरी डिक्टेटर जैसी कोई चीज हो सकती है—मैं जानता हूँ कि ऐसा आदमी मिलना बहुत नुश्किल है—तो आप ऐसे आदमी हो सकते हैं। इसलिए जब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक ऐसा आदमी है जिसे लोग इतना मानते हैं और जो यह सोच सकता है कि क्या-क्या काम करने हैं, तो फिर वह क्यों—मैं यह सवाल उन लाखों लोगो की तरफ से कर रहा हूँ जो भारत की अदरूनी तरक्की को बड़े गौर से देख रहे हैं—तो फिर वह इस वजह से अपने हाथ-पाँव बहुत बडी हद तक क्यों बाँध ले कि हुकूमत के काम का एक खास ढर्रा होता है जिससे कभी नहीं हटना चाहिये, या कोई काम करने से पहले उसके लिए कानून बना लेना चाहिये चाहे यह बात बिल्कुल रस्मी ही क्यों न हो, जबकि ये सब बातें बुनियादी तौर पर बिल्कुल ही दूसरे समाजी ढाँचे से हमें मिली है।

नेहरू . इस सवाल का जवाब यह है कि उसे अपने हाथ-पाँव बाँधना नहीं चाहिये। दफ्तरी कार्रवाई के चक्कर को बुनियादी तौर पर इस तरह बदल देना चाहिये कि हम जिस तरह का नया समाज बनाना चाहते हैं उससे वह मेल खा सके।

माँड लेकिन वक्त गुजरता जाता है और आदमी की जिदगी की एक हद मुकर्रर होती है

नेहरू मैं इस बात को मानता हूँ। कोई डिक्टेटर कितना ही काबिल क्यों न हो, लोग उसे कितना ही मानते क्यों न हो लेकिन उसे अपना काम चलाने के लिए किसी-न-किसी तरह के सगठन की जरूरत तो होती है, उसे एक ऐसी मशीन की जरूरत होती है जिसके जरिये वह काम करे।

कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट डिक्टेटर की मशीन होती है। दूसरे मुल्को को दूसरी तरह की मशीनो की जरूरत होती है, हुकूमत की मशीन, पार्टी की मशीन या जो भी तरह-तरह की मशीने होती है। कम्युनिस्ट मुल्को को यह आसानी रहती है कि हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ जुडी होती है, दोनो साथ आगे बढ़ती है। इसमें शक नहीं कि यह बहुत बड़ी सहूलियत है लेकिन मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप में भी एक हद होती है जिससे आगे ज्यादातर लोगो की मर्जी के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। अगर वे आगे जाते हैं तो मुसीबत में फँस जाते हैं और उन्हें पीछे हटना पडता है। दरअसल सवाल पलडा बराबर रखने का होता है, इस बात की कोशिश करने का कि जहाँ तक मुमकिन हो, हम आगे जाये और इस बात की कोशिश करे कि अपनी हुकूमत की मशीन को बदले और इस काम को दो तरीको से करना होता है • एक तो उस पूरी मशीन में हर आदमी को तालीम देकर और दूसरे जहाँ जरूरत हो वहाँ नये आदमी को रखकर।

लेकिन इन सब बातो का साथ होना जरूरी है और इसलिए इस सवाल का कोई बँधा-बँधायी उसूली जवाब नहीं दिया जा सकता। वजह यह है कि आपको बहुत-सी चीजो के बीच एक तवाजुन, एक सतुलन कायम रखना पडता है। यह कतई मुमकिन है कि आज हम किसी मसले का कोई हल सोचे और आगे चलकर पता चले कि उससे भी अच्छा कोई हल हो सकता था। आदमी या तो बहुत फूँक-फूँककर कदम रखता है या वह जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाता है।

झॉड अगर मैं उन लोगो में से होता जो हर बात में ऐब निकालते हैं तो मैं कहता कि इस बात को हिंदुस्तान में एक बार पहले भी आजमाया जा चुका है। आपके मुल्क में पुराने जमाने में एक बहुत ही शानदार हस्ती गुजरी है, महात्मा बुद्ध की। उन्होंने भी लोगो को समझा-बुझाकर हिंदू समाज के ढाँचे को बदलने की कोशिश की थी। दरअसल इसमें उन्हें हैरतअगेज हद तक काम-याबी मिली। दो सौ बरस से भी कम में उन्होंने हिंदुस्तान के लोगो के ख्यालात बदल दिये। लेकिन आज हम क्या नतीजा देखते हैं? आज इस मुल्क में दो लाख बौद्ध और ३० करोड हिंदू हैं। यह तो मैं समझता हूँ कि सभी मिसालो

की तरह यह मिसाल भी पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन मेरे दिल में अब भी यह बात उठती है कि जब कोई समाज एक खास हद तक जकड़ जाता है और उसमें तरक्की करने की ताकत नहीं रह जाती तो क्या यह ज्यादा मुनासिब नहीं होता कि उसकी इस खराबी को दूर करने के लिए "खराब हिस्सों को काट देने का तरीका" इस्तेमाल किया जाये, अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाये कि इसमें कोई ज्यादाती न की जाये ?

नेहरू हॉं, तो आपने बौद्ध धर्म की मिसाल दी है।

यह सच है कि आज हिंदुस्तान में बौद्धों की तादाद बहुत थोड़ी है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने और बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को बुनियादी तौर पर बदल दिया। उनका हिंदू धर्म पर बहुत गहरा असर पडा। इस बात को भी याद रखिये कि बौद्ध धर्म में जो खराबियाँ पैदा हो गयी थी उनकी वजह से ही उसकी ताकत खत्म हुई, उसके ख्यालो में वह पाकीजगी नहीं रह गयी और उसके माननेवाले तरह-तरह की बातों पर और तरह-तरह के रीति-रिवाजों पर यकीन रखने लगे। और यही उसके कमजोर होने की वजह थी। लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान पर उसका बहुत गहरा असर पडा। आप उसे चाहे बौद्ध धर्म कह ले या हिंदू धर्म, इसमें शक नहीं कि उसका असर सिर्फ दार्शनिक सतह पर था और समाजी सतह पर तो बहुत थोड़ी ही हद तक था।

"जिस हिस्से में खराबी हो उसे काट देना" यकीनन जरूरी होता है और दरअसल यह काम श्रोकतात्रिक ढंग से राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही सतहों पर किया भी जाता है।

हम देसी रजवाडों को खत्म कर सकते हैं, यह "जिस हिस्से में खराबी हो उसे काटकर अलग कर देने" का तरीका है। हमने जमींदारी को खत्म किया, यह भी बहुत बड़ा काम है। यह सच है कि जो बातें और जो रीति-रिवाज लोगों के दिमागों में बैठ चुके हों उनसे निवटना इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। हम छूतछात के खिलाफ एक कानून पास करते हैं। इसमें तो शक नहीं कि इस कानून का बहुत असर हुआ, बहुत बड़ी हद तक इसलिए कि उससे पहले छूतछात के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल चुका था। लेकिन फिर भी यह सवाल बाकी रहता है कि हिंदुस्तान में बहुत-से लोग ऐसे हैं जो अब भी

पुराने ढंग से सोचते और काम करते हैं, इस बात को किसी कानून की मदद से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल के हालात इन बातों के खिलाफ पडते हैं। आप रेल में या कारखाने में तो छूतछात नहीं कर सकते, या नये तर्ज की जिंदगी में, शहरों में छूतछात का कोई सवाल नहीं है। गाँवों में छूतछात जरूर है लेकिन उसे खत्म किया जा रहा है।

इस तरह हर समाजी ताकत पर दो तरह के असर पडते हैं। एक तो प्रचार का, समझाने-बुझाने वगैरह का, और दूसरा जिंदगी के बदलते हुए हालात का। सवाल यह नहीं है कि जिस “हिस्से में खराबी हो उसे काट दिया” जाये कि नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इसके लिए कौन-सा तरीका अपनाया जाये। लोकतांत्रिक विधानसभा में बहुमत कोई कानून पास करके—कोई बहुत बड़ी तरक्की का कानून पास करके—यही काम करता है। मैं समझता हूँ कि आपका मतलब शायद यह है कि पक्का इरादा रखनेवाले अल्पमत को, थोड़े से लोगो को, निकम्मे बहुमत की मर्जी के खिलाफ भी “खराब हिस्से को काटकर अलग कर देना” चाहिये कि नहीं ?

भाँड : जी हाँ, पक्का इरादा रखनेवाले अल्पमत को या कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियों को जो खुशकिस्मती से, इतिहास के किसी सयोग से, यह काम कर सकती हो।

नेहरू ठीक है। अगर ऐसी कोई हस्ती हो तो फिर तो यह मानी हुई बात है कि वह ज्यादातर लोगो को हिला सकती है और उनसे काम ले सकती है।

भाँड यह तो आप लफ्जो से खेल रहे हैं। “हिलाने” का मतलब या तो यह हो सकता है कि बहुत धीरे-धीरे लोगो को समझा-बुझाकर राजी किया जाये या फिर उसका मतलब यह हो सकता है कि अपने असर का फायदा उठाने का ज्यादा सीधा तरीका इस्तेमाल किया जाये।

नेहरू लोगो को हिलाने से मेरा मतलब है कानून के लोकतांत्रिक तरीको से, जम्हूरी तरीको से उन्हे आगे बढाना। जिस हस्ती का आप जिक्र करते हैं, वह इन कानूनो को लोकतांत्रिक तरीको से बनवा सकती है। हमने अभी हाल ही में एक-दो कानून पास किये हैं और मिसाल के तौर पर हम इस वक्त हिंदुओ

मे व्याह और तलाक के बारे में एक कानून पर सोच-विचार कर रहे हैं। हिंदुओं की जिंदगी में यह एक बहुत बुनियादी चीज है। हमने पार्लियामेंट में एक कानून पास किया है जिसके मुताबिक किसी हिंदू के लिए दो गादियाँ करना जुर्म है। यह बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली है। इसके बाद हम विरासत के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में जो कानून है उसे बदलने वाले हैं। ये कानून हिंदुओं के जाती कानून हैं जो उनके रीति-रिवाजों में, उनकी आदतों में और उनके मजहब में शामिल हो चुके हैं।

लेकिन हम मुसलमानों के मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी है और हम नहीं चाहते कि हिंदू, जिनकी तादाद ज्यादा है उनके मामलों में दखल दे। ये जाती कानून हैं और इसलिए जब तक मुसलमान खुद उन्हें बदलना न चाहे तब तक इन कानूनों को नहीं छेड़ा जायेगा। हिंदुस्तान के मुकाबले में तुर्की के लिए यह करना ज्यादा आसान है क्योंकि तुर्की एक मुसलमान मुल्क है। हम यह नहीं चाहते कि किसी को यह ख्याल हो कि हम मुसलमानों के जाती कानूनों के सिलसिले में कोई बात ज़बर्दस्ती करना चाहते हैं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिक्टेटर जिसे लोग मानते हों, अगर लोग उसके साथ हों तो वह जम्हूरी तरीक़ों से कानून पास करवा सकता है, किसी खास कानून के बारे में मुमकिन है लोगों में उतना ज़ोर न हो। लेकिन अगर उसके माननेवाले काफी हैं तो लोग कहेंगे अच्छी बात है अगर वह कहता है तो इसमें भलाई की ही बात होगी। लेकिन मेरा मतलब यह है कि तरीक़ा जम्हूरी ही रहता है।

मांड - माफ़ कीजियेगा, मेरा ख्याल है कि हम अपनी बातचीत में एशिया के ज्यादा बड़े मैदान से हटते-हटते बहुत अलग आ गये हैं। अगर आप मज़ूर करे तो अपनी पिछली बातचीत की तरह ही हम पूरी तरह हिंदुस्तानी मसलों पर ही बात करेंगे, अब मैं फिर आमतौर पर पूरे एशिया की बात करना चाहूँगा। जिस इलाक़े को हम गैर-कम्युनिस्ट एशिया कह सकते हैं वह अब पिछले दस बरसों से आज़ाद है। मैं खासतौर पर दक्षिण-पूर्वी एशिया का चिन्तन कर रहा हूँ। क्या आपके ख्याल में इन मुल्कों के इन दस बरसों के तज़ुर्वे से कुछ आम नतीजे निकाले जा सकते हैं? मिसाल के तौर पर इन मुल्कों में

लोकतांत्रिक तरीको के इस्तेमाल से जो नतीजे निकले हैं उनसे ? इन मुल्को में उत्तरी अटलांटिक ढग की विधानसभाओ की मशीन किस हद तक कारगर हुई है या उसे हर जगह के अलग-अलग हालात के मुताबिक बनाने के लिए उसमें किस तरह के सुधार किये गये हैं ?

नेहरू . मैं नहीं समझता कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के सब मुल्को के बारे में कोई आम उसूल बना देना आसान है। वे सब एक-दूसरे से अलग हैं। पृष्ठभूमि में और बहुत-सी दूसरी बातों में वे एक-दूसरे से अलग हैं। मौजूदा दौर राष्ट्रवाद का दौर है जो उनके आजादी के सफर की एक खास मजिल पर पहुँचकर आया। मैं समझता हूँ कि अभी तक राष्ट्रवाद दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे मजबूत ताकत है। लेकिन यह राष्ट्रवाद खालिस मध्यम वर्ग का राष्ट्रवाद नहीं है बल्कि उसमें एक खास समाजी रंग है।

इस समाजी रंग की जो पहली बात है उसका ताल्लुक जमीन के सवाल से है, किसानों के सवाल से है क्योंकि इन मुल्को में से ज्यादातर मुल्क सनअतों के मामले में, उद्योग-धंधों के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल जमीन का सवाल है, खेती-बारी का सवाल है।

दूसरी बात यह है कि वे अपनी जिदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी खाने, कपड़े और घर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मोटे-मोटे तौर पर योरप के बारे में हम कह सकते हैं कि वहाँ लोगों की ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इसलिए उन मुल्को को दूसरी जरूरतों के बारे में सोचना पडता है और उनके सिलसिले में दूसरे झगड़े उठ खड़े होते हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन मुल्को में दो चीजों का मेल है, एक तो है राष्ट्रवाद और दूसरी है समाजवाद या समाजी तरक्की—मैं इस लफ़्ज को बहुत फैले हुए मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ।

आप देखेंगे कि जहाँ भी आजादी के बाद, समझ लीजिये, कम्युनिस्ट वगावत हुई है वहाँ उसे उस मुल्क के राष्ट्रवाद का सामना करना पडा है। आमतौर पर उसे उस राष्ट्रवाद के सामने हार माननी पडी है। वर्मा में बहुत जवर्दस्त कम्युनिस्ट वगावत हुई थी, लेकिन वर्मा के राष्ट्रवाद ने—जो बहुत ही ज्यादा वामपक्षीय राष्ट्रवाद है, जो दरअसल समाजवादी राष्ट्रवाद है—

उसका मुकाबला किया और उसे हरा दिया। डडो-चाइना में राष्ट्रवाद और कम्युनिज्म साथ-साथ चले क्योंकि वहाँ राष्ट्रवाद सिर्फ अपने बल-बूते पर नहीं कामयाब हो सकता था और इसलिए कम्युनिज्म को इस जबर्दस्त राष्ट्रवादी लहर से बहुत ताकत मिली। हिंदुस्तान में भी राष्ट्रवाद को कामयाबी मिली, उस राष्ट्रवाद को जो समाजी रग लिये हुए था। और कामयाब होने के फौरन बाद उसने समाजी सवाल की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और इस तरह वह समाजी मामलो में वकौल आपके किसी भी “चीरफाड के किस्म की” चुनौती का मुकाबला ज्यादा अच्छी तरह कर सकता था, क्योंकि हम समाजी तरक्की कर रहे थे। मुमकिन है कि हम यह तरक्की उतनी तेजी से न कर रहे हो जितना कि हम चाहते हैं लेकिन बहरहाल हम तरक्की कर रहे हैं और इस बात की उम्मीद है कि हम और भी तेजी से तरक्की करेंगे।

झाँड अगर आर्थिक तरक्की की चाल इतनी कम हो जाये कि आम लोगो की उम्मीद भी बँधी न रह सके तो क्या आपके ख्याल में इस बात का खतरा पैदा हो जायेगा कि लोगो को कोई दूसरा रास्ता अपनाने का लालच हो ?

नेहरू यकीनन। लोगो में समाजी तरक्की की जितनी माँग और उमग है, समाजी तरक्की की जितनी बुनियादी माँग है, अगर समाजी तरक्की की रफ्तार उससे धीमी होगी तो कोई दूसरी चीज आकर उस माँग को पूरा करने की कोशिश करेगी।

झाँड क्या इससे मैं यह समझूँ कि जैसे ही मुल्क की समाजी या आर्थिक तरक्की की रफ्तार कम होते-होते इस “उम्मीद की सतह” से नीचे पहुँच जायेगी वैसे ही कम्युनिस्टो का छोटा रास्ता अपनाने का लालच हिंदुस्तान के सामने ठोस शकल में पैदा हो जायेगा ?

नेहरू - उसूल में तो यह बात ठीक है ? लेकिन कम्युनिस्टो के छोटे रास्ते से आपका क्या मतलब है ?

झाँड लोगो की बेचैनी बढते-बढते इस हद पर पहुँच जाये कि लोगो की कोई इनकलावी तरीका अख्तियार करने की ख्वाहिश ।

नेहरू ठीक है, मैं समझता हूँ लेकिन हमें इन बातों पर गौर करते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिये कि उस मुल्क की पृष्ठभूमि क्या रही है। मान

लीजिये यहाँ जो तरक्की हुई है उससे यहाँ के किसान संतुष्ट है—सोलहो आने न सही, लेकिन फिर भी संतुष्ट है—तो कम्युनिस्ट जो फर्ज कर लीजिये मजदूरों के बीच काम करते हैं, हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी पर असर नहीं डाल सकेंगे। उनका सवाल बहुत बाद में जाकर पैदा होगा जब मुल्क में बहुत ज्यादा औद्योगिक तरक्की हो चुकी होगी। उस वक्त तक बहुत-सी दूसरी तब्दीलियाँ भी हो चुकी होगी। यह तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या तब्दीलियाँ हो चुकी होगी। बहुत मुमकिन है कि कम्युनिज्म में, बल्कि कहना चाहिये कम्युनिस्टों के काम करने के तरीके में बहुत-सी तब्दीलियाँ हो जायेंगी।

नाँड . उसमें तो इस वक्त भी तब्दीलियाँ हो रही हैं।

नेहरू . हाँ, तब्दीलियाँ तो हुई हैं और इस सवाल पर बिल्कुल ईमानदारी से नजर डालने पर मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी कम्युनिस्ट के लिए रूस या चीन में जो कुछ हुआ है उसकी नकल करना बिल्कुल बेतुकी बात है।

वह कम्युनिस्ट आदर्श को जरूर अपने सामने रखें। जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरा मतलब हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों से है, हम समाज के एक आदर्श की हैसियत से कम्युनिज्म के खिलाफ नहीं हैं, न समाजवाद के खिलाफ हैं, आदर्श की हैसियत से वे सब एक हैं। लोग जिस बात को पसंद नहीं करते वह है कम्युनिस्टों का काम करने का तरीका। इसलिए यह तो बिल्कुल मुमकिन है, कम्युनिज्म या सोशलिज्म राष्ट्रीय आंदोलन पर लगातार असर डालें और उसे ग्राफिल न होने दें और दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन भी उनकी नेजी को कुछ कम करता रहे।

नाँड . दोनों एक-दूसरे पर इस तरह असर डालें कि दोनों को बढ़ावा मिलता रहे।

नेहरू . हाँ,

नाँड . अच्छा, चूँकि हम आमतौर पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए क्यों न हम कुछ देर के लिए इधर हाल की घटनाओं पर स्फुर बाद्रुंग के बारे में कुछ बातें कर लें।

क्या हम अपनी पिछली परिभाषाओं को इस्तेमाल करके बाद्रुंग को एशिया में बराबर लानेवालों की मीटिंग कर सकते हैं, या अगर हम ज्यादा

सही-सही कहना चाहे तो क्या यह सत्र के साथ और वेसब्री से दोनों ही तरह के बराबरी लानेवालों की मीटिंग थी; जो शायद इसलिए मिल रहे थे कि यह मालूम करे कि उनके काम करने के अलग-अलग तरीको में कौनसी चीजे ऐसी हैं जो एक-दूसरे से मिलती हैं और फिर इन मिलती-जुलती बातों से एक ऐसी बुनियाद तैयार करे जिसे सब लोग मजूर करे और फिर इस तरह के समझौते से अपने हाथ मजबूत करके औरो को उनकी आवाज़ सुनने पर मजबूर करे।

नेहरू हाँ, इसमें तो शक नहीं कि बादुग में जिन मुल्को ने हिस्सा लिया था वे अलग-अलग किस्म के मुल्क थे। यो समझ लीजिये, उसमें पच्छिमी एशिया के मुल्क थे, अरब मुल्क थे, अफ्रीका के मुल्क थे, उसमें चीन था जो कम्युनिस्ट मुल्क है, कुछ अफ्रीकी और कुछ दक्षिण-पूर्वी एशिया के मुल्क थे, जैसे हिंदुस्तान, बर्मा, इंडोनीशिया, श्रीलंका वगैरह—और उन सबमें बहुत फर्क था। फिर ऐसी कौनसी बात थी जो उन सबमें मौजूद थी ?

तो एक बात जो उन सबमें मौजूद थी वह यह थी कि वे सब पश्चिमी मुल्को की हुकूमत के खिलाफ थे। इस सवाल पर सबकी राय एक थी। दूसरी बात जो सबमें मौजूद थी वह यह थी कि सब समाजी तरक्की चाहते थे। इस सवाल पर भी सबकी राय एक थी। अगर हम काम करने के तरीको की बारीकियों में जाते तो कोई समझौता मुश्किल होता। लेकिन जो मुल्क वहाँ जमा हुए थे उनमें इतनी समझदारी थी कि उन्होंने उन बातों के बजाय जिन पर समझौता नहीं था, उन्हीं बातों पर जोर दिया जिनके बारे में सबकी राय एक थी।

वे राजनीतिक बराबरी लानेवाले लोग थे, योरप, अमरीका और एशिया और अफ्रीका के बीच बराबरी, यही ख्याल लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता था और उनमें से ज्यादातर लोग समाजी तौर पर भी बराबरी लानेवाले लोग थे, दोनों ही तरह के लोग, वह जो सत्र के साथ धीरे-धीरे बराबरी लाना चाहते थे और वह जो वेसब्री से फौरन बराबरी लाना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि वहाँ कुछ मुल्क ऐसे भी थे जिन्हें समाजी बराबरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन बराबरी लाने की जरू-

रत को लोग इतने आमतौर पर मानने लगे हैं कि किसी को उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो सकती थी।

मॉड . लेकिन आपके ख्याल में इस मीटिंग से अमली नतीजे क्या निकले ?

नेहरू . उसका योरप और अमरीका के लोगो के सोचने के ढग पर, और एशिया के लोगो के सोचने के ढग पर भी, बहुत गहरा असर पडा, अलग-अलग तरह के असर थे यह।

जहाँ तक एशिया का सवाल है, इस मीटिंग में कुछ हद तक लोगो को यह महसूस हुआ कि वे सब एक हैं। जहाँ तक अमरीका और योरप का सवाल है, तो वहाँ लोगो को यह एहसास हुआ . एक तरह से वह इस बात पर कुछ चौंक-से गये कि एशिया के मुल्क, एशिया की कौमों एक साथ मिले और बुनियादी तौर पर पश्चिमी मुल्को की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाये, उसे चुनौती दे।

इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है कि धन-दौलत के एतवार से पश्चिमी मुल्क एशिया के मुल्को से कहीं ज्यादा आगे और कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन तरक्कीयापत्ता होना और ताकतवर होना एक बात होती है और दूसरे को दबा लेने की ताकत रखना बिल्कुल ही दूसरी बात होती है। जाहिर है कि हिन्दुस्तान किसी ताकतवर मुल्क के कहीं पास भी नहीं पहुँचता। लेकिन किसी मुल्क के लिए हिन्दुस्तान को जीत लेना—फौज की मदद से भी—बहुत ही मुश्किल बात है। लोगो के मिजाज और तमाम दूसरी बातों को मिलाकर देखा जाये तो एशिया की ताकत इस बात में है कि खुद अपने पास ताकत न होने हुए भी वह ताकत का मुताबक कर सकता है। उनके पास दूसरो पर हमला करने की ताकत तो नहीं है लेकिन वह ऐसे हान्यत पैदा कर सकता है कि दूसरे मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाये।

राजनीतिक है तो उससे लोगो पर एक खास किस्म का असर होता है, उनके दिमाग मे उस मदद के बारे मे कुछ शुबहे पैदा हो जाते है।

अगर, मान लीजिये, मदद सिर्फ कम्युनिस्टो के खतरे के खिलाफ लडने के लिए दी जाती है, या कम्युनिस्ट मुल्क महज पश्चिमी मुल्को के खतरे के खिलाफ लडने के लिए मदद देते है, तो उस मदद का एक खास रग होता है, उसमे एक किस्म का खोट होता है और इस गरज से जितनी ही ज्यादा इस किस्म की मदद कोई लेता है उसे उतना ही ज्यादा इस बात का एहसास रहता है कि वह पूरी तरह किसी दूसरे के भरोसे है,—और इसके अलावा यह बात तो खैर होती ही है कि उसे एक खास पालिसी का पाबद रहना पडता है। किसी दूसरे के भरोसे रहना, चाहे वह सियासी मामलो मे हो या आर्थिक मामलो मे, कोई अच्छी बात नहीं है। यह बात इसलिए अच्छी नहीं है कि हमे जो बुनियादी काम करना है वह यह है कि लोगो मे अपने-आप पर भरोसा पैदा हो, वह यह समझने लगे कि हम भी कुछ कर सकते है, इस बात का जिक्र हम पहले भी कर आये है।

जब लडाई छिड जाती है तो मुल्क का हरएक आदमी यह महसूस करने लगता है कि उसे लडाई जीतने के लिए अपना सारा जोर लगा देना चाहिये। हर आदमी अपनी जान की बाजी लगा देता है। हमे लोगो मे यही जज्वा, इसी तरह की भावना पैदा करना है। लेकिन जितनी ज्यादा मदद हमे मिलती है उतना ही कम यह जज्वा पैदा होता है। आमतौर पर, बाहर से मदद मिलना कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल पूरा अमरीका—उत्तरी भी और दक्षिणी भी—योरप से मदद पाकर ही इतनी तरक्की कर सका है। यहाँ तक कि स्कैंडीनेविया मे भी—जो आज इतना अमीर इलाका है—दूसरे मुल्को ने अपनी पूंजी लगायी थी। इनको जो मदद मिली थी वह सच्चे मानो मे मदद थी, उसके पीछे किसी किस्म का विचारो का झगडा नहीं था। लोगो ने इन मुल्को की तरक्की के लिए पूंजी लगायी थी, जैसे लोग आमतौर पर किसी कारोवार मे पूंजी लगाते है। लेकिन बदकिस्मती से आज इन झगडो की वजह से अब यह सवाल उतना सीधा-सादा नहीं रह गया है।

इसमे तो शक नहीं कि मदद बहुत जरूरी है। लेकिन मै यह जरूर सम-

झता हूँ कि इस बात का खतरा हमेशा रहता है—राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह का—कि कहीं मदद इस किस्म की न हो कि लोगो में मेहनत से काम करने का जोश ही बाकी न रह जाये। यह बुरी बात है। इससे कहीं अच्छा है कि आदमी धीरे-धीरे आगे बढ़े लेकिन अपने-आप पर भरोसा रखे, दूसरे के भरोसे रहने से यह कहीं अच्छा है।

माँड • मुझे यकीन है कि आप इस बात को औरो के मुकाबले में ज्यादा आसानी से मान लेंगे कि पश्चिमी मुल्को में भी ऐसे लोग हैं जो नेकनीयती से मदद देने की जरूरत को समझते हैं, और आप इस बात को भी मान लेंगे कि उन्हें अपने मुल्क के आम लोगो को यह समझाने में बड़ी मुश्किल पडती है कि हिंदुस्तानियो की या इडोनेशियावालो की, या किसी और मुल्क के लोगो की मदद करने के लिए इतने डालर टैक्स और देना चाहिये। लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि आगे चलकर कुछ असें बाद दुनिया में आम लोग इस बात को समझने लगेंगे कि इस वक्त दुनिया में लोगो की आमदनियो में जो इतना जमीन-आसमान का फर्क है उसे कम करने के लिए किसी किस्म का अतर्राष्ट्रीय इनकम-टैक्स जरूरी है, जिस तरह कि लोग अपने-अपने मुल्को में इनकम-टैक्स को एक कुदरती बात समझने लगे हैं? आजकल कोई भी आदमी, मिसाल के तौर पर, कम खुशकिस्मत लोगो को बेरोजगारी के दिनों में मदद देने पर एतराज नहीं करेगा।

क्या हम तमाम दुनिया में इस तरह की समझ-बूझ पैदा होने की तरफ बट रहे हैं कि इस किस्म की चीज अतर्राष्ट्रीय पैमाने पर मुमकिन हो सके?

नेहरू : हाँ, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन काफी तेजी के साथ नहीं। मेरा ब्यापक है कि इन सब बातो का ताल्लुक उस 'ठठी लडाई' से है जो इन वक्त दुनिया में चल रही है। अगर यह बात मिट जाये, दुनिया में इस वक्त जो तनावनी है वह अगर दूर हो जाये, अगर लोगो में उर और अदेगा कम हो जाये तो मैं नम-झना हूँ कि हम ज्यादा तेजी से इन तरफ बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो पैना दियारो पर सर्च किया जाता है उसे अगर इन काम में लगाया जाये तो उनसे दरबन्दा लोगो पर बोत बटेगा नहीं। इस तरह यह उतना ही पैना बचा लेंगे।

मैं नेहरू से मिला

तरक्की नहीं कर पाये हैं, जो फर्क है वह और बढ़ता जायेगा। वजाय इसके कि यह बराबरी पैदा करे, इसका असर उल्टा होगा।

सच पूछा जाये तो तरक्कीयापत्ता मुल्को के मुकाबले मे कम तरक्की-यापत्ता मुल्को को ऐटमी ताकत की ज्यादा जरूरत है, यानी उन मुल्को को जहाँ तरक्की कम हुई है बिजली पैदा करने के जरियो की ज्यादा सत्त जरूरत है। मिसाल के तौर पर अमरीका के पास बिजली पैदा करने के जरिये इतने आला दर्जे के है कि उनका काम ऐटमी ताकत के बिना भी चल सकता है। दरअसल उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पडता।

भाँड मैं समझता हूँ कि इसके जवाब मे यह भी कहा जा सकता है कि इन इलाको मे जिनकी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा रखा गया है आम-तौर पर इस्तेमाल किया जानेवाला बेशुमार ईधन है, जैसे पानी से निकाली जानेवाली बिजली, जिसे अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं किया गया है।

नेहरू हॉ, कभी-कभी यह जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। आमतौर पर इस्तेमाल किया जानेवाला ईधन जहाँ मिलता है उसी जगह सस्ता होता है। लेकिन जहाँ इस तरह के ईधन नही होते, वहाँ यह सौदा बहुत महँगा पडता है। हिदुस्तान के ही कुछ हिस्सो को ले लीजिये, हजारो मील तक फैले हुए इलाके है लेकिन मैं इन इलाको मे ऐटमी ताकत फौरन ले जा सकता हूँ।

भाँड अभी उस दिन मैंने एक अखबार मे एक सम्पादकीय लेख देखा था जिसमे डा० भाभा के इस वयान का हवाला दिया गया था कि "हिदुस्तान की तमाम नदियो से जितनी बिजली पैदा की जा सकती है, अगर वह सारी पैदा की जाने लगे तो उससे सिर्फ उसका सातवाँ हिस्सा ताकत हासिल की जा सकती है जितनी कि इस वक्त गोवर के उपले जलाकर हर साल हासिल की जाती है।"

१. डा० होमी भाभा, भारत में ऐटम-बिद्या के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। वह अगस्त १९५५ में जेनेवा में अणु-शक्ति के संबंध में हुए सम्मेलन के अध्यक्ष

नेहरू : यह बहुत ही गैरमामूली बयान है। इसे लोगो ने गलत बताया है, यानी जितना फर्क इसमें बताया गया है उतना है नहीं। लेकिन जो बुनियादी बात कही गयी है वह सही है। मेरी राय में डा० भाभा ने हिंदुस्तान की नदियों से पैदा की जा सकनेवाली बिजली का जो हिसाब लगाया है वह ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनसे इससे ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। जाहिर है, उन्होने इस वक्त के अदाजे से हिसाब लगाया है। लेकिन यह अदाजा तो बहुत बढ सकता है। अभी हमने इस सवाल की पूरी तरह छानबीन नहीं की है। हिंदुस्तान के नक्के को देखिये हिमालय पहाड के सिलसिले को ले लीजिये। उसमें ताकत का अथाह खजाना है नदियाँ, खाने वगैरह-वगैरह। यह तो सच है कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने-वाला ईंधन ऐटमी ताकत से सस्ता होगा—कम-से-कम इस वक्त तो यही सूरत है, आगे चलकर क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता—लेकिन इस ईंधन को ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और ऐटमी ताकत को फौरन दूसरी जगह ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी जगहो पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ आस-पास और कोई ईंधन नहीं मिलता।

गाँड : और फिर आमतौर पर इस्तेमाल किये जानेवाले ईंधनो को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अलग से एक इतजाम करना पडता है, मेहनत लगती है, आदमियो की जरूरत होती है, वगैरह-वगैरह।

नेहरू यही बात है। और हम ऐटमी ताकत पैदा करने के सवाल पर गौर कर रहे हैं। डा० भाभा ने जेनेवा में कहा था कि दस, पंद्रह या बीस बरस में हमें, मसलन समन्दर के पानी से, वह चीजे वेणुमार मिल सकती हैं जिनसे ऐटमी ताकत पैदा की जा सकती है जिसका मतलब यह होगा कि हमें यह चीजे बहुत सस्ती मिल सकेंगी और जितनी, हम चाहेगे उतनी मिलेगी।

गाँड जाहिर है आपने ऐटमी ताकत के सिलसिले में जितनी भी बातें हुई हैं उन्हें बडे गौर से देखा है। क्या आप समझते हैं कि थोडे ही अर्से में

थे। यह उद्धरण २४ दिसम्बर १९५५ के स्टेट्समैन (दिल्ली) के सम्पादकीय लेख से लिया गया है।

तरह समझे और अपने रवैये को इन तब्दीलियों को नज़र में रखकर बदलें। और इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है—वर्क निकलता है—वि आर्थिक सद्द का, या किसी भी वित्त की मदद का मज़सद किसी मुल्क को सिर्फ अपनी तरफ मिला लेने से ऊँचा होना चाहिये।

तिब्बोर झंड . अगर पश्चिमी मुल्को के किसी शहर की सड़क पर किसी समझदार अखवार पढनेवाले को रोककर, प्रधान मंत्रीजी, उसके सामने आपका नाम लिया जाये तो यह नाम सुनते ही उसके दिमाग मे तटस्थता, किसी गुट में शामिल न होनेवाले राष्ट्रों, शांति के क्षेत्र या सह-अस्तित्व के ख्याल आयेंगे । इसलिए कुदरती बात है कि मैं आपसे इन सवालो पर कुछ रोशनी डालने की दरखास्त करूँ, मैं चाहूँगा कि आप इन विचारो की तह में जाये ताकि इन विचारो की एक साफ तस्वीर हमारे सामने आये क्योंकि दुनिया में इन बातो को अकसर गलत तरीके से समझा जाता है ।

शायद तटस्थता के सवाल से शुरु करना ठीक रहेगा ।

मेरा ख्याल है कि ऐटमी लडाई की तबाही मे न फँसने की स्वाहिग उससे कही बडे पैमाने पर लोगो मे मौजूद है जिस हद तक कि बहुत-से लोग मानने पर तैयार होंगे । लेकिन इस सिलसिले मे दो रवैयो के बीच किसी किस्म का समझौता जरूरी है . पहला तो यह कि ऐसी हालत मे, जबकि आज सिर्फ कुछ इने-गिने औद्योगिक राष्ट्र ही बडे पैमाने पर लडाई लडने की ताकत रखते है, तटस्थ देश की हिफाजत का दारोमदार इसी बात पर है कि वह इस बात पर भरोसा रखे कि कोई ताकतवर कौम उस पर हमला नही करेगी । दूसरा यह कि एक ऐसे जमाने मे जब कि विचारधाराओ पर बहुत सख्त झगडा है हरएक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह जिस बात को सही समझता हो उसके लिए उठकर लडे । अगर मैं भूलता नही हूँ तो आपने अपने एक भाषण मे कहा था कि अगर कोई इन बजी-बडी ताकतों के झगडे मे किसी की तरफदारी नही करना चाहता तो यह जरूरी नहीं है कि वह विचारधाराओ के झगडे मे भी किसी की तरफदारी न करे । इन दोनों रवैयो का मेल किस तरह बिठाया जाये ।

जवाहरलाल नेहरू . यह कहने की तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि दुनिया में सिर्फ दो विचारधाराएँ, दो नजरिये हो सकते हैं, समझ लीजिए, एक तो वह जिसकी नुमाइदगी इस वक्त कम्युनिस्ट रूस करता है और दूसरा वह जिसकी नुमाइदगी कुछ पश्चिमी मुल्क करते हैं।

यह तो इंसान की सोचने की या काम करने की ताकत पर बहुत सख्त हदबंदी लगा देना है। यह तो सच है कि ये दो विचारधाराएँ एक तरह से इस वक्त तमाम दुनिया पर छायी हुई हैं और उनमें आपस में टक्कर होती रहती है। इसकी वजह कुछ हद तक तो यह है कि इन दो विचारधाराओं के पीछे बेशुमार फौजी और आर्थिक ताकत है। लेकिन जो चीज छायी हुई है वह विचारधारा नहीं है बल्कि उसके पीछे की यह ताकत है।

लेकिन अब इसी ताकत के बढ़ते जाने से एक नयी सूरत, एक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है। इसके नतीजे के तौर पर ऐंटमी हथियार, बल्कि उनसे भी खतरनाक हथियार तैयार हुए हैं, जिन्होंने हर मुल्क को नये सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब आदमी के सामने पूरी तबाही का खतरा हो तब लड़ाई उसका कोई हल नहीं होता। दरअसल उससे हालत और भी बदतर हो जाती है।

तो, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है—और मैं खासतौर पर सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात कर रहा हूँ, हालाँकि कुछ हद तक यह बात एशिया के दूसरे मुल्को पर भी लागू हो सकती है—तो हमारे बारे में कोई फैसला इसी बुनियाद पर किया जाना चाहिये कि हमारा पिछला इतिहास, हमारी रवायात, हमारी परम्पराएँ क्या रही हैं। तो हिंदुस्तान का पिछला इतिहास, हिंदुस्तान की रवायात, उसकी परम्पराएँ तो यह रही हैं कि हम कि हमने राजनीतिक आजादी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, अपनी हकीकत को पहचानने के लिए सघर्ष किया है, हम इस बात के लिए लड़े हैं कि हम अपने सोचने के तरीके के मुताबिक तरक्की करें। हिंदुस्तान में हमारी टक्कर अंग्रेजों की हुकूमत से हुई और हमने उसे चुनौती दी, लेकिन हमारी चुनौती फौजी नहीं थी—वह तो हम दे भी नहीं सकते थे—हमने उसे शांति के तरीके से चुनौती दी थी। बहुत-सी बातों की वजह से हम कामयाब हुए। इसलिए हम किसी

मसले को हल करने के लिए फौजी तरीके के मुकाबले में शांति के तरीके को ज्यादा अच्छा समझते हैं—इस बात के अलावा भी कि किसी मसले को फौजी तरीके से हल करना हमारे बस में है भी नहीं। इसलिए अपनी रवायत और अपने मिजाज की वजह से, और अपने सोचने के ढंग की वजह से भी, हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि मौजूदा हालात में फौजी तरीका किसी मसले को हल करने का सही तरीका नहीं है—हालाँकि दुनिया के इतिहास में इस तरीके का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लाजिमी तौर पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फौजी तरीके से बचना चाहिये। लड़ाई से बचना चाहिये। और अगर लड़ाई से बचकर रहना है तो जहाँ तक मुमकिन हो लड़ाई के ढंग से सोचना भी नहीं चाहिये।

तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? ठंडी लड़ाई?

ठंडी लड़ाई का मतलब तो यह होता है कि हम हर वक्त लड़ाई की ही बात सोचते रहे, लड़ाई की तैयारियों की बात सोचते रहे और लगातार हमारे सामने यह खतरा बना रहे कि न जाने कब सचमुच लड़ाई शुरू हो जाये।

एक बात अब काफी साफ तौर पर समझ में आने लगी है, खासतौर पर जेनेवा में चार बड़ी ताकतों की कांफ्रेंस के बाद से।

ऑड आपका मतलब चार राज्यों के प्रधानों की कांफ्रेंस से है?

नेहरू जी हाँ, जेनेवा में चार राज्यों के प्रधानों की कांफ्रेंस के बाद से इस बात को लोग मानने लगे हैं कि ऐंटमी लड़ाई किसी भी मसले को हल करने में कारगर नहीं हो सकती और उससे बचना चाहिये।

इससे नतीजा यह निकलता है कि लड़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका आजमाया जाना चाहिये, चाहे उस तरीके से कामयाबी इतनी जल्दी न भी मिले। इसमें मुश्किल तो पड़ेगी, जिन मसलों को हल करना है वह भी काफी मुश्किल है। लेकिन एक बार इस नतीजे पर पहुँच जाने के बाद कि लड़ाई से बचना चाहिये, ठंडी लड़ाई के रास्ते को अपनाने में भी कोई तुक दिखायी नहीं देता क्योंकि ठंडी लड़ाई का उसी वक्त कोई मतलब हो सकता है जब उसके बाद सचमुच की लड़ाई हो। अगर इस सचमुच की लड़ाई को रोकना है तो कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन इस ठंडी लड़ाई की वजह से

दूसरे तरीके मालूम करने में अडचन होती है। आप कह सकते हैं कि यह तो सही है लेकिन हम क्या करें? हम तो ठडी लडाई नहीं चाहते लेकिन दूसरी तरफवाले चाहते हैं और इसलिए हमें भी उनके जवाब में वैसा ही रवैया अख्तियार करना पडता है। मेरी राय में यह कोई माकूल जवाब नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर एक तरफवाले गांति के रास्ते पर टिके रहे तो आखिर में चलकर दूसरी तरफवालो को भी उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर होना पड़ेगा।

मैं तो समझता हूँ कि लोग जो फौजी ताकत की बातें करते हैं या घमकियाँ देते हैं उसकी वजह यह है कि वह डरते हैं कि ऐसा न करने से कही लोग यह न समझे कि हन दूसरी तरफवालो के साथ रियायत कर रहे हैं या कही यह न मालूम हो कि हमने उनकी विचारधारा के सामने घुटने टेक दिये हैं। नतीजा यह होता है कि दूसरा भी वैसी ही बातें करता है। जाहिर है कि इस चक्कर को तोडना नामुमकिन हो जाता है।

तो जहाँ तक विचारधाराओं का सवाल है तो हम, मिसाल के तौर पर, कम्युनिस्ट रूस के विचारों की पृष्ठभूमि को कतई नहीं मानते। लेकिन आर्थिक और दूसरे मामलों में अमरीका की पृष्ठभूमि न तो हमारे दृष्टिकोण से मेल खाती है और न इन मसलों की तरफ हमारा इस वक्त जो रवैया है उससे मेल खाती है। राजनीति के एतदार से तो हमारे यहाँ ससदीय लोकतंत्र है, जिसे 'पार्लियामेटरी डेमाक्रेसी' कहते हैं, जो पश्चिम वालों के दृष्टिकोण के बहुत नजदीक है। हम गहरी आजादी में, नागरिक स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं, हम इसमें यकीन रखते हैं कि लोगों को अपनी बात कहने की, अपनी राय जाहिर करने की पूरी आजादी हो, और इसी तरह की दूसरी बातों में हम यकीन रखते हैं। लेकिन हम तेजी से तरक्की करना चाहते हैं और हमारे मुल्क में लोगों के बीच जो बहुत बडा फर्क है उसे हम दूर किया चाहते हैं, रुपये-पैसे के मामले में जो फर्क है या दूसरी बातों के मामले में जो फर्क है। तो, हमारी राय यह है कि अगर हमने वह रास्ता अख्तियार किया जिसे पूजीवादी रास्ता कहा जा सकता है, तो इस बात का खतरा है कि यह फर्क और बढता जायेगा। यह तो मुमकिन है कि हम ज्यादा चीजें पैदा करने लगे—और वेगक हम करेगे—

लेकिन उससे अमीर कुछ कम अमीर हो जायेंगे और आखिर में चलकर मुमकिन है गरीबों की हालत कुछ सुधर जाये—हालाँकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

इसी बीच में हमें अपने समाजी मसलों को भी हल करना है। इसलिए हम उस रास्ते को अपनाने पर मजबूर हैं जिसे हम समाजवादी रास्ता कह सकते हैं; यह रास्ता समाजवादी जरूर है लेकिन इस माने में नहीं कि हम बिल्कुल लकीर के फकीर बने रहेंगे। हम इसी के मुताबिक अपनी योजनाएँ बनाने की कोशिश करते हैं और यह बात हमारा सोचने का पहले जो तरीका था उससे पूरी तरह मेल खाती है, हमारा सोचने का यह तरीका पश्चिमी मुल्कों और सोवियत यूनियन और दूसरे मुल्कों के बीच यह झगडा शुरू होने से बहुत पहले कायम हो चुका था। अपनी कौमी तहरीक के जरिये हम पहले ही से इसी ढर्रे पर सोच रहे थे। हमारा सोचने का तरीका हमेशा से अहिंसा और शांति का तरीका था।

आपको याद होगा कि हम कई टेढ़े मसलों को शांति के तरीकों से हल कर चुके हैं।

देसी रजवाडों के सवाल को ले लीजिये। जरा ख्याल कीजिये, हिंदुस्तान में पाँच सौ से ज्यादा देसी रियासते थीं जो कमोबेश खुदमुख्तार थीं, यहाँ तक कि उन्हें आजाद रियासते समझा जाता था। हर आदमी यही समझता था कि उनकी वजह से हमें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस मसले को हमने कुछ ही महीनों में, बल्कि कहना चाहिये कुछ ही हफ्तों में तै कर लिया—और सो भी शांति के साथ। ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? तो जाहिर बात है, हालात का तकाजा था, मुल्क में जो कुछ हो रहा था उसका उन पर दबाव पड़ा; एक तरफ तो भारत की नयी सरकार का दबाव था और दूसरी तरफ खुद इन रियासतों के रहनेवालों का दबाव था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी था कि इन देसी रजवाडों की तरफ हमारा रवैया शांति और मेलजोल का रवैया था। हमने उनकी तरफ फौजी धमकियों वगैरह का रवैया अख्तियार नहीं किया। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन इसके वजाय कुछ तो हमारे शांति और दोस्ती के रवैये की वजह से और कुछ वक्त के तकाजे की वजह से यह बहुत ही टेढ़ा मसला हल हो गया।

फिर जमीन के सवाल के बारे में हमारे रवैये को ले लीजिए।

मैं इस बात को मानता हूँ कि इस सिलसिले में हम जित्त रज़ार से आगे बढ़े हैं उससे मैं बहुत सुतमइत नहीं हूँ मुझे पूरा संतोष नहीं है। फिर भी बढ़े-बढ़े ज़मींदारों की ज़मींदारी को खत्म करके बहुत आगे बढ़े हैं और ज़मीन को ज्यादा बराबरी से बाँटने के सिलसिले में हम कई तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यह एक टेढ़ा सवाल है। यह जान भी हमने शांति के तरीके से किया, मुझाबज़ा देकर। पूरा मुझाबज़ा तो नहीं दिया... वह नुमकिन भी नहीं था।

मेरा कहने का मतलब यह है कि इन टेढ़े सवालों को, जिनमें बहुत-से झगड़े हैं, वर्गों के झगड़े हैं, शांति के साथ और मिल-जुलकर दोस्ती से तै किया जा सकता है। हम इस बात से इंकार नहीं करते कि वर्गों के बीच झगड़े हैं लेकिन हम इस बात को भी खररी नहीं समझते कि वर्गों के इन झगड़ों को और बढ़ाकर, उन पर लड़ाई-झगड़ा और सारपीट करके ही उन्हें तै किया जा सकता है। सबसे पहले तो आम जनता का स्वाव होता है: दूसरे जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उन्हें अपनी तरफ़ लाने के लिए उन्हें हटा देने या खत्म कर देने के बजाय उनकी तरफ़ दोस्ती का खैया रखना चाहिये। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्टों के सोचने के तरीके में और हमारे तरीके में यह एक दुनियादी फ़र्क है। हमारा सोचने का तरीका, मिसाल के तौर पर अमरीका के सोचने के तरीके से भी अलग है। इसलिए मेरी समझ में कोई बजह नहीं आती कि हमारे सोचने सिर्फ़ यही दो अलग-अलग रास्ते रखकर हमसे कहा जाये कि या तो यह तरीका पसंद कर लो या वह तरीका। हम तो इन दोनों ही तरीकों में अलग तरीके से सोचते हैं।...

साँड : प्रधान मंत्रीजी, आपने जो जवाब दिया है उसमें स्यादानर विचार-धाराओं के पहलू पर ही रोगनी डाली है। अगर हम, मिसाल के तौर पर अमरीका के किसी अखबार पढनेवाले बौद्ध आदमी को लें तो वह शायद नाक़त के सवाल पर स्यादा ख़ोर देगा।

हमारा अमरीका का यह अखबार पढनेवाला जो सवाल पूछेगा वह यह है : मान लीजिये कोई विचारधारा इतनी लडाकू हो जाती है कि उससे फौजी हमले का खतरा पैदा हो जाता है, ऐसी हालत में किसी तटस्थ देश का क्या रवैया होगा ?

नेहरू : क्या आपका सवाल यह है कि अगर कोई ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान पर हमला कर दे तो हमारा रवैया क्या होगा ?

भांड . नहीं, यह सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा। मेरा मतलब यह है कि अगर ताकतवर पडोसी की विचारधारा इतनी लडाकू शक्ल अख्तियार कर ले कि उससे फौजी हमले का अदेशा पैदा हो जाये—हमला अभी तक उसने किया नहीं है, . हिटलरी जर्मनी के पडोस में चेकोस्लोवाकिया की मिसाल को ले लीजिये।

नेहरू . आपने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका मेरे नजदीक सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, वह यह कि चेकोस्लोवाकिया को हिटलरी जर्मनी के खिलाफ लडना चाहिये था, आखिर में चलकर नतीजा कुछ भी होता। जिस वक्त हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया उससे कुछ ही दिन पहले १९३८ में मैं चेकोस्लोवाकिया में था। जो कुछ वहाँ हुआ उसे चेकोस्लोवाकिया का चुपचाप बर्दाश्त कर लेना मेरी समझ में कभी नहीं आया। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हम ऐसी बातों के खिलाफ लडने के आदी थे। मैं इस बात को मानता हूँ कि चेकोस्लोवाकिया के लिए हिटलरी जर्मनी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम था।

भांड : खासतौर पर उसकी हिम्मत तोडकर पहले से जो जमीन तैयार कर ली गयी थी, उसके बाद।

नेहरू : हाँ, यह तो सच है। मैं उस माने में शांति का अधा पुजारी नहीं हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ सूरतों में आदमी को लडना पडता है। इसमें इतना ज्यादा सवाल इस बात का नहीं होता कि लोग किन उसूलों को मानते हैं जितना कि इस बात का कि उनकी रवायात क्या रही है; इस बात का कि वह क्या कर सकते हैं। गाँधीजी तक, जो शांति के बहुत बडे पुजारी थे, हमेशा यही कहते थे कि डरने से तो लड लेना अच्छा है। भाग जाने से कही अच्छा है कि आदमी हिंसा का सहारा ले। उनका मतलब यह था कि हमें किसी

नेहरू जी हाँ, पचशील। उनमें खासतौर पर जो बात कही गयी है वह यह कि कोई हमला नहीं होना चाहिये और किसी किस्म की दखलदाजी, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, यहाँ तक कि दूसरे मुल्को के सोचने के तरीके में, उसकी विचारधारा में भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। अगर इन पाँच उसूलों को मान लिया जाये और उन पर चला जाये तो खतरा दूर हो जायेगा, तनातनी कम हो जायेगी, लडाई का डर कम होगा, और हमलें और दखलदाजी का डर तो बिलकुल मिट जायेगा।

लेकिन अगर सोवियत यूनियन और अमरीका जैसे दो ताकतवर मुल्क सिर्फ यह कहे कि हम हिंदुस्तान की या बर्मा की तटस्थता को नहीं छेड़ेंगे तो आजकल के हालात में मेरे नजदीक उनकी इस गारंटी का सचमुच कोई मतलब नहीं है। अगर लडाई न हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लडाई होती है तो फिर कोई गारंटी कारगर नहीं रह जायेगी। इसलिए लडाई से बचना ही अच्छा है।

शॉड प्रधान मंत्रीजी, आपने अपनी बातचीत के दौरान में एक ऐसी बात का जिक्र किया है जो मुझे बहुत अहम मालूम होती है। मेरा मतलब आपकी उस बात से है जो आपने लोगों के दिमागों पर असर डालने के आजकल के नये-नये और बहुत ही कारगर तरीकों के बारे में कही है, जिसे हम कह सकते हैं दूर से बैठे-बैठे आम लोगों के दिमाग में कुछ ख्यालात बिठा देना। पिछले बीस-बाईस बरसों में हमें इस बात की बहुत-सी मिसालें मिलती हैं कि किसी मुल्क के लोगों की राय को किस तरह ऐसे साँचे में ढाल दिया गया कि वह सीधे-सीधे किसी दूसरे मुल्क के दवाव में रहना मजूर कर ले। इस काम को करने के जो तरीके हैं उनमें बहुत तरक्की कर ली गयी है, अब तो उन्हें लगभग बिल्कुल साइस का दर्जा हासिल है। किसी मुल्क की आर्थिक हालत से भी इसमें कामयाब होने में बड़ी मदद मिलती है। इन दोनों बातों को देखते हुए क्या इस बात का खतरा नहीं है कि “चोरी-छुपे लोगों के दिमागों में कुछ खास ख्यालात बिठाकर” हिंदुस्तान जैसे मुल्क में—या किसी भी दूसरे मुल्क में—किसी दूसरे ताकतवर मुल्क के घुमने के लिए जमीन तैयार की जाये ?

नेहरू हाँ, खतरा तो है। लेकिन यह खतरा ठोस शकल उसी वक़्त

अख्तियार कर सकता है जब उस मुल्क में एक किस्म का खालीपन हो। मेरा मतलब है कि वहाँ के लोगो के दिमाग खाली हो या उस मुल्क के आम हालात में एक खोखलापन हो।

अगर कोई बाहर की जमाअत या सगठन इस तरह का प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर करे तो बात दूसरी है। उससे तो फर्क पडता है। लेकिन यह फर्क फिर भी दो वजहो से एक खास हद तक ही होगा। पहली वजह तो यह कि, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ; सवाल इस बात का होता है कि प्रचार करने के लिए उस मुल्क में किस हद तक पहुँचा जा सकता है। और दूसरे यह कि उस मुल्क में प्रचार के लिए मैदान साफ हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में हम इस किस्म की चीजो को ज्यादा नहीं बढ़ने देते, हम पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक इन बातो को दूर रख सकते हैं, विचार तो आते हैं लेकिन अगर हम उनसे बचकर रहे तो उनका उतना गहरा असर नहीं हो सकता। यानी अगर हम किसी खास ढर्रे पर सोच रहे हो जिसकी वजह से हमारे अपने दिमाग खाली न हो। इस तरह का प्रचार उन्ही मुल्को में होता है जहाँ लोगो के दिमागो में यह खालीपन होता है, जहाँ लोगो में सिर्फ निराशा और मायूसी होती है।

सॉड . मेरे ख्याल में आपने अभी तक जो कुछ कहा है उससे उस दूसरे विचार का भी मतलब साफ हो जाता है जिसे हम शांति का क्षेत्र कहते हैं।

अगर मैं सही समझा हूँ तो इसका मतलब उस इलाके से है जो इस बात का फैसला कर चुका है कि वह मौजूदा तनातनी को और बढ़ायेगा नहीं, यानी वह मुल्क जो यह फैसला कर चुके है कि इस वक्त दुनिया की राजनीति में जो तनातनी चल रही है उसे वह और नहीं बढ़ायेगे। इस सिलसिले में भी मैं अपने किसी पश्चिमी मुल्क के उस फर्जी शहरी के नजरिये से बहस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह कह सकता है कि इन मुल्को ने तो तटस्थ रहने का, झगडो से अलग रहने का फैसला कर लिया और हथियारबंदी का सारा बोझ उन बड़ी-बड़ी ताकतो के कंधो पर डाल दिया जिन पर आजकल की दुनिया में एक सतुलन बनाये रखने की जिम्मेदारी है।

वह यह दलील पेश करेगा . कोई मुल्क एकतरफा तरीके से तो हथियार-

को छोड़ देने पर मजबूर होते जा रहे हैं। लोग न चाहते हुए भी इस बात को मानने लगे हैं कि अब लड़ाई की बात सोचना भी मुमकिन नहीं रह गया है और जैसे-तैसे करके हम आज मिल-जुलकर साथ रहने के जमाने में पहुँच गये हैं, हम सह-अस्तित्व के युग में आ गये हैं।

लेकिन क्या यह सह-अस्तित्व जो हमारे ऊपर जबर्दस्ती थोप दिया गया है ज्यादा दिन चल सकेगा ? जब आखिर में चलकर किसी तरफ दूसरी तरफ के मुकाबले में बहुत ज्यादा हथियार हो जायेंगे, क्या तब भी यह सह-अस्तित्व कायम रह सकेगा ? दूसरे लपजो में क्या जो हथियार इस वक्त है वह हमेशा के लिए लड़ाई को रोक सकते हैं ? या आगे चलकर यह मुमकिन है कि कोई नया हथियार, इससे भी खौफनाक हथियार ईजाद कर लिया जाये और सारा झगडा फिर नये सिरे से शुरू हो जाये ?

नेहरू मुझे ऐटमी हथियार बनाने वाले बड़े-बड़े साइंसदानो ने बताया है कि यह बात बिल्कुल मुमकिन है कि अगले दस या बीस बरस में ये हाइड्रोजन बम भी बहुत आसानी से और बहुत कम पैसो में बनाये जाने लगे।

तो यह तो बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि अगर बड़ी-बड़ी ताकतें आपस में कोई सुलह-समझौता कर भी ले तब भी इस बात का खतरा रहेगा कि कोई छोटा-सा झगडालू मुल्क या कई छोटे-छोटे मुल्क मिलकर दुनिया के किसी हिस्से पर धौंस जमाने की कोशिश करे। यह बहुत ही भयानक बात है। दरअसल इसका इलाज इसके अलावा और कोई नहीं है कि सारी दुनिया में इसके खिलाफ एक जबर्दस्त लहर पैदा कर दी जाये। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हम चोर-डाकुओ से पेश आते हैं। हमारे पास उन्हें रोकने के लिए पुलिस होती है। लेकिन चोरी-डकैती अगर बढ़ती है तो वह पुलिस की वजह से नहीं बल्कि आम लोगो की राय की वजह से बढ़ती है, क्योंकि आम लोग चोर-डाकुओ को पसंद नहीं करते।

माँउ खैर मुहावरे की बात छोड़ दीजिये कि दाँत में जब दर्द होता है तो लोग कहते यही है कि इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मालूम यह होता है कि इसान सब-कुछ बर्दाश्त कर सकता है। जिस वक्त बड़े-बड़े बम बरसाने वाले हवाई जहाज बने थे उस वक्त लोग यही कहते थे कि अब इसके

बाद कभी लडाईं नहीं होगी, लेकिन अब इन्हीं हवाई जहाजों को बहुत पुराने जमाने का हथियार समझा जाने लगा है। या मिसाल के तौर पर अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैं हिरोशिमा में था। मैंने देखा कि वह शहर बिल्कुल नया बन गया है, लोग अपने-अपने काम में लगे हुए थे, लडाईं के घाव भर गये थे और जो लोग मर गये थे उन्हें लोग भूल चुके थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि लडाईं की सबसे तकलीफदेह बात यह होती है कि जो लोग उसमें जिदा बच जाते हैं वही उसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि इसान इन नयी तबाहियों को भी बर्दाश्त कर लेगा और इससे भी ज्यादा खौफनाक बातों की तरफ जायेगा ?

नेहरू : मुमकिन क्यों नहीं है, इसका कतई खतरा है। इससे दो बातों का पता चलता है। एक तरफ तो लगातार बढ़ती हुई तबाही और दूसरी तरफ दुनिया में तबाही के बाद भी दुबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाने की हैरत-अगेज कूवत, और आखिर में चलकर यही कूवत बाकी रहेगी।

झाँड : शांति के सिलसिले में ही यह सवाल भी उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय सस्थाएँ कितनी कारगर हैं। अगर हम यह कहे कि सभी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसला शांति के तरीके से होना चाहिये, तो इसका मतलब तो यह है कि हमें पहले यह मान लेना पड़ेगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सगठन ऐसा है जो लोगों की सही ख्वाहिशों को, उनकी उचित माँगों को पूरा कर सकता है। अगर ऐसा कोई सगठन, कोई ऐसी मशीन नहीं है तो शांति के तरीके से झगड़ों का फैसला करने की बात सरासर धोखे की टट्टी है। आज लोगों की, मुल्कों की और कौमों दगैरह की कुछ सही ख्वाहिशें हैं, लेकिन अगर इन्हें शांति के साथ पूरा करने का कोई रास्ता न निकाला गया तो फिर तो उनका आखिरी फैसला लडाईं से ही होगा। प्रधान मंत्रीजी, क्या आप समझते हैं कि आजकल की अंतर्राष्ट्रीय सस्थाएँ इस काम को पूरा कर सकती हैं ?

नेहरू : मैं यह कहना चाहूँगा कि उनमें इस काम को पूरा करने की ताकत धीरे-धीरे लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है।

वह अभी तक इस खतरे को पूरी तरह दूर तो नहीं कर सकी है लेकिन आज वह इस खतरे को रोक जरूर सकती है; वह लोगों पर रोकथाम रख

सकती है और लोगो को सोचने का मौका दे सकती है। यह बहुत बड़ी बात है।

मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र-मंडल,— फँसलो को लागू करवाने में अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद—दुनिया में शांति कायम रखने में एक बहुत बड़ी ताकत साबित हुआ है, और इस हैसियत से उसकी ताकत और बढ़ सकती है। इसका सारा दारोमदार इस पर है कि लोगो की राय बहुत बड़े पैमाने पर इसके हक में हो।

इसके अलावा मैं यह भी समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ताकत का एक जगह इकट्ठा हो जाना हमेशा खतरनाक होता है। इसका क्या इलाज है, मैं नहीं जानता। यह सिलसिला बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। चाहे आर्थिक ताकत के एक जगह इकट्ठा हो जाने का सवाल हो, या फौजी ताकत के या किसी और किस्म की ताकत के जिसके हाथ में भी ताकत इकट्ठा हो जाती है उसे इसका नशा-सा चढ़ जाता है। इसके अलावा सिर्फ समाज-दुश्मन ताकतों में ही नहीं बल्कि उन लोगो में भी, जिन्हें आप “धुन के पक्के भले लोग” कह सकते हैं, इस तरह सोचने की एक आदत पायी जाती है कि वे दूसरो पर जबर्दस्ती अपनी भलाई थोप दे। इससे झगड़े पैदा होते हैं। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ज्यादा झगड़े किसकी वजह से पैदा होते हैं अपनी धुन के पक्के उन भले लोगो की वजह से जो अपने जिदगी के तरीके को ही सही समझते हैं और उसे दूसरो पर थोप देना चाहते हैं या बुरे लोगो की वजह से। जो लोग बुरे होते हैं उनके बारे में तो कम-से-कम यह मालूम रहता है कि वे बुरे हैं। लेकिन धुन के पक्के भले लोग तो नेकी का जामा पहनकर आते हैं।

यहाँ भी वही दूसरो के मामले में दखल देने का सवाल आ जाता है। यहाँ हिंदुस्तान में तो हमारा सोचने का तरीका यह रहा है कि हम दूसरो के धर्म में दखल नहीं देते। हर आदमी को इस बात की पूरी आजादी है कि वह जैसे चाहे मुक्ति पाने की कोशिश करे। आमतौर पर इसकी वजह से उसके पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो ताकतवर मजहब थे, जिन्होंने दूर-दूर तक जाकर अपना झंडा गाड़ा, उनका तरीका इससे अलग था। तो, दोनों ही की तरफ से बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। मैं दोनों में से किसी की बुराई

नहीं कर रहा। लेकिन आज हो यह रहा है कि आर्थिक विचारों की हालत भी दूर-दूर तक जाकर अपना झंडा गाड़नेवाले मजहबों जैसी हो गयी है।

झॉंड . बहुत ताकतवर हथियारों और दूसरे मुल्कों में पैसा लगाकर वहाँ अपने पैर जमा लेने वगैरह की वजह से धावे मारकर दूर-दूर तक अपने झंडे गाड़नेवाले इन विचारों ने कमजोर मुल्कों के सामने, खासतौर पर दक्षिण-पूर्वी एशिया में, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, जिसे हम शायद नये-साम्राज्यवाद का मसला कह सकते हैं या अगर ज्यादा भोड़े तरीके से कहें तो हम इसे इन मुल्कों को भी "लैटिन अमरीका के मुल्कों जैसा बना देने" का मसला कह सकते हैं।

प्रधान मंत्रीजी, क्या आपका ख्याल यह नहीं है कि आज बड़ी ताकतों का रुख यह हो गया है कि अगर उन्हें दोस्त नहीं मिलते तो वे इस बात का इतजाम कर लेती हैं कि कुछ मुल्क उनका दुमछल्ला बनकर रहे? क्या मुल्कों को लैटिन अमरीका के मुल्कों जैसा बना देने का यह रुख बहुत बड़े खतरे की बात नहीं है?

नेहरू यह खतरा है तो। और सारी दुनिया में है। यह बात कुछ बड़े मुल्कों पर भी लागू हो सकती है।

जैसे आर्थिक मैदान में आर्थिक ताकत का रुख इजारेदारी की तरफ और ज्यादा-से-ज्यादा ताकत एक जगह इकट्ठा कर लेने की तरफ होता है, या फौजी मैदान में भी आज सचमुच दो ही मुल्क बहुत बड़े और ताकतवर हैं, बाकी तो उनसे बहुत पीछे हैं। . . . और ये ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्कों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, हालाँकि यह भी एक हद तक ही मुमकिन होता है। इसके रास्ते में कई रुकावटें होती हैं। पहली तो यही रुकावट होती है कि उस मुल्क के रहनेवाले खुद इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, फिर और भी रुकावटें होती हैं जैसे कौमी जज्बा या राष्ट्रवाद की भावना, हर मुल्क के लोगों की यह कुदरती ख्वाहिश कि वह किसी दूसरे मुल्क के दबाव में न रहे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर में चलकर इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी बैठे। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, ऐसा मालूम होता है कि हम अब उस मजिल पर पहुँच गये हैं जिससे आगे अब किसी मुल्क के लिए किसी दूसरे

मुल्क को और ज्यादा दबाकर रखना मुमकिन नहीं है। एक हद खिंच गयी है और अगर कोई ताकतवर मुल्क या कई ताकतवर मुल्क मिलकर किसी ऐसे मुल्क को दवाना चाहते हैं, जो फर्ज कर लीजिये, दोनो में से किसी भी गुट के साथ नहीं है, तो दूसरा ताकतवर गुट भी वहाँ अपना असर जमाना चाहता है और उस इलाके में एक झगडा उठ खडा होता है। कहने का मतलब यह कि अब इस बात का खतरा रहने लगा है कि अगर कोई ताकतवर मुल्क दूसरे के असर के इलाके में कोई दखल दे तो लडाई छिड जायेगी। यह बात खुद मुल्को को दूसरे मुल्को में दखल देने से रोकती है।

मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जेनेवा काफ्रेस में इंडो-चायना के सवाल की मिसाल ले लीजिये। उस वक्त इंडो-चायना में लडाई चल रही थी। हल यह निकाला गया कि लडाई रोक दी जाये और दोनो बडी ताकतों इस बात को मान ले कि उनमें से कोई भी दखल नहीं देगा। एक तरफ तो चीन को यह डर था कि कही इंडो-चायना को उस पर हमला करने के लिए अड्डा न बना लिया जाये। दूसरी तरफ पश्चिमी ताकतों को यह डर था कि कही ऐसा न हो कि इंडो-चायना कम्युनिस्ट चीन का ही एक हिस्सा बन जाये और दूसरे मुल्को पर हमला करने के लिए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया जाये। तो दोनो तरफ से यह डर था। इस डर को दूर करने का सिर्फ यह तरीका था कि दोनो ही ताकतें दखल न देने पर राजी हो और इंडो-चायना को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने के लिए छोड दे।

उसे इसमें कामयाबी मिली या नहीं, यह दूसरा सवाल है। लेकिन रुख यही था। असल बात है दखल न देना, क्योंकि आप दखल देंगे तो दूसरा भी दखल देगा, फिर झगडा होगा और इसी झगडे से बढ़ते-बढ़ते फिर लडाई गुरु हो जायेगी।

माँड एशिया में अमरीका की जो भूमिका दिन-व-दिन बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए, प्रधान मंत्रीजी, क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि भारत-अमरीकी सवधो के इस बहुत ही बुनियादी सवाल के बारे में कुछ कहने के लिए आपसे कहूँ ?

मैं नहीं समझता कि यह बताने की कोई जरूरत है कि ये ताल्लुकात इतने

अहम क्यों हैं। अगर भारत तेजी से आर्थिक तरक्की करना चाहता है—जैसा कि जाहिर है कि वह करना चाहता है—तो इसके दो ही रास्ते हैं या तो यहाँ के रहनेवालो को बहुत तकलीफे उठानी पड़ेगी और बहुत बड़ी-बड़ी कुरबानियाँ देना पड़ेगी या फिर बहुत बड़े पैमाने पर विदेशो से मदद लेनी पड़ेगी। यह तो जाहिर है कि विदेशो की इस मदद से सारे मसले तो हल नहीं हो जायेंगे लेकिन उससे इतना जरूर होगा कि यहाँ के रहनेवालो पर तकलीफो और कुरवानियो का जो बोझ पड़ेगा वह कुछ हल्का जरूर लगने लगेगा। मौजूदा हालात में यह भी जाहिर है कि काफी बड़े पैमाने पर मदद सिर्फ अमरीका से ही मिल सकती है।

लेकिन, यह बात साफ है कि इस वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से दोनो मुल्को के ताल्लुकात में एक खिचाव-सा पैदा होता है। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इस वक्त अमरीका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में दोनो तरफ से कुछ झुंझलाहट है और दो मुल्को के बीच जब भी इस तरह की झुंझलाहट होती है तो अकसर उसकी बुनियाद किसी गलतफहमी पर होती है।

मैं आपसे पहले ही से इतना लम्बा सवाल पूछने के लिए माफी माँग लूँ लेकिन इस मसले की अहमियत को देखते हुए मैं आपकी इजाजत से यह बताना चाहूँगा कि झुंझलाहट किन-किन बातों पर है और आपसे उनके बारे में अपनी राय देने के लिए कहूँगा।

पहले हिंदुस्तानियो की नजर से इस सवाल को देखिये।

हिंदुस्तानियो में जो थोड़ी-सी झुंझलाहट पैदा होती है उसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो बातें पुरानी साम्राज्जी ताकतों के फायदे की हैं उनमें अमरीका भी दिन-ब-दिन उन्हीं ताकतों का ज्यादा साथ देने लगा है; अपने फौजी फायदे के लिए वह ऐसी सरकारों को सहारा देकर कायम रखता है जो जनता की नुमाइदगी नहीं करती, और पूरे तौर पर ऐसा लगता है कि वह नये एशिया की उमंगों के खिलाफ है। अगर हम और आगे जायें तो इस झुंझलाहट की वजह यह भी है कि लोग कुछ-कुछ ऐसा समझने लगे हैं कि अब अमरीका एक ऐसी समुद्री ताकत बन गया है जिसकी लपेट में हिंदु-

स्तान जैसे बड़े-बड़े मुल्क भी आ गये हैं—यह अमरीका की दिलचस्पी प्रशात महासागर की तरफ पैदा हो जाने का लाजिमी नतीजा है।

फिर दूसरी बात यह कि कुछ हिंदुस्तानी यह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अमरीका के नेता इस बात को बिल्कुल समझ ही नहीं सकते कि एशिया के नये-नये आजाद हुए मुल्को में जो तटस्थ रहने की ख्वाहिश है वह इन मुल्को की आजाद रहने की ख्वाहिश का ही सबसे सही अक्स है।

तीसरे, हिंदुस्तानियों का कहना यह है कि अमरीकी राजनीतिक शर्तें लगाकर ही आर्थिक मदद देना पसंद करते हैं और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वह आर्थिक मदद के मुकाबले में फौजी मदद देना ज्यादा पसंद करते हैं।

आखिर में, यह भी कहा जाता है कि जबकि इस मसले को सच्चे आर्थिक सुधारों से ही हल किया जा सकता है अमरीकी जरूरत से ज्यादा जोर फौजी घमकियों पर देते हैं।

जहाँ तक अमरीकियों का सवाल है मैं खुद अमरीकी नहीं हूँ लेकिन मैं अपने अमरीकी दोस्तों से जो कुछ सुनता हूँ उसका खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारे पश्चिमी मुल्को के कुछ रहनेवाले भी कभोवेश इसी तरह से सोचते हैं—तो हमारा यह अमरीकी दोस्त कहेगा कि हिंदुस्तान “हमारे साथ नहीं है, इसलिए वह हमारे खिलाफ है” और इसलिए अमरीका एशिया के कम्युनिस्ट राज्यों के चारों तरफ एक फौजी घेरेबंदी कर रहा है, उसमें एक जगह खाली रह जाती है और अमरीका समझता है कि इस घेरेबंदी से ही कम्युनिस्टों को दूसरे मुल्को में अपने पैर जमाने से रोका जा सकता है।

दूसरे, हमारा यह अमरीकी दोस्त कहेगा कि दुनिया के मौजूदा झगड़ों में हिंदुस्तान जो बीच-बचाव करने की कोशिश करता है उससे कम-से-कम अमरीकियों को तो ऐसा लगता है कि अमरीका का पलड़ा कमजोर होता है और कम्युनिस्टों के हाथ मजबूत होते हैं।

तीसरा सवाल वह यह उठा सकता है कि एक ऐसे इलाके में जिसमें अमरीका की दिलचस्पी बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान का भी कुछ नैतिक प्रभाव है जो अक्सर उस इलाके में अमरीका के मसूवों के खिलाफ

पडता है। अगर हम उसे ज्यादा ऊँची सतह पर देखे तो शायद यह दो ऐसे मुल्को का टकराव है जिन्हे अपने-अपने “लक्ष्य” के सही होने का बराबर यकीन है।

चौथे, यह अमरीकी यह भी कह सकता है कि हिंदुस्तान में जो “समाजवादी ढाँचा” अपनाया गया है वह अमरीका के निजी कारोबार के फायदे के खिलाफ है, यह उन पूंजीपतियों के हितों के खिलाफ है जो, अगर यह समाजवादी ढाँचे की रूकावट न होती, तो अपनी पूंजी हिंदुस्तान में लगाकर उसकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद देते।

पाँचवे, वह यह कह सकता है कि हिंदुस्तान अक्सर अमरीका की तरफ ऐसा रवैया अख्तियार करता है जैसे अमरीका तो दुनिया की छोटी-मोटी माया-मोह की बातों के चक्कर में पड़े रहने की घटिया जिदगी की नुमाइदगी करता है और हिंदुस्तान मायामोह से मुक्त आत्मा की शानदार मिसाल है।

और आखिरी बात यह आप मुझे माफ कीजियेगा मैं बिल्कुल साफ-साफ कह रहा हूँ . मैंने अक्सर कुछ बहुत ही नेकदिल और नेकनीयत अमरीकियों को कहते सुना है कि “नेहरूजी हमें पसंद नहीं करते”—शायद ये लोग नेकनीयत तो बहुत है लेकिन उनकी जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है। आप जानते हैं कि अमरीकी ऐसी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि “उन्हें पता नहीं चलता और वह कम्युनिस्टों के लिए रास्ता खोल देते हैं” क्योंकि “आखिरकार उनकी हमदर्दी तो दूसरी तरफ ही है।” . . .

मैं उम्मीद करता हूँ कि, प्रधान मंत्रीजी, आप मुझे माफ करेगे कि मैंने ये सब बातें इतने भोड़े तरीके से आपके सामने रख दी हैं। मैं दरअसल आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता था .

नेहरू . हाँ, तो आपने तो मुझसे एकदम से इतने बहुत-से सवाल कर दिये हैं कि उनमें से कहाँ से शुरू किया जाये, समझ में नहीं आता।

पहली बात तो यह है कि यह सोचना या कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तानी अमरीकियों को नापसंद करते हैं। हिंदुस्तान में अमरीकियों के बारे में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं है। यह जरूर है कि अमरीका में बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, इस माने में कि हम उन चीजों को यहाँ हिंदुस्तान में ले आने के लिए बेचैन नहीं हैं। जिदगी के सवालों की तरफ हमारा

दरअसल इस तरह तो आप अपने दुश्मन के हाथ में खेलते हैं और आप ऐसी हालत पैदा कर देते हैं जिसमें यह मालूम होने लगता है कि कम्युनिज्म इन उप-निवेशों को आजाद करानेवाली ताकत है। यह बहुत खतरनाक बात है। आप सब लोगों को अपने खिलाफ कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ आये तो आपको जनता के सामने एक आजाद करानेवाली ताकत की तरह आना चाहिये, आपके विचार और आपकी पालिसी आजादी के विचार और आजादी की पालिसी होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी मुल्क में किसी गरोह को, किसी ताकतवर गरोह को, अपनी तरफ भले ही कर लें लेकिन जनता हमेशा आपके खिलाफ जायेगी। और आज एशिया में—एशिया में ही क्यों किसी भी जगह—फुटकर गरोहों को अपने साथ मिलाने के मुकाबले में जनता को अपने साथ रखना कहीं ज्यादा जरूरी है।

फिर, यह मदद का सवाल है। मैंने उस दिन आपको अपनी दुविधा के बारे में बताया था। हम मदद यकीनन चाहते हैं। लेकिन एक अजीब बात है, हम बहुत ज्यादा मदद नहीं चाहते। कहने का मतलब यह कि हम अपनी जनता के दिल में यह बात नहीं पैदा होने देना चाहते कि कोई दूसरा आकर हिंदुस्तान को उसकी तरफ से बना देगा। मैं समझता हूँ कि सोचने का यह तरीका गलत है और इससे उन्हें सही किस्म की ट्रेनिंग नहीं मिलती। उन्हें अपने मुल्क को खुद बनाना है। अगर हम आजादी के लिए लड़ें न होते, अगर आजादी जबरदस्ती हमारे मत्थे मढ़ दी गयी होती तो हम एक कमजोर कौम होते। लेकिन राजनीतिक एतवार से हम अपने-आपको कमजोर नहीं समझते, क्योंकि हमने अपने बल-बूते पर कुछ हासिल किया है। इसलिए हम अपनी आर्थिक तरक्की भी बहुत-कुछ अपनी कोशिशों से ही हासिल करेंगे।

मदद का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक हद के अंदर। सिर्फ इसीलिए नहीं कि अगर यह मदद बहुत ज्यादा मिलने लगे तो उससे भारत का आर्थिक सतुलन बिगड़ जाने का खतरा है बल्कि इसलिए भी कि इससे लोगों के दिमाग में सोचने का एक गलत तरीका पैदा होता है जिसका जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ। लेकिन खाली हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिये, आमतौर पर भी जाहिर है कि यह बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में जिन मुल्कों के पास बहुत धन-दौलत और

दूसरी चीजे और सामान है वह पिछड़े हुए इलाको को तरक्की करने के लिए मदद दे। अगर तग से तग नजर से भी देखा जाये तब भी यह बात की जानी चाहिये और इस वक्त फौजी कामो पर जो बहुत बडी-बडी रकमे खर्च की जाती है उनमे से अगर कुछ पैसा इधर लगा दिया जाये तो यह काम बडी आसानी से हो सकता है।

तो यह तरीका, जिसे मैं दुनिया के सवालो को फौजी ढग से देखने का तरीका कहता हूँ, हमे बहुत गलत मालूम होता है। यह तरीका उन सवालो के एतबार से भी गलत है जिन्हे इस तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। आखिर मे चलकर जो लडाई होती है उसे छोड भी दीजिये तब भी यह जो फौजी तरीका होता है सवालो को देखने का, उसमे लडाई की धमकी हमेशा छुपी होती है। हम ताकतवर है, तुम ऐसा करो नही तो मुसीबत मे फँस जाओगे। . . अब वह जमाना गुजर गया जब ऐसी धमकियो का बहुत ज्यादा असर होता था। अब इनका ज्यादा असर नही होता। और जब दूसरी तरफ से भी ऐसी ही धमकी दी जाती है तब तो असर बिल्कुल ही नही होता। लेकिन उन मुल्को को भी जो बहुत ताकतवर नही है, उन्हे अपनी जनता को जवाब देना पडता है। आप हुकूमत करनेवाले गुट को तो धमका सकते है लेकिन पूरी जनता को तो नही धमका सकते। उसके ऊपर बिल्कुल उल्टा असर होता है। और जहाँ कही जम्हूरियत के, लोकतन्त्र के बीज भी होते है वहाँ इस धमकी का असर उससे बिल्कुल उल्टा होता है जो कि धमकी देनेवाला चाहता है। लोगो को गुस्सा आ जाता है और वह पहले से भी ज्यादा अकड जाते है। तो जहाँ तक सोचने के इस फौजी तरीके का सवाल है कि यहाँ अड्डे हो, वहाँ अड्डे हो, हर जगह अड्डे हो, तो सिपाहियो की नजर से देखते हुए लडाई के जमाने मे तो मुमकिन है उससे कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन इससे इन अड्डो के चारो तरफ ऐसी फजा पैदा हो जाती है जो फायदेमद होती है। इस बात को हमेशा से माना गया है कि लडाई मे भी खाली फौजी ढग से सोचने का तरीका काफी नही होता। दिमागी लडाई होती है, लोगो के दिमागो को बदलने के लिए तरह-तरह की बाते की जाती है। तो मेरे ख्याल मे सबसे बडी दिक्कत यह है कि चाहे अमरीका हो या सोवियत यूनियन, दोनो ही, हमारी राय मे, अपनी

अगर किसी नदी पर बाँध बनाया जाता है तो वह बाँध होता है, वह कोई कम्युनिस्ट बाँध तो होता नहीं। नदी घाटी योजना चाहे चीन में हो या भारत में, वह नदी घाटी योजना ही होती है, जैसे अमरीका में तेन्नेसी वैली योजना है।

तो, अगर आप मुझसे पूछें, तो हम ईमानदारी के साथ अपनी पसंद और नापसंद को हृदय के भीतर रखने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया के किसी मुल्क को सख्त नापसंद नहीं करते और नफरत तो खैर हमें किसी से है ही नहीं। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम दूसरे मुल्कों को पसंद करें, खासतौर पर अमरीका जैसे बड़े मुल्कों को।

मैं समझता हूँ कि अमरीका के लोगों में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन अमरीका की जो जिदगी है उसकी बहुत-सी बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मिसाल के तौर पर, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हिंदुस्तान में हर आदमी के पास एक मोटर, कपड़े धोने की मशीन या रेफ्रिजरेटर हो। यह बात मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं। यह बात नहीं है कि मैं आराम से जिदगी बिताने के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आराम की जिदगी भी अच्छी नहीं होती।

हाँड प्रधान मंत्रीजी, अंतर्राष्ट्रीय सवाल के बारे में आपके जो दार्शनिक विचार हैं उनमें से बहुत-सी बातों पर हम गौर कर चुके हैं। फिर भी कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हम फलान् बात को मानते हैं, फलान् बात को मानते हैं, लेकिन इन सब बातों से नतीजा क्या निकलता है?

मैं इन तमाम बातों को एक सवाल की शकल में पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरा मतलब यह है कि मैं यह पता लगाने की कोशिश करूँगा कि आजकल दुनिया की जो हालत है उसमें आपके इन विचारों के पीछे कौन-से दार्शनिक विचार, कौन-सा फलसफा काम करता है। क्या इन तमाम बातों का निचोड़ इस तरह रखना ठीक होगा

दिन-ब-दिन ऐसे मुल्कों की तादाद बढ़ती जा रही है जो इस बात को समझते हैं कि उनके पास ऐटमी लडाई करने का सामान नहीं है और वह ऐसी लडाई की तवाहियों का शिकार भी नहीं बनना चाहते। इसलिए, ये मुल्क खुले आम या अपने दिल में अपने-आपको उन बड़ी ताकतों में से किसी का भी साथ देने

को तैयार नहीं समझते जो इस नये किस्म की लड़ाई छेड़ने की बातें सोचती है। लड़ाई के बजाय सुलह-समझौते पर भरोसा करने के इस बढ़ते हुए रवैये की वजह से आखिर में चलकर सिर्फ 'क' और 'ख', और शायद 'ग' भी, ऐसी ताकतें रह जायेगी जो हथियार जमा करेगी, एक दूसरे को धमकायेगी और ऐंटमी लड़ाई से अपने झगड़े तै करने के मसूबे बनायेगी। लेकिन जब 'क', 'ख' और 'ग' भी यह देखेंगे कि उनका कोई ऐसा साथी नहीं रह गया जिस पर वह भरोसा कर सकें और इस बात को समझने लगेंगे कि लड़ाई में बहुत बड़ा खतरा होता है तो मुमकिन है वे खुद आपस में बातचीत करके अपने हथियारों को घटाने की कोशिश करें। और इस तरह मुमकिन है आखिर में चलकर धीरे-धीरे वह चीजे मिट जायें जिन्हे हम आज "गुट" या फौजी गरोहबदियाँ कहते हैं।

मैंने ऊपर जिन लफ्जों में आपके विचार रखे हैं क्या वह सही हैं ?
नेहरू मेरे ख्याल से सही तो हैं।

मैं नहीं समझता कि आनेवाले जमाने के बारे में बात करना पेशेवर फिलासफरो के अलावा और किसी का काम है। मैं पेशेवर फिलासफर तो हूँ नहीं। मेरा यह दावा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आगे के लिए एक मज्जिल तै करके उसके हिसाब से सिर्फ आज की समस्याओं में दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे तो बस इसमें दिलचस्पी रहती है कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है, मुझे किसी सवाल को किस तरह से तै करना है और साथ ही हमें मँ इस बात के बारे में भी सोचना रहता हूँ कि उसका असर दूसरी बातों पर क्या पड़ेगा। हर अमली आदमी को, हर राजनीतिज्ञ को अकसर दो ऐसे रास्तों में से कोई रास्ता चुनना पड़ता है जो दोनों ही उसे नापसंद होते हैं। वह उनमें से जो कम बुरा रास्ता होता है उसे पसंद करने की कोशिश करता है। इन सब बातों का कुछ-न-कुछ असर तो पड़ता ही है।

लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी जो कुछ कहा है वह भी भविष्य के बारे में सोचने का एक मुमकिन तरीका हो सकता है। इसी बात को जरा दूसरे ढंग से हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर लोगों के दिल में यह बात बिल्कुल बैठ जाये कि लड़ाई से वचना चाहिये, तो इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि उन्हें इस बात का भी पक्का यकीन हो जायेगा कि

हमें ऐसी बातों को भी मान लेना चाहिये जो हमें नापसंद हों, हमें उन्हें वर्दाश्त करना चाहिये वरतों कि उन बातों से हमारे किसी मामले में दखल न पड़ता हो। दूसरे लफ्जों में, हम कुछ-कुछ उन्हीं उसूलों पर पहुँच जाते हैं जिन्हें हम पचशील कहते हैं एक-दूसरे के मामले में दखल न देना, हर मुल्क को जिदगी के अपने ढर्रे पर चलने देना। ये दोनों बातें इसलिए नहीं कि यही सही बातें हैं, बल्कि इसलिए भी कि कोई दूसरा रास्ता अस्तित्थार करने का मतलब होगा मुसीबत में फँस जाना। अगर हम दुनिया में ज्यादा शांति की फजा पैदा कर दे, अगर तनातनी दूर हो जाये तो मेरे ख्याल से दुनिया के सवाल को हल करना ज्यादा आसान हो जाये। यह तो जाहिर बात है कि हम सब सवाल को कभी हल नहीं कर सकते क्योंकि जब हम एक सवाल को हल कर लेते हैं तो दूसरा उससे भी टेढा सवाल उसकी जगह पर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। समस्याएँ और मसले तो जिदगी के साथ लगे हुए हैं। सिर्फ मुद्दों के सामने कोई मसले नहीं होते।

साँड . प्रधान मंत्रीजी, माफ कीजियेगा, इन तमाम उम्मीदों में उन्नीसवीं शताब्दी के उदारवादी आदर्शों की साफ झलक दिखायी देती है।

उन आदर्शों की बुनियाद तीन खास बातों पर थी पहली तो यह यकीन कि इंसान की तरक्की लाजिमी है, दूसरी, यह यकीन कि इंसान ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई खराबी न रह जाये, और तीसरी, यह यकीन कि इंसान के आपस के ताल्लुकात में धीरे-धीरे लडाई-झगडों का फैसला जोर और ताकत के बल पर नहीं बल्कि सुलह-समझौते से होने लगेगा।

लेकिन इन पिछले पचास बरसों में इस सिलसिले में बहुत धक्का पहुँचा है, इन आदर्शों से हम निराग हुए हैं और इन पर से हमारा विश्वास उठ गया है। इस बीच में हमने दो बड़ी लडाइयाँ देखी, हिटलर का जुलम देखा जिसमें लाखों लोग जिंदा गैस की भट्ठियों में जला दिये गये, हमने यह भी देखा कि इंसान की शानदार ईजादों को किस तरह तवाही के लिए इस्तेमाल किया गया। राजनीति में हमने देखा है कि जो ताकते इस बात पर यकीन करने से इन्कार करती थी कि यह भी मुमकिन है कि इंसान के आपस के ताल्लुकात में जोर-जवर्दस्ती का बिल्कुल नाम-निशान न रह जाये वह बहुत मजबूत हुई है— दाये बाजू की ताकतें भी और बाये बाजू की भी। समझदारी का बीच का

रास्ता इन दोनों के बीच में कुचलकर रह गया है। इसके अलावा, साइस और मशीनो की तरक्की की वजह से हमारा समाज गठे हुए गुटों की तरफ जा रहा है जिनमें फैसला ज्यादा-से-ज्यादा हद तक कुछ इने-गिने सगठनों या लोगों के हाथ में होता है।

इन सब बातों को देखते हुए एक ऐसे राजनीतिज्ञ के दिमाग में, जो उदारवादी मानवप्रेमी भी हो—जैसे कि आप हैं—एक बुद्धिवादी की इस उम्मीद की जगह कौन-सी चीज ले सकती है कि इंसान अपने-आप तरक्की करता रह सकता है? इस उदारवादी मानवप्रेमी का नया आदर्श क्या हो सकता है, और अपनी उन्नीसवीं शताब्दी की परम्पराओं में से वह किन चीजों को अब भी रख सकता है।

नेहरू हॉ, तो पहली बात तो यह कि मैं उन्नीसवीं शताब्दी में पैदा हुआ था इसलिए शायद मुझमें कुछ बातें उन्नीसवीं शताब्दी की हैं।

जिसे आप उन्नीसवीं शताब्दी का उदारवाद कहते हैं, तो यह तो सच है कि यह यकीन तो बहुत बड़ी हद तक चकनाचूर हो गया है कि इंसान की तरक्की लाजिमी है—और मुझे खुद भी इसका यकीन नहीं रह गया है। फिर भी मैं यह जरूर कह सकता हूँ—हालाँकि मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता—कि मेरे दिमाग के किसी कोने में अब भी यह यकीन छुपा हुआ है कि इंसान में कोई ऐसी बात है, उसमें कोई ऐसी ताकत है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तमाम मुश्किलों के होते हुए भी मैं ऐसा समझता हूँ। और अगर इंसान जिंदा रहता है तो हर कदम पर उसकी सतह ऊँची होती जायेगी। लेकिन यह तो यो ही मेरा ख्याल है। मुमकिन है ऐसा न भी हो। तो मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? वह तो फिर एक इल्मी बहस हो जाती है, वस आदमी यही कर सकता है कि वह ऐसे मकसदों के लिए काम करे जिनसे ज्यादा बड़े-बड़े खतरे दूर हो जायें।

मैं सिर्फ लडाई का ही नहीं बल्कि दूसरे खतरों का भी जिक्र कर रहा हूँ, जैसे नफरत, वैर-दुश्मनी, झगडा। मैं तो समझता हूँ कि ये बातें शायद तोप-बंदूकों की लडाई से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए खतरनाक है कि ये बातें इंसान को गिरा देती हैं, इन बातों की वजह से हमारी उम्मीदें मुरझा जाती

हैं, हम तगनजर हो जाते हैं, और बहुत-सी ऐसी बातें हैं। बुनियादी तौर पर मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह साइंस में हर काम का एक असर होता है उसी तरह इंसान के रिश्तों में भी—चाहे वह कौमी रिश्ते हो या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हो—हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी बात सोचते हैं, उसका एक असर होता है। मुमकिन है वह असर बहुत थोड़ा होता हो। लेकिन अगर वह काम या वह ख्याल बुरा हो तो हमारी नीयत कुछ भी हो, उसका असर बुरा होगा।

वदकिस्मती से लडाई, लडाई का डर और लडाई की तैयारी आदमी को सोलहो आने बुरे ढंग से सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसमें नफरत होती है, एक कडवापन होता है, गुस्सा होता है और इंसान तबाही की बातें सोचने लगता है जिससे दूसरे के मुकाबले में ऐसी बातें सोचनेवाले को ही ज्यादा नुकसान होता है। तो हमारे सामने सवाल यह है कि इन सब बातों को कैसे कम किया जाये, और फिर दुनिया को किस तरह आगे ले जाया जाये, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक तरक्की करने का मौका किस तरह दिया जाये।



तिव्वोर मॉड आजकल भारत मे इधर-उधर घूमते वक्त ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे रगमच पर तैयार की गयी सीनरी के बीच घूम रहे हैं जहाँ कोई बहुत बडा नाटक खेला जानेवाला है। कोई यकीन के साथ तो नही बता सकता कि इस नाटक का अत क्या होगा इसका अत दु खान्त होगा, या पुराने नाटको की तरह सबके दिन हँसी-खुशी बीतने लगेंगे, या वैसा ही कोई समझौता हो जायेगा जैसा कि इसान की ज्यादातर कोशिशो के आखिर मे हो जाता है।

प्रधान मंत्रीजी, जैसा कि आप कई बार कह चुके हैं, हिदुस्तान मे ये लाजिमी तब्दीलियाँ ससदीय लोकतत्र या पार्लियामेटरी डेमाक्रेसी के कानूनो के मुताबिक होगी। कहने का मतलब यह कि यहाँ एक, “वैधानिक क्राति” होगी। विदेश से आनेवालो के सामने इस बात से एक बुनियादी सवाल खडा हो जाता है :

जब कोई विधान या कानून बनाया जाता है तो या तो वह समाज की तब्दीली की उमग खत्म हो जाने के बाद बनता है या फिर समाज की कोई जरूरत पैदा होने से पहले ही उसके बारे मे कानून बना दिया जाता है। अगर हम इसे इस तरह कहे तो यह सवाल ज्यादा साफ हो जायेगा कि क्या भारत का समाज, जो खासतौर पर हिदू समाज है, उन वैधानिक या कानूनी तब्दीलियो के लिए तैयार है जो धर्न-निरपेक्ष भारत उस पर थोपना चाहता है।

जवाहरलाल नेहरू आदमी जब भी कोई काम करना चाहता है तो उसकी हमेशा कुछ हद्दे होती है। उस काम के लिए जितनी उमग होती है और लोग जिस हद्द तक उसे मानने को तैयार होते हैं उसके बीच किसी-न-किसी सतह पर समझौता करना पडता है। समझौता खुद कोई वुरी चीज नही होती—वशर्ते वह हमे ठीक रास्ते पर आगे ले जाता हो। मतलब यह कि

सुनकिन है कि हम कोई बात फ़ौरन न कर सके लेकिन हम अगर उस तरफ बढ़ रहे हों तो ठीक है।

जब आप जन्तूरिदत या लोन्तंत्र में वैधानिक परिवर्तनो या कानूनी तब्दीलियो की बात करते हैं तो आप इस बात को मानकर चलते हैं कि लोगो को उस सतह तक उँचा उठाया जा चुका है और अगर उस सतह तक नहीं तो कम-से-कम उसके करीब तो पहुँचा ही दिया गया है। कहने का मतलब यह कि अगर पार्लियामेंट में जनता के नुमाइंदे किसी कानून को मंजूर कर लेते हैं तो ज्यादातर लोग भी उसे मंजूर कर लेंगे—या कम-से-कम उसे जोश के साथ या बिना जोश के मानने को तैयार जरूर होंगे। अगर सही-सही हिसाब लगाया जाये तो मुमकिन है ऐसे लोगों की तादाद जरूरी नहीं है कि आपके से ज्यादा हो। लेकिन लोगों की जो आदत पड़ी होती है उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें एक खास सतह तक लाना जरूरी होता है। मतलब यह कि यह बहुत जरूरी होता है कि बहुत बड़ी हद तक लोग सरकार और पार्लियामेंट के साथ हों। लोगों को सरकार की ईमानदारी पर भरोसा होना चाहिये। एक बार यह हो जाये तो समझना चाहिये कि हम ठीक तरफ जा रहे हैं।

यह तो कोई नहीं बता सकता कि किसी ऐसी पुरानी आदत को जिसे हम बुरा समझते हों हम कितनी जल्दी बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी तरफ बढ़ना शुरू करे तो रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। किसी कानून का आदी हो जाने के अलावा खुद समाज का ढाँचा भी बदलता रहता है। बड़े-बड़े कारखाने खुलते हैं और दूसरी तब्दीलियाँ होती हैं। लोग निलकर काम करते हैं और यह बात खुद लोगों के किसानो की तरह सोचने के पुराने ढंग की जड़े हिला देती है सोचने का वह तरीका जो एक-दूसरे से दूर दसे हुए अलग-अलग गाँवो के रहनेवालो का सोचने का तरीका होता है। ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन सब बातों को साथ मिलाकर देखना चाहिये। आखिर में तो चलकर जो कुछ होगा वह इन सब अलग-अलग ताइतों का नतीजा होगा।

माँड . चीन के चिन खानदान के पहले वादशाह के जमाने से लेकर—जिसने पुरानी परम्पराओं से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लेने के लिए हर लिखी हुई चीज को जला देने का हुकम दे दिया था—कमाल अतातुर्क के जमाने तक

“वैधानिक क्रांति” की जितनी भी कोशिशें हुईं उन सब में कुछ हद तक ही काम-याबी मिली है। वे परम्पराओं, रीति-रिवाजों और लीक पर कायम रहने के सदियों के बोझ को पूरी तरह नहीं बदल सकी। बहरहाल थोड़े वक्त में तो नहीं बदल सकी। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार और निर्देशक तत्त्व दर्ज कर दिये गये हैं वे समाज के बारे में हिंदुओं के ख्यालात के बिल्कुल खिलाफ हैं। असल बात तो यह है उस पुराने ढर्रे की रहानी और दुनियावी दोनों ही बातों के हामी इन तब्दीलियों को आसानी से लागू नहीं होने देंगे।

मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के एक मशहूर नेता ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए इस विचार पर कि “गाँव वापस चलो” या गरीबी को एक आदर्श बना लेने के खिलाफ जबर्दस्त हमला किया था और यहाँ तक कहा था कि “हिंदुस्तान का बाकी दुनिया से ज्यादा रहानी होने का दावा करना अपने-आपको धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है।” इसके अलावा दक्षिणी भारत के एक बहुत मशहूर अखबार में—जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि वह हिंदुओं के इसी ख्याल का प्रचार करता है—एक सम्पादकीय लेख छपा था जिसमें एक जुमला बहुत ही गौर करने लायक था। उसमें “अधाधुध सांस्कृतिक असर कबूल करने” के खिलाफ हमला किया गया था और आगे चलकर कहा गया था कि “इसका सिर्फ यह नतीजा होगा कि जनता, जिसकी जड़े अपनी जीती-जागती परम्पराओं में मजबूती के साथ जमी हुई हैं, और पढ़े-लिखे लोगों के उस हिस्से का फर्क बढ़ता जायेगा, जो अपनी बुनियाद से अलग हो चुका है।”^१

मैं यह नहीं कहता कि लोगों में तब्दीली की ख्वाहिश बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। लेकिन संविधान में हिंदू सस्थाओं को धर्म-निरपेक्ष राज्य के आदर्शों के रास्ते पर ले आने का जो मकसद सामने रखा गया है क्या वह

१. यह बात २४ दिसम्बर १९५५ को श्री फे० एम० पतिक्कर ने अपने एक भाषण में कही थी।

२. यह मद्रास के दैनिक ‘दि हिंदू’ के २ जनवरी १९५६ के एक सम्पादकीय लेख में कहा गया था।

आगे बढ़ते हुए भारत की आर्थिक योजनाओं के साथ चल सकेगा? या वहीँ ऐसा तो नहीं होगा कि उसका जो विरोध किया जायेगा उसकी वजह से तब्दीली इतनी घीमी हो कि वह हिंदुस्तान की आर्थिक योजनाओं के रास्ते में स्नाइट बन जाये क्योंकि इन आर्थिक योजनाओं का कार्यक्रम बहुत तेज रखा गया है?

नेहरू : इंदरती बात है कि हिंदुस्तान में सभी तरह के लोग हैं खास-तौर पर पड़े-लिखे लोगों में। उनमें ऐसे दक्षिणायनी लोग हैं जो कोई तब्दीली चाहते ही नहीं। फिर ऐसे लोग हैं जो बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी राय में हिंदू समाज के बारे में यह सोचना बिल्कुल सही नहीं है कि वह बहुत दक्षिणायनी समाज है कि वह समाज तब्दीलियों के खिलाफ है।

पुराने जमाने में तब्दीलियाँ कानून के जरिये नहीं बल्कि रीति-रिवाज बदलने की वजह से होती थीं: लोग खुद बदल जाते थे। दरअसल, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुओं का पूरा कानून कोई वाक्यांश लिला हुआ कानून नहीं था। कुछ पुरानी किताबों में ये कानून दर्ज एकर थे। लेकिन हर कानून बदल सकता था और दरअसल आज तक हालत यह है कि आप रीति-रिवाजों की बिना पर अदालत में किसी भी कानून की मुद्दालकन कर सकते हैं। रीति-रिवाज बदलते रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में जानकर इन सब कानूनों को वाक्यांश लिला गया और इन कानूनों में हेरफेर करनेवाली ताकत की हैसियत से रीति-रिवाजों का हाथ बहुत कम रह गया।

करते थे। और उनका जो असर था और हमारे सगठन का जो असर था उसकी आम लोगो के दिमागो पर और उनकी जिदगी पर बहुत गहरी छाप पड़ी।

इन दोनो ताकतों का साथ काम करना बहुत जरूरी है। एक तो कानून का असर और दूसरा लोगो को इन तब्दीलियों को मानने के लिए राजी करने के लिए जाकर सीधे उनसे मिलने का असर। मैं समझता हूँ कि ये तब्दीलियाँ हिंदुस्तान में लायी जा सकती हैं। जहाँ तक सिर्फ आर्थिक बातों का सवाल है तो उनमें तो दरअसल कोई बुनियादी रुकावट है ही नहीं। समाजी बातों के सिलसिले में कुछ ज्यादा मुखालफत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह रुकावट भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर इसके साथ ही यह बात भी है कि हम इन तब्दीलियों को कुछ थोड़े-से लोगो की नज़र से देखते हैं। जिन्हें हम ऊँची जातवाले कह सकते हैं। लेकिन आम लोग इस नज़र से नहीं देखते।

शादी और तलाक का सवाल ले लीजिये। सच पूछिये तो हमने इन्हें भी बदल दिया है। फिर भी लोग इस बात को नहीं समझते कि कुछ ऊँची जातों को छोड़कर ज्यादातर हिंदुओं में हमेशा से तलाक का दस्तूर रहा है। इसलिए एक बार जहाँ आपने आम जनता को हिला दिया तो वह उन तब्दीलियों के खिलाफ नहीं रह जाती। कुछ चुने हुए पढ़े-लिखे लोग ही, जिनका सोचने का तरीका ही दकियानूसी होता है, उनके खिलाफ हो सकते हैं। और इन चुने हुए पढ़े-लिखे लोगो में भी दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वह जो आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरे वह जो तब्दीली की राह में रुकावट डालते हैं।

कुल मिलाकर देखा जाये तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली चाहनेवाली ताकतें बहुत काफी हैं और वह किसी भी बड़ी आर्थिक उन्नति के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगी।

भांड : अब मैं अपने सवालों का रुख सीधे-सीधे आर्थिक बातों की तरफ मोड़ना चाहूँगा। पंचवर्षीय योजना का विचार ही, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, आर्थिक तरक्की में एक खास रफ्तार पैदा कर देना है, जैसे संगीत में सुर-ताल होते हैं। इस तरक्की के लिए जो रफ्तार हम तैयार करेंगे परम्पराओं, धर्म या समाज की तरफ से होनेवाली मुखालफत के अलावा

रुपये-पैसे की और सामान की कमी की वजह से भी रुकावट पड सकती है। प्रधान मंत्रीजी, आपने बार-बार कहा है कि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बाहर की मदद पर दिन-ब-दिन कम भरोसा रखे और अपनी कोशिशो पर दिन-ब-दिन ज्यादा भरोसा रखना सीखे। लेकिन फिर भी हम हकीकत से बच नहीं सकते और दूसरी पचवर्षीय योजना में काफी सोच-विचार के बाद कतर-ब्योत कर देने के बाद भी अभी बहुत बड़ी रकम की कमी है जो कही से जुटाना है। अगर यह रकम बाहर की मदद से नहीं मिलेगी तो उसकी कमी को तगी और कुरबानी से और पैदावार बढ़ाने के लिए लोगो पर सख्त कानून लागू करके पूरा करना होगा।

मै समझता हूँ कि इससे एक वुनियादी सवाल पैदा होता है और वह यह कि क्या लोकतात्रिक ढाँचा योजना के आर्थिक मुसबो के मुताबिक काम करेगा या लोकतात्रिक परम्पराओ को बनाये रखने के लिए योजना में ही कतर-ब्योत की जायेगी।

नेहरू अगर लोकतात्रिक ढाँचे को किसी दूसरी चीज के ताबे कर दिया जाये तो इसका मतलब दरअसल यह होता है कि उसे उस हद तक छोड दिया गया है। इस लोकतात्रिक ढाँचे को छोड देना न तो मै मुमकिन समझता हूँ और न वह मुनासिब ही है।

मै समझता हूँ कि इस ढाँचे के भीतर रहकर ही हम बहुत-कुछ कर सकते हैं। यह हो सकता है कि कभी किसी काम में कुछ देर हो जाये। तो इस देर-सवेर को तो हमें बर्दाश्त करना पडेगा। दूसरी तरफ, मौजूदा आर्थिक हालत की वजह से लोगो में चीजो को बदलने की एक जवर्दस्त उमग है। यह उमग कुछ लोगो के दिमाग में नहीं बल्कि आम जनता में है। इस तरह लोकतात्रिक मशीन पर जनता की आगे बढ़ने की इस उमग का दबाव पडता रहता है। किसानो के सिलसिले में हमने जो सुधार किये थे उनमें जो रुकावट पडी वह इस लोकतात्रिक ढाँचे की वजह से, यानी पार्लियामेंट की वजह से नहीं बल्कि अदालतो की वजह से पडी, क्योंकि अदालतो के काम में कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। इसलिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें अपना सविधान बदलने में कुछ वक्त लग गया। लेकिन हमने सविधान को बदला।

एक नया यकीन पैदा हो रहा है। पार्लियामेंट का आम रुख लोगों में इन रवैयों को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाने का है।

यह तो सच है कि शहर के लोग और गाँव के लोग के अपने-अपने मतलब की जो बातें हैं उनमें कुछ टकराव है। सो यह बात तो इतिहास में हमेशा से रही है। लेकिन जैसे-जैसे देहातो की तरक्की होती है और कारखाने फैलते जाते हैं वैसे-वैसे यह टक्कर भी कम होती जाती है। इसीलिए हम बहुत बड़ी हद तक इस बात के हक में हैं कि किसी चीज़ को एक ही जगह जमा कर देने के बजाय उसे ज्यादा-से-ज्यादा बड़े इलाके में फैला दिया जाये। मेरा मतलब यह हर्गिज़ नहीं है कि जिन चीज़ों को एक जगह पर रखना ही ज़रूरी है उन्हें भी फैला दिया जाये, मैं यह नहीं कहता कि इस फैलाव के चक्कर में हम काम करने के बेहतर तरीकों को या बेहतर मशीनों को छोड़ दे। लेकिन हम चीज़ों को बड़े-से-बड़े इलाके में फैला देने में यकीन रखते हैं, हम चाहते हैं कि ग्राम-उद्योग बढे, हम चाहते हैं कि शहरों में जो भारी कल-कारखाने बनते हैं उनके बज़न पर गाँवों में कुटीर-उद्योग कायम हो।

माँड . इस बात को देखते हुए कि हिंदू समाज की कुछ परम्पराओं का, जैसे छूत-छात का, गाँव के आर्थिक ढाँचे से बहुत गहरा संबंध है, क्या इस बात का खतरा नहीं है कि कुटीर-उद्योगों के बढ़ने से आखिर में यही पुराना ढाँचा मजबूत हो और इससे समाज में जो बुराइयाँ पैदा होती हैं उनकी जड़ें मजबूत हो ?

नेहरू . नहीं, बात बिल्कुल इसकी उलटी है। जिस तरक्की का भी असर गाँव पर पड़ता है उससे यह पुराना ढाँचा और उसके साथ ही छूत-छात जैसी चीज़ें खत्म होती हैं।

दरअसल छूत-छात की जड़ तो इस वक्त भी कट चुकी है। कुछ इलाकों में लोग अब भी छूत-छात बरतते हैं लेकिन आमतौर पर लोग इसके खिलाफ हैं। फिर आर्थिक हालत की वजह से, जिदगी के नये तौर-तरीकों की वजह से और हमारे प्रचार, हमारे काम और हमारे कानूनों की वजह से अब उसमें कोई दम बाकी नहीं रह गया है। वह मिट चुकी है।

माँड मैं अब एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसमें हिंदुस्तान में और

हिंदुस्तान के बाहर देखी गयी कुछ बातों का जिक्र किया जायेगा। . . मैं यह सवाल एतराज करने के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान को देखकर मेरे मन में जो बातें उठी हैं उन्हें समझने के लिए पूछ रहा हूँ। लोगों में एक ख्याल यह बढ़ता जा रहा है कि हिंदुस्तान बहुत-से काम करना चाहता है और उन्हें बहुत जल्दी करना चाहता है, और उसकी यह उमंग बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन इस कोशिश में उसकी ताकत कई तरफ बिखर जाती है। मतलब यह कि उसकी कोशिशें कुछ बुनियादी बातों को पूरा करने के बजाय बहुत से कामों में बिखर जाती हैं। अपनी बात को ज्यादा साफ तौर पर समझाने के लिए मैं तीन मिसालें दूंगा। मैं ये तीन मिसालें तीन बिल्कुल ही अलग-अलग बातों के बारे में इसलिए दे रहा हूँ ताकि यह बात साफ हो जाये कि इस एक ही सवाल के कितने पहलू हैं।

पहले शिक्षा को ले लीजिये। मिसाल के तौर पर अगर सोवियत यूनियन जैसा मुल्क इतनी तेजी से एक बड़ी ताकत बन गया है तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत शुरु से ही उन्होंने शिक्षा का इतना जवर्दस्त इतजाम कर लिया था कि वह बहुत बड़ी तादाद में टेकनीशियन तैयार करते रहे जैसे इस काम के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मशीन लगा दी हो। मैं जानता हूँ कि इस वक़्त हिंदुस्तान में शिक्षा-प्रणाली को सुधारने के बारे में बहस हो रही है और मुमकिन है कि उसका रुख व्यावसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ दिया जाये। लेकिन अभी तक इस मिलमिले में कोई बुनियादी कदम नहीं उठाया गया है।

दूसरी मिसाल इससे बिल्कुल ही अलग मिसाल है, वह है मोटरो बनाने के बारे में। इस वक़्त पालिसी यह है कि विदेशी मोटरो के पुर्जे मँगवाकर यहाँ जोड़ने के कारखाने बनवाये जायें और फिर धीरे-धीरे ये पुर्जे एक-एक करके यहीं बनने लगे और आखिर में पूरी मोटरो यहीं बनने लगे। हिंदुस्तान में कम-से-कम बारह तरह की मोटरो जोड़ी जाती हैं। जिन बड़ी-बड़ी मशीनों में घातु की चादरों को दबाकर मोटरो की वाडियाँ बनायी जाती हैं वह बहुत महँगी होती हैं। अगर थोड़ी-सी मोटरो की मांग को पूरा करने के लिए बारह फ़ैक्टरियाँ कोशिश करती रहें तो उनमें से कोई भी इन महँगी मशीनों को नहीं सरीद पायेगा। अगर हिंदुस्तान ने एक या दो तरह की मोटरो ही बनाना

शुरू किया होता तो शीघ्रदे अब तक वह उस मजिल पर पहुँच गया होता जब पूरी मोटरे यहीं हिंदुस्तान में बनने लगती।

तीसरी मिसाल में गाँव में किसानों को कर्ज देने के सवाल की लूंगा, इसका ताल्लुक भूमि-सुधार के सवाल से है। हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हद तक भूमि-सुधार हुए हैं। बहरहाल जमींदारी को खत्म कर दिया गया है। लेकिन काश्तकारों को कर्ज देने के सिलसिले में अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। नतीजा यह है कि गाँव में अब भी वनिया राज करता है और भूमि-सुधार का जो असर हुआ है वह बहुत-कुछ इस बात की वजह से बेकार हो जाता है।

इसलिए यह तो जाहिर है कि कुछ काम शुरू किये गये लेकिन सामान की कमी की वजह से या काम करनेवालों की कमी की वजह से, या किसी भी वजह से ये काम आखिर तक पूरे नहीं किये जा सके। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वनियादी बातों को पूरा करने के बजाय बहुत-से कामों में कोशिशों विखरा दी गयी है।

नेहरू आपने तीन ऐसे सवाल उठाये हैं जो हमेशा हमारे सामने रहते हैं। मैं एक दर्जन ऐसी ही मिसालें और दे सकता हूँ। योजना बनाने का सारा मकसद यही होता है कि हम अपनी ताकत को इस तरह इधर-उधर बिखेरते न फिरे बल्कि उसे कुछ फायदेमंद कामों में लगाये। लेकिन यह जरा मुश्किल काम होता है कि हम कौन-सा काम हाथ में ले और कौन-सा छोड़ दे।

शिक्षा का सवाल ले लीजिये। हम शिक्षा पर बहुत बड़ी रकम खर्च करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे कामों पर भी पैसा खर्च करना चाहते हैं जिनसे मुल्क की दौलत पैदा होती है ताकि हमारे पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा हो। हमें इन दोनों चीजों का पलड़ा बराबर रखना पडता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा के मामले में प्राइमरी (प्राथमिक) तालीम में बहुत काफी तरक्की हुई है। हालाँकि उतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी कि हम चाहते थे। लेकिन मुझे सारे हिंदुस्तान में बच्चों को नये स्कूलों में जाता देखकर बहुत खुशी होती है। ये बच्चे दूसरे बच्चों से विल्कुल अलग हैं। साफ नज़र आता है कि वे बहुत बदल गये हैं। अब ये बच्चे उन वेशुमार बच्चों में

मैं नेहरू से मिला!



से नहीं है जिन्हे कभी स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। हम इन स्कूलों को तादाद और बढ़ायेगे। हमने वेसिक शिक्षा का तरीका अपनाया है। इसने सात साल की पढाई होती है, छ-सात बरस की उमर से लेकर चौदह बरस की उमर तक, दरअसल पूरी प्राइमरी तालीम और सेकडरी (माध्यमिक) तालीम का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। जब यह सारे हिंदुस्तान में लागू हो जायेगी तब यह हर शख्स की तालीम की बुनियाद होगी। इसके बाद हर लडका अपनी मर्जी के मुताबिक टेकनिकल या साहित्यिक या कोई दूसरी तालीम हासिल कर सकता है। हम यहाँ पर इस सवाल की वारीकियो में तो नहीं जा सकते लेकिन इस सिलसिले में हमें अपनी ताकत बहुत-सी बातों में बिखरा देने के सवाल का सामना करना पड़ा है।

आपने देहातो में लोगों को कर्ज देने का सवाल उठाया है। हाँ, यह सबसे जरूरी सवाल है। दरअसल गाँववालों को कर्ज देने का ज्यादा कारगर इतजाम करने के लिए ही सरकार ने इम्पीरियल बैंक को अपने हाथ में ले लिया है, हमने उसे जो सरकारी बैंक बना लिया है तो उसकी सबसे बड़ी बजह यह है कि हम गाँववालों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज का इतजाम करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा यह मकसद पूरा होगा।

फिर आपने मोटरों का सवाल उठाया था। यह कोगिगो को बिखराने की बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि कई प्राइवेट कम्पनियों ने यह काम अपने हाथ में ले रखा है। अगर एक ही कारखाना होता, अगर मुमकिन होता तो सरकारी कारखाना होता तो, वह अब तक आठे दर्जन प्राइवेट कम्पनियों के मुकाबले में कहीं आगे निकल गया होता। दरअसल, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सिर्फ तीन ही कारखाने हैं, मेरा मतलब है कि खास कारखाने तीन ही हैं।

माँड . लेकिन इनमें कोई दर्जन भर से ज्यादा किस्म की मोटरें जोड़ी जाती हैं।

नेहरू . हाँ . . . लेकिन असली दिक्कत तो यह है कि हिंदुस्तान में खपत बहुत थोड़ी है। आगे चलकर होनेवाला यह है कि हम समाजी इस्तेमाल के लिए दस्त और ट्रक ज्यादा बनायेगे और जाती इस्तेमाल की मोटरें दिन-ब-दिन

कम। धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगो का रहन-सहन ऊँचा होता जायेगा वैसे-वैसे जाती इस्तेमाल की मोटरे भी बनेगी लेकिन उनकी तादाद वसो और ट्रको के मुकाबले मे कम होगी।

मॉड मैं अभी तक इसी योजना के सवाल को पीटे जा रहा हूँ। इसमे एक और दुविधा होती है, एक तरफ तो यह सवाल होता है कि हम अपने सामने बहुत छोटे लक्ष्य रखकर योजना बनाये और उसके नतीजो से उन हुकूमतो की योजनाओ के नतीजो का मुकाबला करना चाहे जहाँ जोर-जबर्दस्ती से योजनाएँ चलायी जाती है और दूसरी तरफ यह सवाल होता है कि हम इतना ऊँचा लक्ष्य रखकर योजना बनाये जिसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत होगी और इस कोशिश के लिए उससे कही बडे संगठन की जरूरत होगी जितना कि इस वक्त हिंदुस्तान के पास है।

आप एक हद तक इस सवाल का जवाब दे चुके है, लेकिन आपके ख्याल मे क्या इस किस्म की दुविधा सचमुच आपके सामने है ?

नेहरू है क्यो नही। योजना चलाने मे निरी दुविधाएँ सामने आती है। कदम-कदम पर हमे यह फैसला करना पडता है कि इस चीज को चुने या उस चीज को और हमे बीच का कोई रास्ता निकालना पडता है।

मिसाल के तौर पर, हमारा पक्का यकीन है कि देश के उद्योगीकरण की बुनियाद भारी उद्योगो पर होना चाहिये, मेरा मतलब है लोहे और फौलाद के अलावा मशीने बनाने का उद्योग हमारे मुल्क मे हो। लेकिन ये कारखाने ऐसे होते है जिनमे फौरन आम लोगो की जरूरत की चीजे नही बनती। उसमे तो वस खपत ही होती है। वरसो वाद जाकर जब ये कारखाने काम करना शुरू करते है तव तक तो ये एक भारी बोझ ही बने रहते है। और इसके कई और नतीजे भी हो सकते है आम खपत की चीजो की कमी, मद्रा-प्रसार, और कीमतो मे बढती। इन बातो का मुकाबला करने के लिए हम दूसरी तरफ बहुत बडे पैमाने पर कुटीर-उद्योग और ग्राम-उद्योग कायम कर रहे है। यह दुविधा तो है लक्ष्य कही बहुत ऊँचा न हो, या लक्ष्य कही बहुत नीचा न हो, हमे इन दोनो के बीच का कोई रास्ता ढूँढकर जहाँ तक मुमकिन हो आगे बढने की कोशिश करना चाहिये।

मॉड : तमाम दुनिया के अखबारो को पढते वक्त आपने एक बात यह देखी होगी कि हिंदुस्तान और चीन की पचवर्षीय योजनाओ का मुकाबला करना और उनका जिक्र इस तरह करना जैसे दोनो एक-दूसरे से वाजी लगाकर काम कर रहे हो, एक आम तरीका हो गया है। कभी-कभी तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि जोर-जबर्दस्ती से योजनाएँ चलाने और समझा-बुझाकर योजनाएँ चलाने का नतीजा जब सामने आयेगा तो उससे कुछ ऐसी अहम बातें पैदा होगी जिनका असर पूरे एशिया के भविष्य पर पड़ेगा।

अगर मुझे ठीक याद है तो अब तक हिंदुस्तान हर साल अपनी राष्ट्रीय आमदनी का छ-सात फीसदी हिस्सा आर्थिक विकास के कामो में पूंजी की तरह लगाता है। चीन में इस वक्त लगभग ग्यारह से तेरह फीसदी तक राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के कामो में लगायी जाती है और उनका इरादा इसे बढ़ाकर १९६० तक बीस फीसदी तक कर देने का है। पूंजी लगाने की यह दर लगभग उतनी ही होगी जितनी कि अमरीका या सोवियत यूनियन ने अपने बहुत बड़े औद्योगिक विस्तार के वक्त इस काम के लिए अलग रख दी थी।

अभी उस दिन आपने कहा था कि हिंदुस्तान का भकसद दरअसल यह है कि हम तरक्की की उस सतह पर रहे जिसे हमने “उम्मीद की सतह” कहा है, यानी आर्थिक तरक्की की रफ्तार इतनी हो कि लोगो को यह मालूम होता रहे कि लगातार तरक्की हो रही है। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वह यह है क्या अगले कुछ अरसे में हिंदुस्तान पूंजी लगाने की उस दर का, तरक्की की उस रफ्तार का मुकाबला करने की कोशिश करेगा—या इस बात की कोशिश करना हिंदुस्तान के बस में होगा—जो चीन के योजना बनानेवालो ने अपने देश की जनता पर थोप दी है। या हिंदुस्तान का रवैया सिर्फ यह होगा कि हमें इसकी परवाह नहीं कि चीन में क्या हो रहा है, हम तो इस “उम्मीद की सतह” को कायम रखना चाहते हैं और हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह कि क्या चीन की तरक्की की रफ्तार का मुकाबला करने की बात आपके दिमाग में है।

नेहरू : चीन का या किसी दूसरे मुल्क का मुकाबला करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। चीन में या दूसरे मुल्को में जो कुछ हो रहा है उसमें

मुझे एक दोस्त की हैसियत से दिलचस्पी है और हम उनसे सीखना चाहते हैं। अगर कही ज्यादा काम हो रहा है तो उससे हमें भी ज्यादा काम करने का हौसला होता है।

लेकिन कुछ हदें होती हैं जिनसे आगे कोई मुल्क नहीं जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मुल्क में हुकूमत जोर-जबर्दस्ती से चलायी जाती है या वहाँ जम्हूरी हुकूमत है। जिन मुल्को में जोर-जबर्दस्ती से हुकूमत चलती है उन्हें भी इन हदों का ख्याल रखना पड़ता है। वह इन हदों से आगे नहीं जा सकते। जब वह चीन में कोई हुकूम जारी करते हैं तो मेरे ख्याल में यह समझ लेना गलत होगा कि वहाँ की सरकार जो चाहे कर सकती है। उसे बहुत-से किसानों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। मुमकिन है कि वहाँ जिस किस्म का सगठन है उसकी मदद से वह लोग हमसे कुछ ज्यादा तरक्की कर लें। लेकिन आखिर में चलकर उनके ऊपर भी कुछ बातों की वजह से पाबंदियाँ लग जाती हैं। चेरमैन माओ त्से-तुंग ने कहा है कि चीन में सोशलिज्म की बुनियाद रखने में बीस बरस लग जायेंगे। इस तरह आप देखते हैं कि वह बहुत लम्बे अरसे की बात सोचते हैं और वह जितने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं उसके बावजूद वह बहुत जल्दी कुछ कर लेने की उम्मीद नहीं करते।

अपनी हदों के अंदर हम भी पूरी कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि एक बार जहाँ काम चल निकला तो रफ्तार अपने-आप तेज होती जायेगी। सवाल यह होता है कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिये। मैं समझता हूँ कि हम उस हद को पार कर गये हैं जब हम एक जगह पर ठहरे हुए थे, जब हमारी हालत एक जगह पर ठहरे हुए पिछड़े मुल्क की थी। इस हद को पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम उसे पार कर रहे हैं। दरअसल हम उसे पार करके अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जब हमारी रफ्तार बढ़ती जायेगी।

हमारी पहली पंचवर्षीय योजना एक तरह से एक तजुर्बा था जिसमें हमने कुछ बुनियादी बातें तै कीं। दूसरी योजना में हमारी रफ्तार ज्यादा तेज है, बहुत तेज तो नहीं है। तीसरी योजना में हमारी रफ्तार बहुत तेज हो जायेगी।

झाँड मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा जिसका ताल्लुक आर्थिक बातों से नहीं है।

इनकलाबी एशिया के जो मसूबे हैं उनमें से ज्यादातर इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि लोगो के रहन-सहन में बड़ी तेजी से तरक्की होगी। अगर, जैसा कि कुछ लोगो का कहना है, हिंदुस्तानी एशिया की दूसरी कौमो के मुकाबले में इस दुनिया के ऐशो-आराम के चक्कर में कम रहते हैं, तो क्या हिंदुस्तान का ख्वाब उसी हद तक कम गतिशील नहीं है? जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वह दरअसल यह है कि क्या यह बात सच है—जैसा कि लोग अकसर कहते हैं—कि हिंदुस्तानी एक “रुहानी कौम” है और उन्हे एशिया के या दूसरी जगहो के लोगो के मुकाबले में खाने-पीने और रहन-सहन की तरक्की में कम दिलचस्पी है?

नेहरू मैं इस बात को इस तरह नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तानी “ज्यादा रुहानी” है। मैं यह कहूँगा कि जो समाज जितना ठहरा हुआ होता है वह रुहानियत की उतनी ही ज्यादा बात करता है। फिर भी कुदरती तौर पर हिंदुस्तानियो में और दूसरी कौमो में फर्क है। यह बात नहीं है कि हिंदुस्तानी दूसरो से अच्छे हैं। लेकिन, मिसाल के तौर पर, यहाँ भी लोगो में यह कुदरती स्वाहिश होती है कि उनके पास दौलत हो, लेकिन यहाँ दौलतवालो को कभी बहुत ज्यादा इज्जत की नजर से नहीं देखा गया है। लोग दौलत चाहते हैं लेकिन हमारे पूरे पिछले इतिहास में विद्वान् आदमी की इज्जत हमें दौलतमद आदमी से ज्यादा हुई है। यह हमारी कौम का रवैया है। यह एक ऐसी बात है जिम्का असर पडता है। लेकिन कुदरती तौर पर लोगो में अच्छा ग्वाने, अच्छा ग्वाने और आराम से रहने की स्वाहिश मौजूद है।

तक पहुँचने में हमें अभी एक-दो पीढ़ियाँ और लग जायेगी जब हर आदमी उस सतह पर पहुँच जायेगा जिसे हम ऐश-आराम की जिंदगी कह सकते हैं। इसलिए अभी फौरन तो यह सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन एक वार जब लोगो के रहन-सहन की सतह उतनी ऊँची हो जायेगी तो मैं कह नहीं सकता कि उस वक्त उनका रवैया क्या होगा। उस वक्त देखा जायेगा।

मॉड . लेकिन क्या आपके ख्याल में हिंदुस्तानियों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी अच्छा खाने, अच्छा पहनने और ज्यादा आराम से रहने की इच्छा का उतना ही दखल है जितना दूसरे समाजों में ?

नेहरू- शायद है तो। शायद कुछ बातों में यह इच्छा उतनी ज्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर अमरीका में लोगो में यह इच्छा योरप के बहुत-से मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। मौजूद यह हर जगह है लेकिन शायद अमरीका में लोग रुपये-पैसे के बारे में, हर चीज की कीमत के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, मिसाल के तौर पर इंग्लैंड या फ्रांस के मुकाबले में वहाँ के लोग रुपये-पैसे की ज्यादा बातें करते हैं। इस एतवार से मुमकिन है कि हिंदुस्तान में यह रुपये-पैसे का लालच कम हो, लेकिन है जरूर। लेकिन यह सवाल दरअसल उसी समाज में पैदा होता है जहाँ लोगो को ज्यादा-से-ज्यादा दौलत बटोरने की धुन होती है, जहाँ लोग दूसरे के कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ते हैं।

मॉड एक सवाल है जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के इन सब आर्थिक सवालों से है वह है आवादी का सवाल।

जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की आवादी हर दस साल में पाँच करोड़ बढ़ जाती है तो मेरे सामने एक ऐसे आदमी की तस्वीर आती है जो नीचे उतरती हुई विजली की सीढियों पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे अपनी जगह पर टिके रहने के लिए भी बड़ी तेजी से कदम बढ़ाना पड़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए तो उसे भागना पड़ता है। इस सिल-सिले में कोई पालिसी अख्तियार करने की, कोई कदम उठाने की जरूरत है।

श्रीलंका की मिनाल ले लीजिये। पिछले कुछ बरसों में लंका में मले-रिया का नाम-निगान मिटा दिया गया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि वहाँ

की आवादी इतनी बढ़ गयी है कि कुछ ही वरसों में वहाँ की आवादी फिर दुगनी हो जायेगी। प्रधान मंत्रीजी, मैं जानता हूँ कि आपने हिंदुस्तान में परिवार-नियोजन को अपना नैतिक समर्थन दिया है। मैंने कलकत्ते और बम्बई में इन तरह की कुछ क्लीनिके देखी भी हैं, लेकिन जाहिर है कि यह मसला जितना बड़ा है उसे देखते हुए जो कुछ हो रहा है वह बहुत थोड़ा है। अलग-अलग कुछ इक्का-दुक्का लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए मैं एक महिला से मिला था और उनके साथ एक गाँव में भी गया था जहाँ वह परिवार-नियोजन का काम करती थी। वह सचमुच बहुत ही अच्छी औरत थी। लेकिन इन लोगों की हिम्मत कुछ टूट जाती है क्योंकि वे इस बात को समझते हैं कि इस सवाल को फौरन हल करना बहुत जरूरी है लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अपने काम को किसी बड़े पैमाने पर चलाने के लिए उन्हें सरकार से जितनी मदद मिलना चाहिये या जितना सामान और रुपया-पैसा मिलना चाहिये वह उन्हें नहीं मिलता।

इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इस सिलसिले में कोई योजना बना रहे हैं? हिंदुस्तान के बाहर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि हिंदुस्तान उन इने-गिने मुल्कों में से है जहाँ मजहब की तरफ से परिवार-नियोजन का कोई गहरा विरोध नहीं होता; यह बहुत बड़ी बात है जिससे इस काम को गुरु करने में बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में इस काम को ज्यादा बड़े पैमाने पर करने के लिए कोई योजनाएँ हैं?

नेहरू . मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी योजना है जो सब लोगों पर लागू होती हो। कुछ योजनाएँ हैं जरूर जो काफी बड़े पैमाने की हैं और धीरे-धीरे वह दृष्टी जायेंगी।

लेकिन मैं एक बात कहूँगा . मैं समझता हूँ कि परिवार-नियोजन यकीनन बहुत अच्छी चीज है, और हमें उन काम को करना चाहिये लेकिन उसके लिए सिर्फ जयवंत प्रचार और दूसरी नृत्तलियता की ही जरूरत नहीं होती; दक्षिण अंगर में ठीक समझना है तो इसके लिए लोगों में कुछ ज्यादा ऊँची तात्मीम की भी जरूरत होती है। सिर्फ परिवार-नियोजन ने ज्यादा कुछ नहीं हो

सकता। शहरों में जरूर कुछ हो सकता है और हम वहाँ यह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देहातो की बात कर रहा हूँ। इस तरह यह पूरा सवाल दूसरी बातों के साथ, आर्थिक तरक्की और इसी तरह के दूसरे सवालों के साथ बुरी तरह उलझा हुआ है। अगर मैं लोगों की आर्थिक तरक्की के सवाल को अलग रख दूँ और उनसे सिर्फ परिवार-नियोजन की बात करूँ तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल मेरी आवाज भी उन तक नहीं पहुँचेगी। उन तक अपनी आवाज पहुँचाने के लिए जितने बड़े संगठन की जरूरत होगी वह हमारे पास नहीं है। मैं उन तक सिर्फ अपनी गाँवों की सामुदायिक योजनाओं के जरिये पहुँच सकता हूँ—और सिर्फ परिवार-नियोजन के लिए ही नहीं बल्कि और बातों के लिए भी। इन योजनाओं से एक बुनियाद तैयार होती है, जिसकी वजह से लोग अपने हाथ-पैर चलाते हैं, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाती है और वे नये ख्यालात को कबूल करने पर तैयार होते हैं। आगे चलकर इसी बुनियाद का फायदा हम परिवार-नियोजन के काम के लिए उठा सकते हैं।

जिन लोगों को परिवार-नियोजन के बारे में बड़ा जोश है वह यह समझते हैं कि हम और सब बातों को ताक पर रखकर बस इस बढ़ती हुई आवादी की मुसीबत के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन इस मुसीबत के खिलाफ सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार करके नहीं लड़ा जा सकता है। मेरी राय में यह तरीका गलत है। दरअसल इस तरीके से कोई भी नतीजा नहीं निकलता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आर्थिक तरक्की परिवार-नियोजन से भी ज्यादा जरूरी है। इसमें तो शक नहीं कि जहाँ तक मुमकिन हो इन दोनों के साथ चलना चाहिये।

साँड यह जरा टेढ़ा मसला है लेकिन मैं इसके बारे में एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मुमकिन है कि मौजूदा हालत में परिवार-नियोजन का सवाल एक पेचीदा सवाल हो। लेकिन कुछ मुल्कों में, जैसे जापान में, कुछ और तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं जिनकी मदद से कुछ ही बरसों में बच्चों की पैदाइश की रफ्तार कई फीसदी कम की जा सकती है। चूँकि हिंदुस्तान आर्थिक योजनाओं की एक बहुत अहम मजिल में दाखिल हो रहा है इसलिए वह चाहेगा

कि उसकी आवादी एक खास हद पर कायम रहे ताकि आपकी आर्थिक योजनाएँ हकीकत से ज्यादा करीब हो सके।

नेहरू . मुझे मालूम नहीं कि जापान में कौनसे तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं . .

भांड : वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे गिरवा दिये जाते हैं और इसे कानूनन जुर्म नहीं समझा जाता। .

नेहरू हमने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आमतौर पर लोग महसूस यही करते हैं कि बच्चे गिरवाने को बढ़ावा नहीं देना चाहिये, जब किसी खास वजह से डाक्टर कह दे तो बात और है।

भांड : बहरहाल, इस वक्त हिंदुस्तान के गाँवों की सेहत और सफाई के एतबार से जो हालत है उसमें इस काम में बहुत मुश्किलों का सामना होगा और इससे जितने मसले हल नहीं होंगे उससे ज्यादा नये मसले पैदा हो जायेंगे।

नेहरू यही बात है . इसके लिए लोगों की सेहत ठीक रखने के वास्ते बहुत जबर्दस्त इतजाम की जरूरत होगी।

भांड . मतलब यह कि आपकी राय में तेजी से बढ़ती हुई आवादी के इस मसले का हल यह है कि पूरे मुल्क में आम आर्थिक तरक्की हो, परिवार-नियोजन तो इसी के अंदर एक छोटा मसला है जिसे अकेले हल करने से आवादी का मसला हल नहीं हो सकता।

नेहरू . हाँ, बुनियादी सवाल आम तरक्की का है, समाजी एतबार से इसका हल यह है कि लोगों को रोजगार मिले और इसी तरह की दूसरी बातें। इसके साथ ही परिवार-नियोजन का भी काम करते रहना चाहिये, उसके लिए एक फजा, एक वातावरण तैयार करना चाहिये, और फिर शायद आगे चलकर हम ज्यादा बड़े पैमाने पर इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त जब हमने पहले से उसके लिए बुनियाद तैयार कर ली हो।

कुछ भी हो, इस वक्त तो अगर हम पूरी तरह परिवार-नियोजन के लिए ही काम करे तो भी मैं नहीं समझता कि अगले दस बरसों में हमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मुझे आर्थिक मामलों में तो उससे बहुत पहले कामयाबी हासिल कर लेना है, मैं इतना इतजार कर ही नहीं सकता।

मांड मैं इस नाजूक सवाल से एक दूसरे नाजूक सवाल पर आने की कोशिश करूँगा। कुछ ही हफ्ते पहले मैं खजुराहो गया था, वहाँ मंदिर के पास एक बड़े-से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैं एक अर्धेड उम्र के आदमी से बातें कर रहा था, मेरे ख्याल से वह कहीं पढाते थे। बहुत खूबसूरत आदमी था, लम्बी-सी दाढ़ी थी उसके, बहुत ही समझदार आदमी था, ब्राह्मण था, और हम लोग हिंदुस्तान के बारे में बातें कर रहे थे। जब हम लोग बातचीत खत्म कर चुके तो वह उठा और कुछ बुजुर्गों की तरह सजीदगी के साथ बोला “यह याद रखो कि जब तक हिंदुस्तान में जवाहरलाल है तब तक दूसरी बात है और जब हिंदुस्तान में जवाहरलाल नहीं रह जायेगा तब बात बिल्कुल ही दूसरी हो जायेगी।”

मैं यह बात इतने विस्तार के साथ सिर्फ उसे ज्यादा साफ तौर पर पेश करने के लिए कह रहा हूँ जिसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, यही कि हिंदुस्तान में लोग बहुत बड़े पैमाने पर यही महसूस करते हैं। दरअसल मैं तो यह समझता हूँ कि यह सवाल इस वक्त हिंदुस्तान के आम लोगों के दिमाग पर सबसे ज्यादा छाया हुआ है। जब हिंदुस्तान के पास आप जैसा नेता नहीं रह जायेगा तब क्या होगा? मैं जानता हूँ कि हर खाकसार आदमी की तरह आप यह जवाब देंगे कि कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि उसके बिना दुनिया का काम रक जाये। लेकिन जाहिर है कि यह सवाल इससे ज्यादा पेचीदा है। मैं अगर इसे थोड़े-से लफ्जों में कह दूँ तो आज आप मेरी राय में इस मुल्क में कई जिम्मेदारियों निभा रहे हैं। मैं इनमें से तीन सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का जिक्र करूँगा।

सबसे पहले तो आप हुकूमत करने वाली पार्टी के नेता हैं, आप उस सगठन के नेता हैं जिसके बारे में आपने उस दिन कहा था कि इतने बड़े और इतने पेचीदा मुल्क पर ऐसे सगठन के बिना हुकूमत करना नामुमकिन है। इस पार्टी में जो तरह-तरह के लोग हैं उन सबको आप ही एक साथ रखते हैं। दरअसल, इस पार्टी में आपकी वही हैसियत है जो आग बुझानेवाले की होती है, जहाँ कहीं भी आग लगती है आप भागकर वहाँ पहुँच जाते हैं, और अपनी जादू-भरी बातों से आग को बुझा देते हैं।

दूसरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसे आप पूरा करते हैं वह यह है कि आप

हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग और हिंदुस्तान के गाँव के बीच रिश्ता कायम रखनेवाली कड़ी है। यह रिश्ता कायम रखना कोई आसान काम नहीं है।

और तीसरी जिम्मेदारी, जिस पर मैं बहुत जोर दूँगा क्योंकि मैं उसे सबसे जरूरी समझता हूँ, यह है कि आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है उसका झुकाव आप ही के दम से प्रगतिशील दिशा में रहता है। मेरा मतलब है देश के अन्दर के मामलों में भी और विदेशी मामलों में भी। जो कुछ हो रहा है उसे समाजी रंग आप ही देते हैं और आप ही हिंदुस्तान का ध्यान विदेशों की तरफ खींचते हैं, जिससे इस बात का खतरा कम हो जाता है कि हिंदुस्तान अपने ही को सबसे अच्छा समझकर अपनी अलग ही एक दुनिया बनाये रहे। मैं आपकी इस तीसरी जिम्मेदारी को आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ।

मुमकिन है आपकी जगह कोई दूसरा पार्टी का नेता मिल जाये, यह भी मुमकिन है कि वह हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग और देहातो के बीच रिश्ता कायम रखने की जिम्मेदारी भी आपकी तरह पूरी कर सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को आपकी जगह लेनेवाला कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो हर काम समाज को नजर में रखकर करने की दिशा में, प्रगतिशील दिशा में आप जितना ही असर डाल सकेगा।

प्रधान मंत्रीजी, क्या आप कृपा करके इस बारे में साफ-साफ अपने ख्याल जाहिर करेंगे? इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर करोड़ों लोग इस बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे।

नेहरू : तो आपने इस सवाल के तीन पहलुओं का जिक्र किया है। मैं एक चौथे पहलू का भी जिक्र कर दूँ। वह चौथा पहलू यह है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम बहुत-से लोग, हिंदुस्तान के उस जमाने के, जब वह अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, और आजादी के बाद के इस दूसरे जमाने के बीच की कड़ी हैं, यह दूसरा जमाना जो निर्माण का जमाना है।

फुदरती बात है कि जिन लोगों का ताल्लुक आजादी की उस लड़ाई से था पर दिन-दर-दिन कम होते जायेंगे। हमें एक तरह से बहुत फायदा रहा है। कुछ तो इस पजह में कि उस लड़ाई के जमाने में हमें बहुत शोहरत मिली, पब्लिक

मे हमारा असर बढ़ा, इस असर को अब हम निर्माण के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ससदीय लोकतंत्र में उस किस्म के जाती असर की कोई अहमियत नहीं होती, जो लडाई के ज़माने में बहुत काम आता है। कोई अकेले मुझे ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हर दर्जे के बीसियों बल्कि सैकड़ों लोगो को इस गोहरत की वजह से बहुत सहूलियत हुई। लेकिन जैसे-जैसे यह नयी पीढी बड़ी होगी, जिसे इस लडाई के बारे में कोई जाती जानकारी नहीं होगी वैसे-वैसे यह सहूलियत कम होती जायेगी। वे इसके बारे में दूसरों से सुनेगे, किताबों में पढ़ेंगे और मुमकिन है वे यह समझने लगे कि सिर्फ चिल्लाने से काम हो जाता है। ये दुश्वारियाँ तो हमारे सामने हैं। फिर भी आखिर में हम इन पर काबू तभी पा सकते हैं जब हम लोगो को कुछ खास तरीको से सोचना सिखाये, उनमें नयी बातों को कबूल करने की खूबी पैदा करे। इस वक्त हम आम लोगो को इस तरह की बातें सिखा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इसमें काफी कामयाबी भी मिल रही है।

इसी सवाल को ले लीजिये कि हिंदुस्तान दुनिया के बारे में, दूसरे मुल्कों के बारे में किस तरह से सोचता है। तो, यह बात तो जाहिर है कि इस मामले में दो ताकतें एक दूसरे के खिलाफ दिखायी देती हैं। एक तरफ तो हिंदुस्तान की हमेशा से ही कुछ अपनी अलग ही एक दुनिया बनाकर रहने की आदत रही है, शायद यह आदत इस हद तक किसी दूसरे मुल्क की नहीं रही। मैं समझता हूँ कि हर बड़े मुल्क का, हर बड़े खिस्ते का यही रवैया हो जाता है क्योंकि वह खुद अलग एक दुनिया होता है। छोटे मुल्क को मजबूर होकर दूसरों के बारे में सोचना पडता है। हिंदुस्तानियों को दूसरे मुल्कों के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में सोचने की आदत डालने में मेरा हाथ यकीनन रहा है—उस ज़माने में भी जब हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ देखेंगे कि एक औसत गाँववाला या दिल्ली का औसत ताँगेवाला भी हमारी वैदेशिक नीति के बारे में कुछ कह सकता है। मुमकिन है वह सब ठारीकियों को न समझे, लेकिन वह इस वक्त बाहर की दुनिया के बारे में जितना सोचता है उतना इससे पहले कभी नहीं सोचता था।

ये सब दुनियादे पड रही है और शायद इसकी वजह से आम हिंदुस्तानियों

का सोचने का तरीका और दुनिया में जो कुछ होता है उसके बारे में उनका रवैया बदलता जा रहा है। यह तब्दीली किस हद तक होगी या जब मैं या मेरे साथ के दूसरे लोग नहीं रह जायेंगे तब आखिर में क्या होगा, इसके बारे में यकीन के साथ कोई भी कुछ नहीं कह सकता। . . हम अपने सामने कोई मकसद रखकर काम करते हैं और अपनी ताकत भर उसके लिए काम करते रहते हैं . फिर दूसरे लोग उसी काम को हाथ में ले लेते हैं।

आपने जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि मुझे भविष्य के बारे में कोई डर नहीं है। कुछ तो इस वजह से कि डरने से कोई फायदा नहीं होता, और कुछ इस वजह से कि जिससे जितना वन पडता है वह उतना काम करता है। .

मांड : यह तो है . . . लेकिन हर पालिसी के लिए इस बात की जरूरत होती है कि कुछ लोग उसे चलाये, उसे आगे बढ़ाये। मुझे हर तरह के “वाद” से नफरत है लेकिन आपने हिंदुस्तान में एक ऐसी पालिसी चलायी है जिसमें हर काम समाज के फायदे को देखकर किया जाता है और जिसे लोग अक्सर “नेहरूवाद” कहते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपके साथियों में ऐसे लोग काफी तादाद में मौजूद हैं जो इस पालिसी को चला सकें; मेरा मतलब ऐसे लोगों से है जो हर बात का झुकाव इसी समाज के फायदे को ध्यान में रखने की तरफ रख सकें।

नेहरू : मैं समझता हूँ कि इसे “नेहरू की पालिसी” या “नेहरूवाद” कहना बिल्कुल गलत है। यह वही पालिसी है जो गाँधीजी ने हमारे दिलों में बिठा दी थी।

इसमें मेरा हाथ जहाँ से आता है वह है वैदेशिक मामलात के सिलसिले में। जहाँ तक मुक्त के अदर का सवाल है, तो यह प्रगतिशील पालिसी— गांव पर ज्यादा जोर देना और गाँव और मध्यम वर्ग के बीच की दूरी को खत्म करना—यह उसी वक्त से कांग्रेस की बुनियादी पालिसी रही है जब से गाँधीजी मैदान में आये, उन्होंने लाखों लोगों को इन ढंग से सोचना और हम ढर्रे पर चलकर काम करना सिखाया। मुझे इनमें डरा भी एक नहीं कि हमारी पालिसी में ये यह बात कभी खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान में बहुत-से लोग ऐसे

हैं जिनका झुकाव गाँव की तरफ है—मेरा मतलब है कि मध्यम वर्ग में ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव गाँव की तरफ है और ऐसे गाँववालों की तादाद भी बहुत है जो एक तरह से बढ गये हैं, तरक्की कर गये हैं। चाहे और कोई तब्दीली हो जाये लेकिन हमारी पालिसी का यह रख कभी मिट नहीं सकता।

झाँड आपकी इजाजत से मैं इसी नाजुक मसले के बारे में एक सवाल और पूछूँगा ?

हिंदुस्तान में ऐसे बहुत-से लोग हैं—और बाहर से हिंदुस्तान आनेवाले भी ऐसे बहुत-से लोग हैं—जिन्हें इस बात का पक्का यकीन है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और इसीलिए उसमें इतनी अलग-अलग तरह के लोग हैं कि कुछ हालतों में, और जब आप उसके नेता नहीं रह जायेंगे, तब उसके दो टुकड़े हो जायेंगे, अगर बहुत मोटे-मोटे तरीके से कहा जाये तो एक तो “वायों वाजू” होगा जिसे समाज के फायदे का ख्याल रहेगा और दूसरे हिस्से में “दाहिने वाजू” के वह सारे लोग होंगे जो आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ देखते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि उस हालत में दाहिने वाजू के लोग दकियानूसी लोगों से मिल जायेंगे और वायों वाजू के लोग वायों वाजू की दूसरी पार्टियों में शामिल हो जायेंगे—और इस तरह हिंदुस्तान में एक दिन वह आयेगा जब कट्टर दकियानूसी लोगों का निकम्मा बहुमत हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। निराशा फैलाने वाले ये लोग कहते हैं कि उस हालत में हिंदुस्तान की हालत कुओर्मिताग जैसी हो जायेगी। मैंने जानकर इतनी भयानक तस्वीर खींची है ताकि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह साफ हो जाये।

नेहरू . लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विल्कुल इसका उलटा नक्शा खींचते हैं। वह कहते हैं कि जब कांग्रेस इस तरह टूटेगी तो हिंदुस्तान कुओर्मिताग के रास्ते पर जाने के बजाय कम्युनिस्टों के रास्ते पर जायेगा। दोनों ही पहलू हैं इस तस्वीर के, दोनों ही तरह की बातें लोग करते हैं।

अगर आप कांग्रेस आंदोलन के इतिहास पर नजर डालें—और याद रखिये कि यह सत्तर बरस का इतिहास है—तो आप देखेंगे कि उसके सामने कई बार यह मसला आया है और हर बार कुछ दकियानूस लोग उसमें से निकल गये हैं। इस किस्म के लोग कई मौकों पर कांग्रेस से निकलते गये लेकिन जो बड़ा

हिस्सा था वह कभी नहीं टूटा और लगातार ज्यादा प्रगतिशील रुख अपनाता गया। और यह बात दिन-ब-दिन ज्यादा बड़े पैमाने पर होती रही। जिस वक्त गाँधीजी मैदान में आये उस वक्त कुछ बहुत बड़े-बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गये, जिनमें मैं कह सकता हूँ खुद जिन्ना साहब भी थे। उन्होंने कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ा था कि उनके सामने मजहब का या हिंदू-मुसलमान का कोई सवाल था, बल्कि इसलिए कि राजनीति के एतवार से और समाजी विचारों के एतवार से वह इतना आगे बढ़ गयी थी कि वह उसका साथ नहीं दे सकते थे। फिर भी कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई क्योंकि उसमें ज्यादा गठान आ गया, और यह बात लगातार हो रही है।

फिर, जब हम आजाद हुए उस वक्त हमारे संगठन के सामने एक सकट आया। हम अपनी मजिल पर पहुँच गये थे; आजादी की लड़ाई का जो रिश्ता हमें एक-दूसरे से बाँधे हुए था वह अब बाकी नहीं रह गया था और हमारे सामने यह सकट था कि कांग्रेस के ज्यादा तरक्कीपसंद और ज्यादा दकियानूसी हिस्से अपनी-अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ लोग मुमकिन है छोड़कर चले गये हों। लेकिन आमतौर पर हम एक साथ रहे हैं। मुमकिन है इस तरह की चीज बार-बार हो। लेकिन कोई साल भर पहले कांग्रेस ने अपने-आपको संभाल लिया है।

वह झुकाव तो मौजूद है जिसका आपने अभी जिक्र किया था। लेकिन हमने अपना आदर्श सोगलिज्म बना लिया है और इसी सिलसिले की बहुत-नी दूतरी बातें भी हुई हैं। नतीजा यह हुआ है कि आज कांग्रेस जितनी मजबूत है उतनी आजादी के बाद कभी नहीं थी। आज बहुत-से लोग इस आदर्श को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में मगहूर हैं।

पिछला इतिहास हमें बताता है कि जब भी ऐसे संकट आते हैं तो हमारे संगठन में उनका मुकाबला करने के लिए काफी ताकत होती है। मुमकिन है कुछ लोग छोटकर चले जायें लेकिन आखिर में कुल मिलाकर और ज्यादा लोग उत्तममें आ जाते हैं। मैं यह तो नहीं बता सकता कि आगे चलकर क्या होगा लेकिन इस वक्त मैं गमसता हूँ कि कांग्रेस का बुनियादी और काफी ज़रूरत

का अर्थतः हर तरफ से जकडा रहता है और इसलिए वे मुद्रा-प्रसार के डर के बिना कोई भी कदम उठा सकते हैं। इससे आम लोगो की तकलीफे और मुसीबते तो बहुत बढ सकती है लेकिन ये मुल्क ऐसा कर सकते हैं। पाबदियाँ तो हम भी लगा सकते हैं और कुछ पाबदियाँ हमने लगायी भी हैं। मुमकिन है हम कुछ और पाबदियाँ भी लगाये। लेकिन आमतौर पर हम वैसी पाबदियाँ नही लगा सकते जैसी कम्युनिस्ट मुल्को मे है।

माँड माफ कीजियेगा मेरे सवाल का मकसद आर्थिक मदद से था। अगर हम इस सवाल को और गहराई मे जाकर देखे तो आखिर मे सवाल पेटेट के हक का होता है, यानी यह कि हम कुछ चीजो को बनाने के कुछ खास तरीके अपना सकते हैं कि नही। पश्चिमी मुल्को मे बाज जाती कारखानो को ही इन तरीको का इस्तेमाल करने का हक होता है कोई दूसरा उन्हे इस्तेमाल नही कर सकता, लेकिन कम्युनिस्ट मुल्को मे इन तरीको पर सरकार का हक होता है। तो क्या अमल मे आपने देखा है कि ये कम्युनिस्ट मुल्क पेटेट के हक और चीजो को बनाने के बाज तरीको के मामले मे मदद करने को ज्यादा तैयार है ?

नेहरू कम्युनिस्ट मुल्को से मुराद सोवियत यूनियन से और, हाँ कुछ पूर्वी योरप के मुल्को से है। वहाँ तो पेटेट का कोई सवाल ही पैदा नही होता। मतलब यह कि आपका यह कहना ठीक है कि कम्युनिस्ट मुल्क हमे ये सारी वाते और वह तरीके सिखाने को पूरी तरह तैयार हैं, जिनको दूसरे मुल्को मे पेटेट के हक की वजह से कोई दूसरा इस्तेमाल नही कर सकता। दवाएँ बनाने के सवाल को ले लीजिये

माँड रसायन उद्योग की मिसाल मेरे ख्याल से और भी अच्छी रहेगी।

नेहरू हाँ, रसायन उद्योग को ले लीजिये। तो कम्युनिस्ट मुल्क हमे इसके वारे मे सब-कुछ सिखाने को तैयार है, जबकि दूसरे शायद इस हद तक तैयार नही हैं। लेकिन सच पूछिये तो अब उन्हे भी उतनी आनाकानी नही है जितनी पहले थी क्योकि अब वे इस वात को देखते हैं कि हम किसी-न-किसी तरह सीख तो लेगे ही। मै बताना यह चाहता हूँ कि अब इन वातो

पर उनकी इजारेदारी नहीं रह गयी है और इसलिए वे हमें इन तरीकों को सीखने से रोक नहीं सकते।

माँड . बीच में इस भटकने के बाद, आइये अब हम फिर हिंदुस्तान की वैदेशिक राजनीति पर गौर करें। हिंदुस्तान अफ्रीका के मामलों में दिन-ब-दिन ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, खासतौर पर वादुग काफ्रेस के बाद से। एक तरह से यह बड़ा महाद्वीप इंसान की तरक्की की अगली मजिल है। प्रधान मंत्रीजी, एशिया की आजादी का अफ्रीका की हालत पर क्या असर पड़ा है ?

नेहरू : मैं यह तो ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि कितना असर पड़ा है लेकिन यह जाहिर है कि काफी असर पड़ा है।

इस सिलसिले में मुझे मालूम नहीं कि पश्चिमी मुल्कों में या अमरीका में लोग इस बात को काफी हद तक जानते हैं कि नहीं कि उपनिवेशों के सवाल पर हमारे दिल में कितना गुस्सा है। यह बात हमारे खून में है। हमने यह मुसीबत खुद झेली है। अगर कोई हमसे यह कहे कि हाँ, आप कहते तो ठीक है लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पेचीदा सवाल हैं तो इससे कोई फायदा नहीं। हमारे लिए यह एक बुनियादी और बहुत जरूरी सवाल है। उपनिवेशों का सवाल और काले-भोरे का सवाल, ये दो बातें एशिया के मुल्कों के लिए बहुत बुनियादी सवाल हैं। हमारे और चाहे जो फर्क हो लेकिन हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, जैसे वादुग में, और इस मामले में हमारी सबकी राय एक है। उन मीटिंग में कुछ मुल्क कम्युनिस्ट मुल्क थे, कुछ कम्युनिस्ट-दुग्मन मुल्क थे, लेकिन उन सवाल पर सबकी राय एक है क्योंकि आम लोगों में उस बात के बारे में बहुत जज्बा है। इसलिए हमें सिर्फ एशिया के उन मुल्कों में ही उपनिवेशवाद को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है जहाँ वह अभी तक बाकी है बल्कि हम चाहते हैं कि वह अफ्रीका में भी खत्म हो जाये।

उनकी एक और वजह भी है। हमें पता है कि अगर ऐसा न हुआ तो अफ्रीका में भी बहुत गन्दह होगी, दारो और गोरों का झगडा होगा जो बहुत ही बुरी बात है।

वैदेशिक बात यह है—और यह एक नयी बात है—कि हमें अफ्रीका में

एक नये किस्म के उपनिवेशवाद का डर है, वह उपनिवेशवाद जिसकी बुनियाद अवर्द्धस्त फौजी ताकत पर होगी और जो वहाँ अपने-आपको आत्म-शासन या खुदमुस्तार हुकूमत कहेगा। वह किसी साम्राज्यी मुल्क का उपनिवेश नहीं होगा बल्कि एक छोटे-से ताकतवर गिरोह का उपनिवेश होगा, जिसका उस मुल्क पर कब्जा होगा और जो उसे खुदमुस्तार हुकूमत कहेगा।

साँड - यानी उसका आर्थिक कब्जा होगा ?

नेहरू - नहीं, नहीं... उस मुल्क पर उसका राजनीतिक तौर पर कब्जा होगा, जैर आर्थिक कब्जा तो होगा ही। इन मुल्को को खुदमुस्तार या आजाद मुल्क कहा जायेगा लेकिन दरअसल वे योरप या अमरीका के इन मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में होंगे।

साँड - कुछ वैसी ही हालत होगी जिसे हमने दक्षिणी-पूर्वी एशिया के सिलसिले में "लैटिन अमरीका के मुल्को वाली हालत" कहा था ?

नेहरू : लेकिन अफ्रीका में काले-गोरे के सवाल की वजह से, काले लोगों की वस्तियाँ अलग रखने की वजह से और इसी तरह की दूसरी बातों की वजह से, हालत और भी बदतर होगी।

"खुदमुस्तार" मुल्क तो बना दिये गये, ठीक है, लेकिन इन मुल्को पर जिन लोगों का कब्जा है वह इंग्लैंड या फ्रांस के बदतर-से-बदतर दकियानूसी प्रतिक्रियावादियों से भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी हैं। देखिये बात यह है कि ये लोग पश्चिम के उन मुल्को के उदारवादी आंदोलनों से तो बिल्कुल अलग हैं जहाँ से ये शुरू-शुरू में आकर अफ्रीका में बसे थे, उनके दिल में तो बस हर वक्त उन लोगों का डर समाया रहता है जिन पर वे हुकूमत करते हैं और जिनकी तादाद उनसे कई गुना ज्यादा है, और वे सिर्फ उन्हें दबाकर रखने और उनके सीने पर चबे बैठे रहने की ही बात सोच सकते हैं।

एक मुश्किल और है. अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ यूरेनियम और ऐटमी ताकत पैदा करने के लिए जरूरी दूसरी चीजें पायी जाती हैं और इसलिए इन मुल्को की अहमियत बहुत बढ़ गयी है। तो यह अफ्रीका के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है क्योंकि इस वजह से अफ्रीका के मुल्को के लिए अपनी आजादी हासिल करना ज्यादा मुश्किल हो जायेगा, क्योंकि उनकी

धरती में वह कीमती चीज मिलती है और उन पर इन लोगो का शिकंजा जकड़ा रहेगा और झगड़े पैदा होते रहेंगे।

हम पूर्वी अफ्रीका में या उत्तरी अफ्रीका में काफी झगडा-फसाद देख चुके हैं। इस बात को तो अब सभी लोग समझने लगे होंगे कि इन सवालो को फौज की मदद से हल नहीं किया जा सकता। यह बात तो समझ में आती है कि कभी फौज की मदद लेना जरूरी हो जाये लेकिन किसी आंदोलन को दवाने के लिए बरसो तक लगातार फौज का इस्तेमाल—जाहिर है इससे कोई नतीजा निकलनेवाला नहीं। इससे हालत और खराब होती है और कुछ नहीं।

मैड प्रधान मंत्रीजी, क्या आपकी राय में योरप की कुछ ताकतो ने जिस तरह बड़ी समझदारी के साथ एशिया में अपने कब्जे के मुल्को को छोड़ दिया है, वही तरीका आगे चलकर अफ्रीका के लिए भी एक मिसाल बन सकता है ?

नेहरू : क्यों नहीं। ये तरीके अफ्रीका के लिए भी मिसाल बन सकते हैं लेकिन मिसाल पर अमल किया जाना चाहिये और काफी जल्दी अमल किया जाना चाहिये।

मैड : मैं समझता हूँ कि मध्य-पूर्व में जो हिंदुस्तान की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है वह भी इसी किस्म की है। यह बात तो खैर है ही कि हिंदुस्तान में बहुत काफी मुसलमान हैं जिनकी वजह से मध्य-पूर्व के इस्लामी मुल्को के साथ हिंदुस्तान का ताल्लुक ज्यादा गहरा है।

नेहरू : हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ी होने की वजह से तो हमें दिलचस्पी है ही लेकिन इसके अलावा भी हमें इसलिए दिलचस्पी है कि पुराने इतिहास को देखते हुए मध्य-पूर्व के देशों के साथ बहुत जमाने से हमारे ताल्लुकात बहुत करीब के रहे हैं।

सैकड़ों बरस तक हमारी सरकारी जवान फारसी थी। इतिहास में वे-गुमार मिसाले इस बात की मिलती है कि ईरान के साथ और मध्य-पूर्व के दूसरे मुल्को के साथ हमारा रिश्ता रहा है, सांस्कृतिक रिश्ता और दूसरे रिश्ते। अब जबकि हम फिर आजाद हो गये हैं, कुदरती बात है कि हम इन रिश्तों को फिर से कायम कर रहे हैं, हम उन पुराने रिश्तों को फिर जोड़ रहे हैं जो

हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत की वजह से टूट गये थे। एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने और ख़वरे पहुँचाने के तरीकों में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से भी हम एक-दूसरे के करीब आये हैं। और यह कुदरती बात भी है। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं।

हमें मध्य-पूर्व में बहुत गहरी दिलचस्पी है, वहाँ के अलग-अलग मुल्कों में भी और वहाँ के लोगों में भी जिनके साथ हम दोस्ती रखना चाहते हैं और जिन्हें हम आजाद देखना चाहते हैं। हमें इसलिए भी दिलचस्पी है कि मध्य-पूर्व की जो हालत है उसमें बहुत-से ख़तरे छुपे हुए हैं और उसकी वजह से वहाँ गडबडी पैदा हो सकती है।

ज़ाँड अफ्रीका और मध्य-पूर्व के इन सवालों पर गौर करने के बाद हम फिर आवादी के सवाल को ले।

ऐसा मालूम होता है कि जब भी किसी ताकत ने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करने की कोशिश की है तो उसने साथ ही हिंद महासागर के रास्तों को भी अपने काबू में रखने की कोशिश की है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के साम्राज्य की जडे मजबूत उसी वक्त हो पायी जब इंग्लैंड ने हिंद महासागर के सभी “नाकों” पर—सिंगापुर, लका, अदन और पूर्वी अफ्रीका पर—सबमुच अपना कब्जा जमा लिया। इस वक्त अफ्रीका में इस बात का अदेशा पैदा हो गया है कि हिंदुस्तान अपनी फालतू आवादी को अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एक तरह से “झोक” देना चाहता है। कुछ अफ्रीकी तो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि हिंदुस्तान से आकर बसनेवाले लोग अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अपने उपनिवेश बसाना चाहते हैं।

क्या आप इसे मुमकिन समझते हैं कि आगे चलकर—कुछ ऐसी खास हालतों में जिनके बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते—हिंदुस्तान भी हिंद महासागर के इन नाकों पर अपना कब्जा जमाना चाहे और दूसरे मुल्कों में अपना असर जमानेवाली ताकत बन जाये ?

नेहरू मैं उम्मीद करता हूँ कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरा मतलब है उस तरीके से नहीं। जहाँ

तक हमारी पालिसी का सवाल है तो हमने साफ-साफ कह दिया है—अफ्रीका के बारे में भी और दूसरे मुल्को के बारे में भी—कि हम किसी भी मुल्क में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे हक या खास अख्तियार नहीं चाहते जिनसे वहाँ के रहनेवालों का कोई हक मारा जाये या उन्हें कोई दिक्कत हो। उन्हें वहाँ मेहमानों की तरह रहना चाहिये। अगर वहाँ के लोग उन्हें वहाँ नहीं चाहते तो उन्हें वहाँ रहने का कोई हक नहीं है। पिछले सौ बरसों से या इससे भी ज्यादा अरसे से हिंदुस्तानी अफ्रीका जाते रहे हैं। लेकिन वहाँ कितने हिंदुस्तानी हैं? बहुत थोड़े। जो वहाँ हैं उनमें से ज्यादातर ब्योपारी हैं, सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी हैं वह वहाँ बहुत दिन पहले कुछ खास शर्तों पर मजदूरों की हैसियत से गये थे। जो लोग दूसरी जगहों में गये थे वह बड़े-बड़े सौदागर या छोटे-मोटे ब्योपारी या छोटे दुकानदार या इसी किस्म के लोग थे।

इनमें से कुछ का कारोबार चमका और कुछ का नहीं चला। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को भेजने की कोई कोशिश नहीं की गयी है। दरअसल उनके जाने पर कुछ रोकथाम करने की कोशिश की गयी है। मैं कोई वजह नहीं समझता कि हम ज्यादा लोगों को वहाँ भेजने या अपने उपनिवेश कायम करने की कोशिश क्यों करें? बहरहाल, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अफ्रीका के लोगों के खिलाफ पड़े।

साँड : मैं समझता हूँ कि अब हमारी इस बातचीत को खत्म कर देने का वक्त आ गया है और इसे खत्म करने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही आम सवाल पूछना चाहूँगा।

प्रधान मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नये एशिया के बनानेवालों में एक बहुत ऊँचा दर्जा रखने की हैसियत से, आपका क्या ख्याल है कि अब से कोई बीस-पच्चीस बरस बाद इस महाद्वीप की हालत बदलकर क्या हो जायेगी? एक तो खुद इस महाद्वीप के अंदर एशिया की अपनी तरक्की के एतवार से और दूसरे, पिछले पच्चीस बरसों में दुनिया में उसकी हैसियत को देखते हुए? हमारे बच्चे और नाती-पोते अपने नक्शों में किस किस्म का एशिया देखेंगे?

नेहरू : आपका मतलब है राजनीति के एतवार से?

साँड : सिर्फ राजनीति के ही एतवार से नहीं बल्कि खुद इस महा-

मैं नेहरू से मिला

मैंने अपने अदरुनी तरक्की के एतवार से और दुनिया में उसकी आम हैसियत के एतवार से।

नेहरू मैं समझता हूँ कि सियासी एतवार से तो उसमें कोई खास रद्दो-बदल नहीं होगी। कमोवेश उसकी हालत वही रहेगी जो आज है, इक्का-दुक्का जगहों पर सियासी सरहदों में थोड़ा-बहुत हेर-फेर हो जाये तो बात दूसरी है। उद्योगों के एतवार से उसकी तरक्की होगी। मुमकिन है कुछ हिस्से ज्यादा तेजी से तरक्की करे और कुछ हिस्से धीरे-धीरे। लेकिन इन बातों की वजह से लोगों का रहन-सहन कुछ ऊँचा होगा।

मैं समझता हूँ कि इस एशिया का झुकाव वुनियादी तौर पर लडाई-झगडों के मुकाबले में शांति की तरफ ज्यादा रहेगा। मेरे ऐसा सोचने की कई वजहें हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि सारे एशिया के लोग ज्यादा अमनपसंद हैं, मेरा मतलब यह नहीं है। लेकिन उनके पिछले तौर-तरीके, उनकी मौजूदा हालत और सोचने का मौजूदा तरीका उन्हें अमन की जिदगी और अमन के हालात की तरफ ले जाता है।

इसलिए, मैं समझता हूँ कि एशिया दुनिया में शांति की और मेलजोल से रहने और काम करने की एक ताकत होगी, और अगर आप इजाजत दें तो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अब से पहले योरप ने इस सिलसिले में जितना कुछ किया है उससे कहीं ज्यादा एशिया कर दिखायेगा। आप जानते हैं कि अगर कुल मिलाकर देखा जाये तो योरप एशिया के मुकाबले में ज्यादा झगडालू रहा है।

मेरे लिए यह बताना ज़रा मुश्किल है कि आगे चलकर क्या होगा लेकिन दो बातें गौर करने लायक हैं। पहली तो यह कि एशिया का इलाका बहुत बड़ा है और इस पूरे इलाके को एक समझना अपने-आपको उलझाव में डाल लेना है। दरअसल इसमें अलग-अलग तरह के लोग बहुत बड़ी-बड़ी तादाद में रहते हैं और इन सबकी पिछली रवायात, उनकी परम्पराएँ विल्कुल अलग-अलग हैं। दूसरे, मेरी राय में, कम-से-कम आनेवाले जमाने की बात करते वक्त, योरप और एशिया और अमरीका को एक-दूसरे से विल्कुल अलग समझना भी गलती है।

भूगोल के एतबार से तो वे अलग-अलग हैं, लेकिन मौजूदा तरक्की की वजह से भूगोल की ये सरहदे खत्म हो जाती हैं, ये फर्क मिट जाते हैं। अगर आइदा कभी कोई लड़ाई हुई और हम उसमे जिदा बच गये तो ये सब एक दूसरे के और नजदीक आ जायेगे। और अगर लड़ाई हुई तो कोई नहीं कह सकता कि आगे चलकर क्या होगा। इसलिए यह ख्याल भी कि एशिया या एशियाई जज्बा कोई एक ठोस चीज है, या वह योरप या अमरीका के खिलाफ है, धीरे-धीरे मिट जायेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि योरप और अमरीका मे भी ये बातें मिट जायेगी। फिर, जब एशिया मे लोगो की जिदगी की ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो जायेगी, तो लोग दूसरे शांतिपूर्ण क्षेत्रो मे, सस्कृति वगैरह की तरक्की करने के बारे मे सोचना शुरू करेगे। इस बात को हमेशा याद रखिये कि पश्चिमी मुल्को मे चूँकि लोगो की ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो गयी हैं इसलिए वह लोग दूसरे सवालो मे इतना बढ-बढकर दिलचस्पी ले सकते हैं। जब एशिया मे हम यह बुनियादी काम पूरा कर लेंगे तब क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन सब बातो को देखते हुए जिसमे ऐटम बम भी शामिल है—बशर्ते कि हम उससे जिदा बचे रहे—हम कह सकते हैं कि हमने एक नया रास्ता पकडा है, जो ज्यादा शांति का रास्ता है, हम आपस मे मिलकर काम करने की तरफ जा रहे हैं जिससे सारी दुनिया का भला होगा।

मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के बारे मे एक बात आप याद रखे। इस बात के बावजूद कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हिस्सो मे बहुत फर्क है, और इस बात के बावजूद कि यहाँ के लोगो के सोचने के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन इस मुल्क के हर आदमी पर—और इसमे कोई छूटा नहीं है—पिछले पचास बरसो मे गाँधीजी ने जो कुछ किया उसका बहुत गहरा असर पडा है। हम लोगो पर इसका असर सिर्फ इसलिए ही नहीं पडा है कि गाँधीजी की हस्ती एक शानदार हस्ती थी, बल्कि इसलिए भी असर पडा कि गाँधीजी उन लोगो मे से नहीं थे जो खाली हवा मे उपदेश देते हैं, वह बहुत काम करनेवाले आदमी थे और वह एक बहुत बडे आंदोलन की अगुआई कर रहे थे, जिसका मतलब यह है कि वह जो कुछ कहते थे उसे करते भी थे। आम लोगो पर इन बातो का बडा असर पडता है। इन पचास बरसो मे उन्होंने बहुत-से लोगो को बहुत-कुछ

मैं नेहरू से मिला

खाया, उन्हें मिलकर काम करना सिखाया, वह उनके सुख-दुःख में उनके साथ रहे और धीरे-धीरे उन्होंने उन्हें कामयाबी की मजिल तक पहुँचाया। यह बहुत बड़ी बात है।

दूसरा अक्षर यह पडा कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में गाँधीजी बहुत बड़ी इनकलाबी ताकत थे। उन्होंने इनकलाब की जो तस्वीर खींची वह अपनी तमाम पिछली रवायतो से नाता तोड़ लेने की तस्वीर नहीं थी वल्कि उन्ही पुरानी चीजो से नयी चीजे पैदा करके इनकलाब लाने की तस्वीर थी। वह हमेगा पुराने और नये के बीच रिश्ता कायम रखने की बात करते थे। आम लोग गाँधीजी को हिंदुस्तान की तमाम पिछली शानदार रवायतो और आगे चलकर हिंदुस्तान में होनेवाले तमाम इनकलावो के बीच की शानदार कड़ी समझते हैं। इन दोनो के बीच तार कही टूटा नहीं है। यह यकीनन बहुत बड़ी बात है। दूसरे आदोलनो ने, दूसरे इनकलावो ने हमेगा हर पुरानी चीज से रिश्ता तोड़ लेने की बात की है। हिंदुस्तान में हम इस किस्म की उलट-पलट से बचे रहे हैं—खासतौर पर गाँधीजी की वजह से। दरअसल मैं तो समझता हूँ कि गाँधीजी उन लोगो से कही बड़े इनकलाबी थे जो दिन-रात इनकलाब का राग अलापते रहते हैं। हिंदुस्तान में जो-जो भी तब्दीलियाँ हुई हैं उनकी नीव को मजबूत करने में इस बात का बहुत बड़ा हाथ रहा है और हिंदुस्तान में हर आदमी पर इसका असर पडा है।

हिंदुस्तान के प्रतिक्रियावादी से प्रतिक्रियावादी लोग भी,—मेरा मतलब उन लोगो से है जो समाजी एतवार से प्रतिक्रियावादी है—अपने प्रतिक्रियावादी ख्यालो में उतने कट्टर नहीं हैं जितने कि शायद योरप और अमरीका में इस किस्म के लोग हैं। और हमारे यहाँ के प्रगतिशील से प्रगतिगील लोगो पर भी—वह कम्युनिस्ट हो या कोई भी हो—गाँधीजी का कुछ-न-कुछ असर जरूर पडा है। गाँधीजी ने समाज के उन हिस्सो के बीच, जो एक-दूसरे के खिलाफ थे, मेल पैदा किया। मैं नहीं कहता कि इस तरह से जितने झगडे होते हैं सब मिट जाते हैं। लेकिन रास्ता हमेगा जरूर खुला रहता है। और यह बात भी याद रखिये कि जब किसी उसूल का, किसी बुनियादी सिद्धात पर समझौता करने का सवाल आ जाता था तो गाँधीजी रत्ती भर भी हटने को

तैयार नहीं होते थे। लेकिन वह अपनी तरफ से कभी भी रास्ता बंद नहीं करते थे ताकि अगर दूसरी तरफ वाला आना चाहे और उनसे मिलकर फिर उस सवाल पर बातचीत करना चाहे तो उसके लिए रास्ता खुला रहे। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े लेकिन उनकी तरफ उनका रवैया हमेशा दोस्ती का रहा।

लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि जिसके साथ हमारी लड़ाई हो उसकी तरफ हमारा रवैया दोस्ती का कैसे रह सकता है। और यही वजह है कि यह ठंडी लड़ाई का रवैया हमारी समझ में भी नहीं आता।

मैं इस बात को तो समझ सकता हूँ कि कोई मुल्क अपनी ताकत कायम रखे या आगे चलकर पैदा होनेवाले किसी खतरे से बचने के लिए अपनी ताकत बढ़ा भी ले; या वह लड़ाई के लिए भी या और किसी गरज से ऐसा करे तो मेरी समझ में आता है। कोई भी जिम्मेदार नेता अपने लिए खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन यह ठंडी लड़ाई वाला रवैया मेरी समझ में विल्कुल नहीं आता, क्योंकि पिछले पचास बरसों में गाँधीजी ने हमें जो-कुछ सिखाया है या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो परम्पराएँ रही हैं, उसमें इस रवैये की विल्कुल जगह नहीं है। हमने बहुत-सी ऐसी बातें देखीं जिन पर हमें गुस्सा आया। मिसाल के तौर पर हमारे लोगों पर गोठियाँ चलती थीं लेकिन इसके साथ ही अगर कहीं कोई अंग्रेज अकेला भी जाता हो तो उस पर कोई आँच नहीं आ सकती थी। और यह सब गाँधीजी की सीख का असर था।

तो हमारा कहना यह है कि कोई भी झगडा हो उसमें अपने उसूल को नहीं छोड़ना चाहिये, अगर आप किसी बात को बुनियादी उसूल समझते हैं तो उसे कभी न छोड़िये, लेकिन हमेशा दूसरी तरफ वाले के लिए भी कोई रास्ता निकालने की तरफ़ीब सोचिये, यानी हमें समझौता करने की बात सोचिये, उमूलों पर नहीं बल्कि दूसरी बातों पर। मतलब यह कि छोटी-मोटी बातों पर न झगड़िये, बुनियादी उसूलों पर डटे रहिये लेकिन छोटी-छोटी बातों पर समझौता करने को तैयार रहिये और हमेशा अपने विरोधी की तरफ़ दोस्ती का दरवाजा रहिये।

गाँधीजी का उद्देश्य शांति, उना कारण था कि जब वह अपने विरो-
धियों के साथ दोस्ती बना सकता रहने थे तो उनका विरोध करने का मार्ग

मैं नेहरू से मिला

~~हम~~ खत्म हो जाता था। उनके सामने उनके विरोधी का सारा गुस्सा और जोश ठंडा पड़ जाता था। इसकी वजह यह थी कि वह दूसरी तरफवाले को हमेशा अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करते थे।

शुरू-शुरू में जब गाँधीजी कांग्रेस में आये उस वक्त हम लोग इस तरह से नहीं सोचते थे। हमारा सोचने का तरीका वही था जो हर राष्ट्रीय आंदोलन का होता है कि दुश्मन के साथ हमेशा सख्ती से पेश आना चाहिये। फिर गाँधीजी यकायक आये और उन्होंने बहुत नरमी से बातें करना शुरू किया। शुरू-शुरू में तो हम लोगो ने यही समझा कि यह आदमी कमजोर है, दुश्मन के आगे हथियार डाल देना चाहता है। लेकिन धीरे-धीरे हम लोगो ने देखा कि वह आदमी फौलाद का बना हुआ था। हम लोग सिर्फ लम्बी-चौड़ी बातें करते थे और तमाम वक्त दुश्मन के सामने पीछे हटते जाते थे लेकिन वह नरमी से बात करने के वावजूद रत्ती भर पीछे भी नहीं हटते थे। दरअसल, नरमी से बात करने से वह खुद तो मजबूत होते थे और दुश्मन कमजोर होता था।

मेरा यह पक्का यकीन है कि यह रवैया, जिसे मैंने ठंडी लड़ाई का रवैया कहा था और जिसका मतलब यह होता है कि आप दूसरे को शैतान समझते रहे और दूसरा आपको शैतान कहता रहे, तो इसका नतीजा तो सिर्फ यह हो सकता है कि दोनों में लड़ाई हो, और अगर लड़ाई न हो तो उससे भी बुरी बात हो यानी हमारे दिलों में हर वक्त एक जग छिड़ी रहे, नफरत पैदा हो, हिंसा पैदा हो और हम एक-दूसरे को नापसंद करते रहे तो यह बहुत ही बुरी बात है। अगर हम इसे दूर कर दें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के मसले बहुत आसान हो जायें। लोगो के दिल को, उनके ख्यालो को बदलने का रास्ता सियासी रास्ते के मुकाबले में कहीं बेहतर है और खैर फौजी रास्ते के मुकाबले में तो वह यकीनन बेहतर है। मेरी मुश्किल यह है कि आजकल किसी सवाल को हल करने के लिए जो भी रास्ते अख्तियार किये जाते हैं उनमें से ज्यादातर फौजी रास्ते होते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि एक ज़िम्मेदार राजनेता की हैसियत से मैं किसी से यह उम्मीद नहीं रखता कि वह शांति का अथा पुजारी हो जायें। अगर वह चाहता है तो खुशी से अपनी ताकत बनायें

रखे। लेकिन उसके बारे में ढोल क्यों पीटे? उसका चर्चा क्यों करे? हर वक्त दूसरो को धमकाये क्यों?

साँड . प्रधान मंत्रीजी, क्या आप समझते हैं कि चूँकि हिंदुस्तान गाँधीजी के सिखाये हुए रास्ते पर चलकर अपनी शांतिपूर्ण क्रांति को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और चूँकि समझौते में यकीन रखनेवाले सभी बड़े-बड़े रूहानी और मजहबी ख्यालात एशिया से पैदा हुए हैं,—क्या इन सब बातों की वजह से इस जमाने में भी जब राजनीति ताकत के बल पर चलती है, यह नया एशिया शांति के रास्ते पर आगे बढ़ता रह सकेगा?

नेहरू . कुछ हद तक तो जरूर बढ़ सकेगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इन बातों से मदद जरूर मिलेगी।

लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग दो बातों के फर्क को समझे—एक होता है सुलह-समझौता और दूसरी होती है कमजोरी। नरमी से बात करना कमजोरी की निशानी नहीं है। सुलह-समझौते का लफ्ज एक गाली बन गया है, लोग इसका मतलब यह लगाते हैं कि दुश्मन के आगे हथियार डाल दिये। मैं पूछता हूँ कि सुलह-समझौते में खराबी क्या है बशर्ते कि आप अपने उसूलों पर कायम रहे? असल बात यह है कि आप अपने उसूलों को न छोड़ें। आखिर पुराने जमाने में भी हमें यही सिखाया जाता था कि हमें अपने दुश्मन के साथ भी शराफत का बरताव करना चाहिये, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें शराफत से पेश आना चाहिये और गाली-गलौज से बात नहीं करना चाहिये। और सब बातों को छोड़ दीजिये, अगर हर वक्त किसी आदमी का मिजाज खराब रहे, उसके दिल में नफरत और गुस्सा रहे तो वह किसी भी बात के बारे में सुलझे तरीके से सोच नहीं सकता, जब आदमी बहुत जोश में होता है तब भी वह सुलझे तरीके से सोच नहीं सकता। और अगर दोनों ही तरफ हालत यह हो तो कोई भी ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकता और उसका नतीजा बुरा होता है।

मैं कह नहीं सकता आपने यह बातचीत शुरू करते वक्त कुछ फलसफे बगैरह का जिक्र किया था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मैं फल-सफ़ी तो हूँ नहीं; इन हद तक आप मुझे भी फलसफ़ी कह सकते हैं कि हर आदमी

मैं नेहरू से मिला

अपनी जिंदगी के बारे में, भविष्य के बारे में थोड़ा-बहुत तो सोचना पड़ता ही है।

मेरी जिंदगी ऐसी रही है जिसमें एक तरफ तो मैं हमेशा कुछ-न-कुछ करता रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे दौर भी आये जब मुझे जेल में रहना पड़ा, जब मैं पिछले जमाने के बारे में और कुछ घुंघले तरीके से आने-वाले जमाने के बारे में सोचने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था। इस एतबार से आप हर आदमी को फलसफी कह सकते हैं। लेकिन आज दुनिया के मसले इतने पेचीदा और मुश्किल हैं कि उनके सामने मैं अपने-आपको बहुत छोटा समझता हूँ। मेरे पास इन मसलों का इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हर आदमी जिस रास्ते को सही समझता हो उसी के मुताबिक काम करता रहे। मुमकिन है हम हमेशा यह न बता सकें कि कौनसी बात सही है। लेकिन अगर हम यह जानते हो कि कौनसी बात गलत है, तो हम उससे बचे और इस तरह कुछ बुरे नतीजों से दूर रहें।

तो. हमने हिंदुस्तान में कुछ काम किया है और जब तक हमारे अदर ताकत और जोश बाकी रहेगा तब तक हम काम करते रहेंगे। आखिर इसान की जिंदगी का मकसद क्या होता है? जब हरदम नयी बातें होती रहती हैं, जब हर चीज इतनी तेजी से बदलती रहती है तब कोई आदमी भविष्य को किस तरह ढाल सकता है? मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, दकियानूसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती और न ही मुझे मरने के बाद दूसरे जन्म में या इसी तरह की दूसरी बातों में कोई दिलचस्पी है। मैं इन बातों के पीछे क्यों परेशान रहूँ? आज जो सवाल हमारे सामने है वह मेरे लिए काफी है और मैं इस बात की फिक्र क्यों करूँ कि मरने के बाद मेरा या मेरी नेकनामी का क्या अजाम होगा। जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है कि जिन चीजों के लिए मैंने काम किया है वे तरक्की करे, फूले-फले और हमारा मुल्क इसी रास्ते पर चलता रहे या अगर कोई बेहतर रास्ता मिल जाये तो उसे अस्तियार कर ले।

इस तरह तमाम बातों का निचोड़ यह है कि आदमी काम करता रहे, यही असली चीज है। गीता में कहा गया है कि हमें किसी फल के लिए कर्म

करना चाहिये लेकिन फल की बहुत ज्यादा चिन्ता नहीं करना चाहिये। मतलब यह कि काम करते हुए भी हमारे अदर थोड़ा-सा वैराग्य होना चाहिये। मैं कह नहीं सकता कि यह बात कहाँ तक मुमकिन है। जाती तौर पर मैं बहुत ज्यादा वैरागी नहीं हूँ। अक्सर मुझे ताव आ जाता है। लेकिन इन कुछ मौकों को छोड़कर जब मुझे गुस्सा या जोश आ जाता है, मैं अपने-आपको काफी हद तक अलग रख सकता हूँ। जिस्मानी या दिमागी एतबार से यह शायद बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी का मिजाज ठंडा रहता है और उसकी दिमागी और जिस्मानी सेहत अच्छी रहती है।

आखिर में मैं यही कहूँगा कि, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मेरे दिल में किसी मुल्क, किसी कौम या किसी शख्स के खिलाफ नफरत नहीं है। कुदरती बात है कि किसी खास वजह से कोई आदमी मुझे नापसंद हो, उसकी कोई बात या कोई हरकत मुझे पसंद न आयी हो, लेकिन वह बक्ती बात होती है। दरअसल, मैं किसी को भी नापसंद नहीं करता।

और इससे भी आदमी को अपने कदम मजबूत रखने में मदद मिलती है।

